लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६—अंक १ से १०—२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १६६१/२६ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १—सोमवार, २० नवम्बर, १६६१/२६ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१—८६
दिनांक १३-३-१६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७—६०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	६०—६२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य ी दोषसिद्धि	६२—६५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	६५—६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६७—१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०१—०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२—०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८—०६
प्रत्यर्पण विधेयक	१०६
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०६
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०६
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०—२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०—२४
खंड २ से ३० तथा १	११४—२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२—२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५—२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५—२८
दैनिक संक्षेपिका	१२६—३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ९३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६९, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८९ . .	१३९–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५ .	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१ . . .	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति-- . .	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि .	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . .	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित . .	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१ .	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक . . .	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . .	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३—गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . २९२-३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४—४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . ४२८—२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४३१—३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४—३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९—४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९—४०

खंड १ से ११ . . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०—४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . . ४४९—६३

अंक ४—शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७—५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३—४४

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५९
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राश बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—९१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . .	५९३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०९
खंड २ से ३९ और १	७०९—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ७०२ और ७०४ से ७०६ . .	७८६–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९१
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४९० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० कों० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

क

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टु कप्पल्ली, श्री जार्ज़ थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)

चावल, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़---खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित ---जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब ,श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)

नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानावाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवो द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कड्डलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पल्लकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीरं)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बसुम्तारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनाधन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगारेड्डि, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र---(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमहेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित---अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स---(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर---उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूवेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी सामान्य

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानो

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामो

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह--सभापति

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन--सभापति

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन––सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य–सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री सत्य नारयण सिंह ––सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू ० एस० बालिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण , आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१

३० कार्तिक, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**श्री सूपकार :** मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ९३ भी प्रश्न संख्या ५९ के साथ ले लिया जाए । दोनों परादीप पत्तन से संबंधित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा ।

परादीप बन्दरगाह का विकास

+

†*५९. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री महन्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, पनामा ने परादीप बन्दरगाह के विकास के लिए अपनी शर्तों को स्पष्ट कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो स्पष्टीकरण क्या है;

(ग) क्या परादीप बन्दरगाह के विकास के लिए इटली की किसी फर्म ने भी प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तो फर्म का क्या नाम है और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) क्या इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

1467 (Ai) LSD—1.

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) (घ) और (ङ). २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१३ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिओवन्नी गैलेन्ट एण्ड कम्पनी नामक इटेलियन फर्म की योजना, जिस में लौह अयस्क खानों का विकास, खानों से परादीप तक रेलवे का निर्माण और परादीप में एक पत्तन का निर्माण सम्मिलित था, के संबंध में अनेक गंभीर प्रविधिक आपत्तियां थी। इसके अतिरिक्त उस में अधिकांश पुनर्भुगतान निःशुल्क विदेशी मुद्रा में किया जाने का उपबन्ध था। इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

परादीप बन्दरगाह

†*९३. श्री सुपकार :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप बन्दरगाह को तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में हर मौसम के लिये काम में लाया जा सकने वाला बन्दरगाह बनाने के बारे में कोई नयी बातचीत परिवहन तथा संचार मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के बीच हुई थी ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि परादीप के विकास के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही के तौर पर उड़ीसा सरकार ने सड़कें बनाने की व्यवस्था की है ;

(ग) क्या संपूर्ण योजना स्वीकार कर ली गयी है ; और

(घ) क्या कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां। उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों ने हाल में परादीप पत्तन के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के विषय पर, जिसका अध्ययन योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार की परादीप पत्तन से होकर ५० लाख टन लौह अयस्क के निर्यात की योजना पर विचार करने के पूर्व आवश्यक समझा जाता है, परिवहन मंत्रालय के साथ चर्चा की थी ।

(ख) राज्य सरकार के प्रस्तावों में अयस्क के केवल सड़क द्वारा परिवहन के लिए खानों से पत्तन तक एक राजपथ का निर्माण सम्मिलित है ।

(ग) समस्त योजना पर अभी तक विचार नहीं किया गया है । योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि समस्त योजना पर विचार किए जाने के पूर्व अध्ययन के लिये पत्तन का एक परितोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाए ।

(घ) पत्तन के विकास में विदेशी सहयोग का विचार योजना आयोग द्वारा समस्त परियोजना पर विचार कर लिए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : विकास परियोजना में इटलियन फर्म के अनुसार कितनी लागत लगेगी और पनामा कम्पनी परियोजना में कितनी लागत लगेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : एक मामले में वह लगभग २३ करोड़ रुपये है--मुझे यह ठीक याद नहीं है कि वह इन में से किसकी है।

†**श्री सूपकार** : क्या सरकार ने तीसरी योजना के दौरान परादीप पत्तन को एक बड़ा पत्तन बनाने के प्रश्न पर विचार करने का निर्णय किया है?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि संभवतः माननीय सदस्य जानते हैं होंगे, पत्तन के वास्तविक स्थान और उसके स्वरूप के संबंध में हमें तीन विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक तटीय के संबंध में है; दूसरा महानदी के मुहाने में और तीसरा, जो विभागीय प्रविधिक अधिकारियों का प्रस्ताव है, इस पत्तन के निर्माण के लिए अथरबंकी खाड़ी को उपयोग में लाने का है। पूना स्थित केन्द्रीय जल गवेषणा केन्द्र इस अंतिम प्रस्ताव के बारे में प्रयोग और गवेषणायें कर रहा है। जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता और वे हमें अपना अंतिम मत नहीं देते तब तक उसे एक बड़े पत्तन में बदलने के प्रश्न को लम्बित रखना होगा। परन्तु इस बीच हमने इन्टरमीजिएट पत्तन विकास समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और विकास के प्रथम तथा दूसरे चरणों के लिये उपबन्ध कर दिया गया है जिनकी लागत क्रमशः ९९ लाख रुपए और ५३ लाख रुपए हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने सरकार से परादीप पत्तन के तीसरी योजना में एक बड़े पत्तन के रूप में विकास के लिए ४१ करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी थी और क्या हम यह समझ लें कि सरकार और योजना आयोग ने इस प्रस्ताव की जांच कर ली है और उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि परादीप का तीसरी योजना में एक बड़े पत्तन के रूप में विकास किया जाना चाहिये ?

†**श्री राज बहादुर** : राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रस्ताव पेश किए गए हैं और इसका निर्देश प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर में किया गया है--उसेकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। परन्तु योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि प्रस्ताव अथवा परियोजना नियमित रूप से तैयार की जानी चाहिए और उसकी समस्त संबंधित स्तरों पर छानबीन की जानी चाहिए और तब उस पर विचार किया जाएगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस परियोजना की अन्तिम स्वीकृति में भारत सरकार ने परादीप पत्तन को मिलाने वाले राजमार्ग के निर्माण का वित्तपोषण करना स्वीकार कर लिया है अथवा क्या भारत सरकार ने इस पत्तन के तुरन्त विकास के लिए कम से कम कुछ राशि देना स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ऐसी किसी स्वीकृति की जानकारी नहीं है।

†**श्री प्र० गं० देब** : क्या उड़ीसा सरकार ने परादीप पत्तन के निर्माण के लिए कोई नया प्रस्ताव भेजा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था, और जैसा कि मैं बता चुका हूं, उसकी योजना आयोग के साथ, योजना आयोग और राज्य के अधिकारियों के बीच, चर्चा की गई थी। उस चर्चा के परिणामस्वरूप योजना आयोग ने यह सलाह दी है कि परियोजना प्रविधिक अधिकारियों के साथ परामर्श कर के तैयार की जानी चाहिए और उस के सबध में नियमित छानबीन की जानी चाहिए।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : प्रश्न सख्या ९३ के भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया है कि परियोजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**आचार्य कृपालानी** : थोड़े से वर्ष !

†**श्री राज बहादुर :** मैं इसका प्रतिवाद करता हूं कि उस में कुछ वर्ष लगेंगे। वह इस बात पर निर्भर होगा कि हमारे प्रविधिक अधिकारि हमें कितनी जल्दी सही सलाह दे सेकते हैं जिस पर कि हम बिना किसी बात का डर किए आगे बढ़ सकें। मैं सभा को यह आश्वासेन देता हूं कि प्रविधिक अधिकारियों द्वारा फैसला कर लिए जाने पर हम निर्णय करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। किसी पत्तन की स्थिति और उस के स्वरूप के संबंध में निर्णय करना सरल कार्य नहीं है और हम प्रविधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई सलाह की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

†**श्री सूपकार :** मैं पूना गवेषणा केन्द्र द्वारा किए गए प्रयोग के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि वह कब से चल रहा है और क्या कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया गया है और यदि हां तो क्या नवीनतम अन्तरिम प्रतिवेदन संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा क्या उसे सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि इस के लिये तीसरी योजना में कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए जो कुछ भी किया जाएगा वह बाद में ही होगा। अतः जब तक हम रुपया नहीं पा सकते तब तक उस के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है ?

†**श्री सूपकार :** रुपया उपलब्ध है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** यदि योजना आयोग उसे तीसरी योजना में सम्मिलित करने में असमर्थ है, जैसा कि मंत्री जी ने संकेत किया, तो क्या योजना आयोग पनामा वित्त निगम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। और क्या उन के प्रस्ताव पर अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है ताकि वे भी इस पत्तन के विकास के लिए धन का विनियोजन कर सकें।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मेरे माननीय सहयोगी ने तीनों प्रस्तावों का उल्लेख किया था जिन पर विचार किया गया है। उन में से कौन सा संभव है यह अभी भी विचाराधीन है। इसलिए उसके बारे में कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के नालों के कारण दिल्ली में बाढ़

+

†*६०. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री प्र० गं० देब :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और उस के गांवों में बाढ़ पंजाब के उन नालों के कारण आती है जो दिल्ली के गांवों में से गुजरते हैं तथा उन के कारण कितनी जन तथा धन की हानि हुई ;

(ख) क्या इस बारे में दिल्ली प्रशासन और केन्द्र के बीच बातचीत चल रही है और इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं ;

(ग) वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने तुरन्त क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या पंजाब ने दिल्ली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई प्रतिकर दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में आवश्यक सूचना दी हुई है।

विवरण

(क) दिल्ली के गांवों में बाढ़ें पंजाब के नाला नं० ६ और पश्चिम जुआ नाला द्वारा लाए गए अतिरिक्त जल के कारण भी आती हैं। पिछली बरसात में दिल्ली के १११ गांव इन दो नालों के बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए थे। इन बाढ़ों से खड़ी फसलों को हुए नुकसान का अनुमान लगभग ६५ लाख रुपये लगाया गया है। १० लाख रुपए की लागत के ५३७५ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए बताए जाते हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने यह प्रस्ताव रखा है कि नाला संख्या ८ के 'डाईवरज़न' के उत्तर में स्थित नाला संख्या ६ के क्षेत्रों का पानी 'डाईवरज़न' नहर से हो कर निकाला जाना चाहिए। इससे दिल्ली के उन क्षेत्रों को राहत मिलेगी जिन में अभी नाला संख्या ६ से बाढ़ आ जाती है। मामले पर पंजाब सरकार के साथ मिलकर विचार किया जा रहा है।

नजफगढ़ जल निस्सारण योजना (प्रक्रम २) का कार्य, जिस में नफजगढ़ नाले का पुन-विभाजन और श्रेणीबन्धन और उस के पुलों का पुनर्निर्माण सम्मिलित है, केन्द्रीय लोक कर्म विभाग द्वारा उच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। योजना के जून, १९६२ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। पूर्ण हो जाने पर उस से पश्चिम जुआ नाला के पानी से पंजाब और दिल्ली दोनों के क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा मिलने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे उचित मामलों में मालगुजारी में छूट देना, सरकारी रकम की वसूली स्थगित करना, चारे और बीच का वितरण, निःशुल्क सहायता, सिरकियों का वितरण आदि।

(घ) पंजाब द्वारा दिल्ली के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के संबंध में प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित "डाईवरजन" केवल पंजाब के राज्य क्षेत्र से होकर गुज़रता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र, पंजाब और स्थानीय प्रशासन के बीच कोई समन्वित प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

†**श्री हाथी** : हां, श्रीमान्।

†**श्री श्रीनारायण दास** : अभी तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

†**श्री हाथी** : हमने पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की थी और शासकीय स्तर पर भी दिल्ली प्रशासन, पंजाब और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के बीच चर्चा हुई थी। डा० खोसला से उस क्षेत्र का दौरा करने का अनुरोध किया गया था और उन्होंने जिस मार्ग का सुझाव दिया है वह पंजाब और दिल्ली प्रशासन दोनों को स्वीकार्य है।

†**श्री बलराज मधोक** : डा० खोसला ने वह सुझाव लगभग चार पांच महीने पहले दिया था परन्तु उस पर वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि पंजाब अथवा दिल्ली उस के लिये सहमत नहीं हुआ। अब क्या स्थिति है ?

†**श्री हाथी** : डा० खोसला ने विभिन्न मार्गों के प्रस्ताव पेश किये थे जिनमें से कुछ स्वीकार नहीं किये गये थे। प्रस्तावित मार्ग संख्या ३ पंजाब सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु रेगुलेटर तथा कुछ अन्य बातों का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और हमें आशा है कि उस का शीघ्र निर्णय हो जायगा।

देश में भेषजिकों की कमी

†*६२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भैषजिकों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां श्रीमान, देश में भैषजिकों की कमी है।

(ख) राज्य सरकारें भैषजिकों को प्रशिक्षण देने वाली वर्तमान संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी अनेक संस्थायें खोलने के लिये कदम उठा रही हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में आवश्यक भैषजिकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई निर्धारण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Pharmacists.

†**श्री करमरकर** : मोटा अनुमान लगाया गया है। १९६१ में ३,३०० भैषजिकों की आवश्यकता है और १९६६ में २७,००० का अनुमान है।

†**श्री नंजप्प** : क्या यह सच है कि इन लोगों के वेतन-क्रम और सेवा में तरक्की के अवसर बहुत कम हैं और इसलिये वे इस कोर्स में प्रशिक्षण के लिये नहीं आते हैं जबकि आर्ट्स की समान योग्यता वाले क्लर्कों के लिये सेवा में तरक्की के अधिक अच्छे अवसर हैं।

†**श्री करमरकर** : जी हां। भैषजिकों को जो वेतन मिलता है उससे अधिक दिया जाना आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें ऐसा करने की आवश्यकता महसूस करेंगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : प्रत्येक राज्य में कितने भैषजिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा और उन की कुल संख्या कितनी होगी ?

†**श्री करमरकर** : मेरे पास इन सस्थाओं की सूची मौजूद है। परन्तु प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या के सम्बन्ध में पूर्व सूचना चाहूगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : केन्द्र इस कमी को दूर करने के लिए राज्यों की किस प्रकार सहायता करता है ?

†**श्री करमरकर** : केन्द्रीय सरकार एक आदर्श केन्द्रीय भैषजिकी संस्था खोलना चाहती है। अन्य सब मामलों के सम्बन्ध में हम उनको उचित और सलाह और धन दे कर यथा सम्भव सहायता देंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस प्रयोजन के लिये तीसरी योजना में कोई धनराशि निश्चित की गई है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां। परन्तु मैं वास्तव में वास्तविक राशि के सम्बन्ध में पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह कहूंगा कि तीसरी योजना की एक प्रति, ऐसे ब्यौरे सहित, पुस्तकालय में रख दी जाय ताकि उन बातों के बारे में सभा में प्रश्न न पूछे जायें।

†**श्री करमरकर** : बहुत अच्छा।

राजस्थान को गेहूं का सम्भरण

†*६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्र द्वारा राजस्थान को अकाल सहायता के लिये दिये गये गेहूं के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) वह शिकायत किस प्रकार की है तथा उस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि ४ केन्द्रों को दिया गया गेहूं खराब किस्म का ह। इन कन्द्रा को कुल ९०० टन गेहूं का संभरण किया गया था जबकि समस्त राजस्थान को किया गया संभरण लगभग ११,००० टन है। इन चार केन्द्रों के स्टाक की जांच करने के लिये तकनीकल अधिकारी

†मूल अंग्रेजी में

भेजे गये थे और उन्होंने यह बताया कि वह गेहूं मनुष्य के खाने योग्य अच्छी किस्म का है। केवल जैसलमेर को संभरण किये गये २० टन गेहूं में कीड़े और कूड़ा करकट का होना पाया गया। उसे वितरित करने के पूर्व साफ करने और कीड़ों को नष्ट करने का प्रबन्ध कर दिया गया है। अन्य केन्द्रों में एक दो बोरों में बड़ा करकट कुछ अधिक निकला तथा उन को साफ करने के बाद वितरित किया गया।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान राजस्थान विधान सभा में दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिस में केन्द्रीय सरकार पर अकाल पीड़ित जनता को खराब गेहूं संभरण करने का दोषारोपण किया गया है। इस गेहूं में से कितना उस समय तक वितरित एवं खपत किया जा चुका था जबकि यह शिकायत सामने आई ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस में दोष के बटवारे की कोई बात नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि संभरण किया गया गेहूं खराब है। मैं बता चुका हूं कि हमारे टेक्नीकल अधिकारियों द्वारा उस की जांच की गई है और उन्होंने उस गेहूं को अच्छी किस्म का तथा मनुष्य द्वारा खपत के लिये ठीक बताया है।

जहां तक संभरण का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये ११,००० टन गेहूं की मांग की थी। उस मात्रा का संभरण मई से सितम्बर के मध्य तक किया गया था। उस समय तक अभाव की स्थिति प्रायः समाप्त हो चुकी थी और वर्षा हो चुकी थी। जो गेहूं वितरित किया जा रहा था वह लाल था जो उस स्थान में पसन्द नहीं किया जाता था। वितरण में देरी के कारण वह गेहूं यहां से दिए जाने के बाद राज्य के गोदामों में पड़ा रहने से और भी खराब हो गया। ये सब बातें इस के लिये जिम्मेदार हैं। खाद्य मंत्रालय द्वारा इस बात का प्रत्येक ध्यान रख गया है कि अच्छी किस्म के गेहूं का संभरण किया जाय। संरक्षण और संग्रह की एक विशेष प्रक्रिया है।

कुल जितनी मात्रा के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं वह अपेक्षाकृत कम हैं, अर्थात् पोकरान में १६० टन, जैसलमेर में ४७० टन, पीपर सिटी में २५० टन और आसोप में ३० टन जबकि कुल मात्रा ११,००० टन है। हमारे जांच करने पर पता चला कि केवल थोड़े से बोरे गोदामों में खराब हुए थे। हम ने इस बात की व्यवस्था कर दी है कि ये बोरे साफ किये जाने की बाद ही वितरित किये जायें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जितना गेहूं खराब पाया गया है उस में कुल कितना नुकसान होगा और उस का राजस्थान तथा केन्द्रीय सरकारों के बीच बटवारा कैसे किया जायगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस कारण कोई भी हानि नहीं होगी। हां, कुछ सफाई अवश्य करनी होगी। बहुत थोड़े से बोरे खराब हुए कहे जा सकते हैं। मैं यह कह चुका हूं कि राज्य सरकार के गोदामों में पड़े रहने से वह और खराब हो गया क्योंकि वे इधर उधर बिखरे हुए हैं और उन के संग्रह की प्रक्रिया केन्द्र जैसी अच्छी नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** यह गेहूं आयात किया हुआ था अथवा स्थानीय रूप से प्राप्त किया हुआ ?

†**श्री अ० म० थामस :** वह समुद्र पार का गेहूं है।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि अच्छी किस्म के गेहूं और मनुष्य के खाने योग्य समझे जाने वाले गेहुं में कुछ अन्तर है क्योंकि जेलों में कैदियों के लिये संभरण किया जाने वाला गेहूं मनुष्य के खाने योग्य तो कहा जाता है परन्तु लोग उसे खाना पसन्द नहीं करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** इस मामले में राजस्थान सरकार को जिस गेहूं का संभरण किया गया है वह 'ए०' और 'बी०' श्रेणियों का है जो अच्छी किस्म का गेहूं है। मैं माननीय सदस्य द्वारा बताये गये अन्तर को समझता हूं परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को संभरण किया गया गेहूं केवल मनुष्य के खाने योग्य ही नहीं है वरन् अच्छी किस्म का भी है, कुछ बोरों में उत्पन्न खराबी को छोड़ कर ।

†**श्री कमलनयन बजाज :** माननीय उपमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार की संग्रह व्यवस्था अच्छी नहीं है। हो सकता है कि उस राज्य में तथा किसी अन्य राज्य में भी ऐसा हो। परन्तु जनता को इस से कोई मतलब नहीं कि दोष केन्द्र का है अथवा विभिन्न राज्यों का। क्या सरकार इस बात के लिये कोई कदम उठा रही है कि संग्रह की व्यवस्था में सुधार हो और लोक स्वास्थ्य का खतरा दूर हो क्योंकि यदि संभरण किया गया खाद्यान्न खराब होगा तो उस से महामारी भी उत्पन्न हो सकती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमारे बफर स्टाकों के कारण संग्रह की समस्यायें बढ़ गई हैं। फिर उस की निकासी बहुत कम है। राजस्थान सरकार को अभाव की स्थिति में किये गये संभरण के संबंध में भी उस मात्रा के उठाने में काफी देर लगी। वे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही उसे उठा सके।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के संरक्षण सम्बन्धी उपायों का प्रश्न है, मैं सभा में अनेक बार बता चुका हूं कि हमारी संग्रह व्यवस्था में कोई कमी नहीं है । कठिनाई राज्यों के गोदामों के संबंध में है। अनेक राज्यों में केन्द्रीय गोदाम भी हैं। हमारी अपनी दस लाख टन से अधिक संग्रह क्षमता हो जायगी। फिर दस लाख टन की संग्रह क्षमता के गोदाम हम ने किराये पर प्राप्त किये हैं जोकि सब अच्छे गोदाम हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं की जानी चाहिये। अब हमारी कठिनाई यह है कि अनाज की निकासी बहुत कम है। उस में वृद्धि होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त अधिक[1] शक्तिशाली धूमकों का प्रयोग किया जाना भी आवश्यक है क्योंकि कीड़े उन धूमकों के अभ्यस्त हो जाते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। हम कुछ अच्छे शक्तिशाली धूमकों का आयात और प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक उपाय किया जा रहा है।

†**श्री दामानी :** क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी खराब गेहूं का संभरण किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी नहीं। अब अधिकांश गेहूं आटा मिलों को संभरण किया जा रहा है। उनकी सफाई तथा अन्य चीजों की अपनी निजी व्यवस्था है। उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित किये जाने वाले गेहूं तथा अन्य चीजों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। परन्तु हमने जिन मामलों में जांच की उन सभी में हमें सन्तोष है कि वह अच्छे किस्म का गेहूं निकला। यह ठीक है कि कुछ दुकानों को किये गये संभरण में कूड़ा करकट अधिक रहा है। इसका कारण यह है कि हम वितरण मुख्यतः बम्बई से टेंकरों द्वारा करते हैं जिससे कूड़े करकट का असमान वितरण हो जाता है। दो तीन बोरों में अधिक कूड़ा करकट होगा और ऐसा हो जाता है कि कुछ उचित मूल्य की दुकानों को वे बोरे मिल जाते हैं जिन में अधिक कूड़ा करकट होता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि वितरित किये गये गेहूं के विरुद्ध यह शिकायत राजस्थान सरकार की ओर से नहीं वरन् जनता के प्रतिनिधियों की ओर से आई थी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार माननीय मंत्री द्वारा बताई गई स्थिति को स्वीकार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Fumigants.

†**श्री अ० म० थामस :** राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा हमारे जयपुर स्थित सहायक खाद्य संचालक से जबानी शिकायतें की गयी थीं । हमने कुछ टेक्नीकल अधिकारियों को वहां भेजा और उन्होंने जांच की जिसके परिणाम मैं सभा को बता चुका हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** परन्तु क्या राजस्थान सरकार आपकी बात को स्वीकार करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री बजाज ।

†**श्री कमल नयन बजाज :** जब गेहूं खराब हो जाता है अथवा मनुष्य के खाने के अयोग्य हो जाता है तो सरकार उसको पूर्णत: नष्ट करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाती है ताकि उससे गलती से वितरित न कर दिया जाये ?

†**श्री अ० म० थामस :** हम उस मामले में समस्त पूर्वविधान करते हैं । जो गेहूं मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता है उसे न हम आटा मिलों को देते है और न उचित मूल्यों की दुकानों को । उसे हम मुर्गों अथवा पशुओं को खिलाने के लिये नीलाम कर देते हैं अथवा एक स्थान पर जमा कर देते हैं ?

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के मजदूरों की मांगें

†***६६. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड के मजदूरों की मांगों पर विचार करने के लिये नियुक्त राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) अभी नहीं । मांगें न्यायनिर्णय के लिये राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण हैदराबाद को भेज दी गयी हैं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या हड़ताल के समय कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई सभी मांगे न्यायाधिकरण को सौंप दी गई हैं या केवल कुछ मांगें सौंपी गई हैं ।

†**श्री राजबहादुर :** कुल मांग २४ थीं जिनमें से १३ सौंप दी गई हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** अन्य मांगें न भेजने के क्या कारण हैं, क्योंकि यह उनकी मांग है कि सभी मांगे सौंपी जानी चाहियें ?

†**श्री राजबहादुर :** अन्य मांगों के बारे में राज्य सरकार ने एक विपक्षीय बैठक बुलाई है । यह २५ नवम्बर को होगी और तब कुछ निर्णय किये जा सकेंगे ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या सरकार का ध्यान विभिन्न जहाज निर्णय एवं जहाज मरम्मत करने वाली फैक्टरियों में काम करने और रहने की हालतों में बड़ी भारी अव्यवस्था की ओर आकर्षित किया गया है और वहां बड़ी भारी गड़बड़ है जिस के कारण वहां काम की कमी है तथा मशीनरी एवं कुशल कार्यकर्ताओं का उचित रूप से उपभोग नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इन सब कठिनाइयों को मिटाने के लिये जांच समिति नियुक्त करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजबहादुर** : वहां यार्ड में कोई बड़ी अव्यवस्था नहीं है। यह प्रश्न के विषय के अन्दर भी नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : न्यायाधिकरण को कौन सी मुख्य मांगे सौंपी गई हैं और किस तारीख को ?

†**श्री राजबहादुर** : मुझे १३ मांगों की सूची पढ़नी पड़ेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तारीख बता सकते हैं।

†**श्री राजबहादुर** : आंध्र सरकार ने १६ अगस्त को सौंपी थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पंचाट देने के लिये न्यायाधिकरण के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

†**श्री राजबहादुर** : यह राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नहीं है, बल्कि राज्य का न्यायाधिकरण है जिसे मांगे न्यायनिर्णयन के लिये सौंपी गई हैं। इसके अलावा कार्मिक संघ न्यायाधिकरण से बार-बार प्रार्थना कर रहा है कि उसे अपने दावे पेश करने के लिये समय दिया जाये।

स्टैनोग्राफरों के वेतन-क्रम

†*६७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड समेत रेलवे मंत्रालय के स्टेनोंग्राफरों के वेतन-क्रम रेलवे के अधीनस्थ कार्यालयों के स्टैनोंग्राफरों से अधिक हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरि-लिखित श्रेणियों के लिये द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन-क्रमों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) केवल रेलवे बोर्ड का सचिवालय स्टैनोंग्राफर सेवा के स्टैनोंग्राफरों के वेतन-क्रमों के बारे में जगन्नाथ दास वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई हैं।

(ग) असमानता स्टैनोंग्राफरों के भिन्न २ वेतन-क्रमों की विद्यमानता के ही कारण नहीं हैं, अपितु उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों में अन्तर होने के कारण भी हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : रेलवे बोर्ड और अधीनस्थ कार्यालयों में स्टैनोंग्रफरों से अपेक्षित योग्यतायें और मानदंड समान हैं। यदि ऐसी बात है तो रेलवे बोर्ड और अधीनस्थ कार्यालयों के स्टैनोग्राफरों के बीच ६२ प्रतिशत तक का अन्तर क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह नहीं मानते कि वे समान हैं। उपमंत्री ने अभी बताया है कि इसका कारण काम का अन्तर है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : यह उसी प्रकार का काम है।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं बता चुका हूं कि अन्तर उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के अन्तर के कारण है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : वह अन्तर क्या है ? स्टैनोंग्राफर वह व्यक्ति होता है जो नोट लेता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अब मैं कर्तव्यों में पड़ूंगा ?

†**श्री नाथ पाई** : स्टैनोंग्राफर स्टेनोंग्राफर ही होते हैं। स्टैनोंग्राफर चाहे उपमंत्री के साथ काम करें या रेलवे बोर्ड के सदस्य के साथ या छोटे अफसर के साथ, उसे एक जैसा ही काम करना पड़ेगा और एक जैसी ही गति और कुशलता के साथ करना होगा। फिर यह अन्तर क्यों होना चाहिये ? हम यह आधारहीन उत्तर नहीं चाहते। हमें इसकी व्याख्या मिलनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्टैनोंग्राफर होते हैं और रिपोर्टर भी होते हैं और दोनों के काम एक ही होते हैं परन्तु रिपोर्टर की गति १८० से २०० शब्द होनी चाहिये। कुछ सदस्य इससे भी तेज बोलते हैं। ऐसे स्टैनोंग्राफर होते हैं जो वैसा न कर सके जैसा बड़े अफसरों के स्टैनोंग्राफर करते हैं जिनके पास अधिक काम हो सकता है। सब एक ही श्रेणी में नहीं आते। मैं अपने कार्यालय के बारे में ऐसी बात कह सकता हूं। मुझे दूसरे दफ्तरों के बारे में पता नहीं। मा० उपमंत्री ने काम में अन्तर के बारे में कहा है उससे संतुष्ट होना चाहिये।

†**श्री वाजपेयी** : जब स्टैनोंग्राफरों के लिये निर्धारित योग्यतायें समान होती हैं फिर वेतनक्रमों में अन्तर कैसे हो सकता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : चाहे योग्तायें वही हैं, किन्तु कर्तव्य और उत्तरदायित्वों में अन्तर है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे बोर्ड के स्टैनोग्राफरों और अधीनस्थ दफ्तरों के स्टैनोग्राफरों के कर्तव्यों की उचित परिभाषा की गई है। यदि हां तो दोनो में क्या खास अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये अलग-अलग हैं।

†**श्री नाथ पाई** : यदि एक अभ्यार्थी अई० ए० एस० में बैठता है और पास हो जाता है, चाहे उसे निजी सचिव बनाया जाता है या प्रधान मंत्री का सहायक या सहायक कलक्टर, उसे वही वेतन मिलता है। इसी प्रकार स्टैनोंग्राफर के लिये योग्यतायें एक हैं, फिर यह भेद-भाव क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे रात को भी बुलाया जा सकता है। और भी कई दूसरी बातें होती हैं।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

+

*६८. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० च० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली व नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिये चालू अंशदायी स्वास्थ्य योजना के बारे में जो जांच समिति नियुक्त की गयी थी, क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उस कमेटी की सिफारिशों पर क्या निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् माननीय मंत्री को याद होगा कि पिछली बार उत्तर देते हुये उन्होंने बताया था कि अक्तूबर के अन्त तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी । जब एक शहर के मामले में रिपोर्ट देने में इतनी देरी हो रही है तो सारे देश के मामले में कितनी देर लगेगी ? अतः मैं जानना चाहता हूं कि यह समिति अब कब रिपोर्ट देगी ?

†**श्री करमरकर** : मैंने कहा था कि अक्तूबर के अन्त तक दे देगी । अब वह नवम्बर के आखिर तक मिल जायेगी ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है कि सी० एच० एस० के जो नये कार्ड जारी किये जा रहे हैं उन में वेतन का उल्लेख किया जा रहा है और डाक्टर कार्ड वालों के बीच भेद भाव करते हैं ?

†**श्री करमरकर** : कोई भेद-भाव नहीं किया जाता । केवल बीमार लोगों का इलाज किया जाता है ।

†**श्री बलराज मधोक** : इसके उल्लेख की क्या जरूरत है ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : समिति किस अवस्था तक पहुंची है और क्या प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय सीमा निश्चित की गई है ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि यह अन्तिम स्थिति पर पहुंची है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रतिवेदन कब पेश किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : हम नवम्बर के अन्त तक आशा करते हैं ।

पोस्ट मास्टर जनरलों का सम्मेलन

†*६९. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह विभिन्न सर्किलों के पोस्ट मास्टर जनरलों से---एक सम्मेलन के रूप में---कितने-कितने समय के बाद मिलते हैं ;

(ख) पिछला सम्मेलन कब और कहां हुआ था ;

(ग) उस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ;

(घ) क्या आगामी सामान्य निर्वाचन में दी जाने वाली सुविधाओं की चर्चा की गई थी और

(ङ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) सर्किलों के प्रमुख अधिकारियों का सम्मेलन सामान्यतया प्रति वर्ष होता है ।

(ख) पिछला सम्मेलन नई दिल्ली में ६, ७, ८ और ११ सितम्बर, १९६१ में हुआ था।

(ग) सम्मेलन में जिन विषयों की चर्चा की गई उन की सूची सभा पटल पर रखी जाती है।

(घ) जी हां ।

(ङ) यह फैसला किया गया था कि सर्किलों के प्रमुख अधिकारियों को अपने राज्यों के प्रमुख निर्वाचन अफसरों से मिलकर, डाक, तार और टेलीफोन की सुविधाओं के बारे में निर्वाचन अधिकारियों की आवश्यकताओं का पता लगाये और इस सम्बन्ध में उन को प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करें।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण के क्रमांक ३ के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस निर्वाचन के लिये अधिक तार और टेलीफान लगाने के लिये सामान की कमी अनुभव कर रही है ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : ऐसी ही बात है। मैं ने कई बार बताया है कि हमारे पास सामान की कमी है और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमें कुछ सामान नहीं मिल रहा है। इन कठिनाइयों के होते हुए जो भी व्यक्ति निर्वाचन लड़ेंगे उन को तार व टेलीफोन की प्रत्येक सुविधा दी जायेगी जहां कहीं ये सुविधायें उपलब्ध हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र साधारणतया ७ या ८ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के बराबर होते हैं और टेलीफोनों के लिये सामान की कमी है इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या इस काम में शीघ्रता की जा रही है ताकि उन लोगों को टेलीफोन की सुविधायें प्राप्त हो सकें जो प्राप्त करना चाहते हैं ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जितना सामान उपलब्ध होगा, निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों को टेलीफोन दिये जायेंगे। परन्तु साथ ही मैं यह भी बता हूं कि जितने टेलीफोन वे चाहते हैं उतने देना संभव नहीं होगा। यदि कोई ६ या ७ चाहे तो यह संभव नहीं होगा। जितने टेलीफोन एक सदस्य ले सकता है, हमें उतनी सीमा रखनी होगी।

†**श्री कालिका सिंह** : सूची के पद २३ में डाक विभाग के निगरानी संगठन के काम का उल्लेख है। क्या यह कार्य मंत्रालय की विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को डाक विभाग के अफसरों के ऊपर अधिकार होगा ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : डाक विभाग के अफसरों के ऊपर अधिकार रखने का यह प्रश्न नहीं है। यदि हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति उचित व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम गृह-कार्य मंत्रालय की सहायता लेंगे ?

†**श्री कालिका सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्रालय की विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को डाक कर्मचारियों के ऊपर निगरानी रखने का अधिकार है ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : जब कभी इस की आवश्यकता होगी।

†**श्री बसुमतारी** : अभी मंत्री ने बताया है कि प्रशासन अभ्यार्थियों को यथासंभव टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करेगा। क्या आदिम जाति और पिछड़े क्षेत्रों के अभ्यार्थियों को ये सुविधायें प्रदान की जायेंगी या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : यह उन क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं की विद्यमानता पर निर्भर करेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : पोस्ट मास्टर जनरलों के पिछले सम्मेलन में, प्रादेशिक भाषाओं में तारों के प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया था, क्योंकि यह प्रश्न पहले ही लंबित है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : प्रत्येक सदस्य अपनी भाषा में दिलचस्पी रखता है और हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं कि आया इस काम के लिये कोई सुविधा प्रदान की जा सकती है ।

तलचेर-तालडीह लाइन

\+

†*७१. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को इस बात पर जोर दिया है कि तलचेर को तालडीह से मिलाने वाली ७० मील लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) उड़ीसा सरकार के तलचेर को रूरकेला से मिलाने के लिये एक नई रेलवे लाइन बनाने की सिफारिश की है ।

(ख) प्रस्ताव रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में शामिल नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इसे कब शामिल किया जायेगा ? क्या इसके बारे में कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की है ; यह धनाभाव के कारण तीसरी याजना में शामिल नहीं की गई है और निस्सन्देह इसका कोई वित्तीय औचित्य भी नहीं है ।

†**डा० रामसुभग सिंह** : इस प्रस्तावित लाइन पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १९४७–४८ में लाइन पर ५·३५ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान था । अब इस पर १३ करोड़ रुपये खर्च होंगे । जब आय का अनुमान लगाया गया तो यह १.२८ प्रतिशत घाटे का था ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह तीसरी योजना में शामिल नहीं है । खनिज विकास के संबंध में ३०० मील रेलवे लाइन नियत की जाने वाली है । क्या इस का फैसला किया जा चुका है और इन ३०० मील में से तीसरी योजना में कौन सी लाइनों का निर्माण किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** योजना आयोग ने समूचे मामले पर विचार किया है। माननीय सदस्य योजना आयोग से उन लाइनों की सूची प्राप्त कर सकते हैं जो शामिल की गई हैं। उन्होंने अन्तिम रूप से इस का फैसला कर लिया है।

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार ने इस लाइन का निर्माण करके बचत होने की संभावना का परीक्षण कर लिया है, जिस के द्वारा तलचेर के द्वारा तलडीह क्षेत्र से लोहा अयस्क और अन्य खनिज अयस्क लाये जा सकें और जापान को भेजा जा सके ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** सब बातों का ध्यान रखा गया है। जहां तक जापान को निर्यात का संबंध है, हम किरिबुरू से एक लाइन बना रहे हैं। वहां से इसे नई लाइन के साथ लिया जायेगा जो तीतलागढ़ और संबलपुर के बीच बनाई जा रही है। जैसा मैं ने पहले बताया है, १९४७-४८ में अनुमानित ५.३५ करोड़ रुपये के खर्च पर भी इस लाइन से आय युक्ति युक्त नहीं है। आय केवल १.२८ प्रतिशत घाटे की थी। अब लागत १३ करोड़ होगी।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** उड़ीसा के खनिज क्षेत्रों से लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये रेलवे लाइनों का विकास करने के लिये तीसरी योजना में ८ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। क्या इन ८ करोड़ की निधि से उड़ीसा के खनिज क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के विकास के लिये धन नियत किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री बता चुके हैं कि ५·३५ करोड़ रुपये के अनुमान से भी यह योजना लाभदायक नहीं है। अब इसकी लागत १३ करोड़ हो गई है अत : यह बेकार है। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** ८ करोड़ की राशि कैसे आवंटित की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके लिये नहीं है। यदि धन भी हो तो भी इस के लिये आवंटित करना लाभदायक नहीं होगा।

डीजल लोको फैक्टरी

†*७२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित डीजल लोको परियोजना के स्थान के संबंध में कोई निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा : और

(ग) उस निर्णय को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) इंजन के पुर्जों का कारखाना, वाराणसी की वर्तमान फैक्टरी में।

(ग) जनरल मैनेजर तथा प्रमुख प्रविधिक निदेशक के अधीन एक संगठन स्थापित किया गया है और फिर से बनाने और विस्तार संबंधी प्रारंभिक काम आरम्भ किया जा चुका है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** परियोजना के लिये कितनी पूंजी और विदेशी मद्रा की जरूरत है। और यहां कहां से और किस रूप में प्राप्त की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** योजना आयोग ने इस परियोजना के लिये १२.७ करोड़ रुपये की राशि नियत की है। सहयोग संबंधी प्रस्तावों के बारे में बातचीत जारी है। और जब उन के बारे में फैसला हो जायेगा तो हमें अधिक ब्यौरा मालूम होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्योंकि विश्व में सभी रेलों का विद्युतीकरण हो रहा है, और क्योंकि हमारा देश अधिकतर डीजल तेल पर निर्भर है, क्या इतनी बड़ी सीमा तक डीजल का उपयोग करना युक्तियुक्त होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां:** डीजल से गाड़ियां चलाये जाने के अपने लाभ होते हैं। और हम वास्तव में विद्युतीकरण से पूर्व विभिन्न सैक्सनों पर डीजल का प्रयोग कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखा गया है और पूर्ण तथा पक्का विचार किये जाने के उपरान्त निर्णय किया गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस डीजल इंजन निर्माण फैक्टरी की स्थापना के लिये उचित स्थानों का सुझाव देने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी उसने तीन स्थानों की सिफारिश की थी, एक बिहार में, एक भाखड़ा नांगल और तीसरी हैदराबाद में। समिति की इस सिफारिश को स्वीकार न करने और इसे बनारस में लगाने का निर्णय करने के लिये सरकार और रेलवे बोर्ड ने किन विशेष बातों का ध्यान रखा ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** बनारस बहुत अच्छा स्थान है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री शाहनवाज खां :** बनारस में इसे लगाने के ये लाभ थे कि किसी नई फैक्टरी की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान फैक्टरी इमारत को फिर से नया बनाया जा सकता था। पर्याप्त भूमि, इमारतें और जल वहां पहले ही उपलब्ध है और कम से कम विलम्ब से उत्पादन आरम्भ किया जा सकता था। वाराणसी दो गेज वाला स्थान है और यह भारतीय रेलवे के सब से अधिक डीजल वाले सैक्शन के साथ स्थित है। यह कोयला खानों, इस्पात संयंत्रों तथा कच्चे माल के अन्य स्रोतों से बहुत दूर भी नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस फैक्टरी के लिये कुछ और भूमि अधिग्रहण की जायगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते, संभव है हमें कुछ और भूमि का अधिग्रहण करना पड़े, किन्तु बहुत अधिक नहीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इन परियोजनाओं को स्थापित करने में, आसाम और उत्तरपूर्व भारत जैसे दूरस्थ स्थानों का विकास करने के प्रश्न पर विचार किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रश्न को बिल्कुल समझ नहीं पाया हूं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** देश का संतुलित विकास करने का लक्ष्य हमारे सामने होते हुए, क्या आसाम जैसे परिवहन सुविधा-विहीन क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया था जब परिवहन के विकास के बारे में इन फैक्टरियों की स्थापना के स्थान का विचार किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने सभी उचित स्थानों का विचार किया था और यह सर्वोत्तम समझा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

झिलमिला आउट एजेन्सी

†*७६. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सीमान्त पर स्थित झिलमिला आउट एजेंसी के ठेकेदार को प्रतिदिन किसी भी स्थान के लिए किसी भी सामग्री के लदान के लिए २० माल डिब्बे मिलते हैं;

(ख) जबकि उत्तर रेलवे के समस्त डिवीजनों में प्रतिबन्ध है और समस्त उत्तर रेलवे में बुकिंग तथा लदान बन्द है तो इस आउट एजेंसी को यह विशेषाधिकार कैसे मिला हुआ है;

(ग) क्या इस आउट एजेंसी में समस्त रेलवे में लागू माल डिब्बों अथवा वरिष्ठता और ओ० डब्लू० आर० प्रणाली का रजिस्टर नहीं रखा जाता है;

(घ) क्या रेलवे प्रशासन ने इस आउट एजेंसी के लिए दिल्ली को भेजे जाने वाले समान पर पूरी चुंगी और सीमाकर के भुगतान से छूट दिलाने में असाधारण प्रयत्न किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) इस समय आउट एजेंसी को वैगनों का कोई पृथक अभ्यंश आवंटित नहीं किया गया है, किन्तु २१ जुलाई, १९६१ से पूर्व २० वैगनों का एक पृथक अभ्यंश इस आउट एजेंसी को आवंटित किया गया था ।

(ख) आउट एजेंसी को संचालन संबंधी और दूसरे प्रतिबंधों का पालन करना था ।

(ग) आउट एजेंसी वैगनों के ज़ीयन का रिकार्ड रखती थी ।

(घ) और (ङ). सामान्यतया सड़क द्वारा आगे जाने के लिये रेल द्वारा दिल्ली में आने वाले यातायात पर या रेल द्वारा आगे जाने के लिये दिल्ली में सड़क द्वारा आने वाले यातायात पर, सीमान्त शुल्क दिया जाता है और बाद में सीमान्त शुल्क के तौर पर मांगी गई वापिसी उस माल पर नहीं लगाई जाती जो पारनयन की अवस्था में दिल्ली में आता है, और दिल्ली में उपयोग के लिये नहीं आता । यातायात को खेंचने और सुविधा देने के लिये रेलवे प्रशासन ने दिल्ली नगरपालिका निगम से प्रार्थना की है कि सब से पहले सीमान्त शुल्क की अदायगी और बाद में बाहर जाने वाले यातायात के बारे में उस की वापिसी लेने की औपचारिकता को दूर करे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस आउट एजेंसी को जुलाई से पहले क्यों इतने अधिक वैगन आवंटित किये गये थे और क्या यह तथ्य है कि यद्यपि व्यापारी अपने ट्रकों के द्वारा अपना माल लाया करते थे, आउट एजेंसी भाड़ा दरों के अन्दर पूरी ढुलाई लिया करती थी ?

†**श्री स० व० रामस्वामी** : प्रादेशिक रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति ने आउट एजेंसी की सिफारिश की थी और उस के अनुपनाल में आउट एजेंसी मंजूर की गई थी । बाद में, यह अभ्यावेदन किया गया था कि जब तक वैगनों का विशेष अभ्यंश न हो, आउट एजेंसी सफलतापूर्वक नहीं चल सकती थी । किन्तु बाद मे, शिकायतें की गईं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इसलिये इसको हटाया जा रहा है ।

इम्फाल में डाक टिकटों की बिक्री

†*७८. **श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६१ के अन्तिम सप्ताह के अन्दर इम्फाल के कुछ डाक कर्मचारियों को जाली टिकटों की बिक्री करन के लिये गिरफ्तार किया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने ऐसे कर्मचारी गिरफ्तार किये गये और जाली टिकटों के बेचे जाने तथा पार्सलों पर कम मूल्य के टिकट लगाने के कारण सरकारी राजस्व में कितनी राशि की हानि हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) डाक की चीज़ों से बगैर मुहर लगे अच्छे डाक टिकट निकाल लेने और उन्हें फिर से बेचने के संदेह में गिरफ्तारियां की गयी थीं ।

(ख) दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था । जाली टिकटों की बिक्री और पार्सलों पर कम मूल्य के टिकट लगाने के कारण अभी तक कोई हानि साबित नहीं हुई है ।

†**श्री लै० अचौ सिंह** : मैं उत्तर नही सुन सका । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई गिरफ्तारियां की गयी हैं ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी हां । गिरफ्तारियां की गयी हैं और मैं ने अपने मख्य उत्तर में भी यही बताया है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्या उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई शुरू की गयी है और यदि हां तो क्या स्थिति है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जांच पड़ताल की जा रही है और वह पूरी हो जाने पर मामला दायर किया जायगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है कि वे जाली टिकट कहां छापे जाते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम नहीं जानते । जांच पड़ताल की जा रही है और यदि माननीय सदस्य मुझे कोई जानकारी देना चाहें तो मैं खुशी से उसे ले लूंगा ?

†**श्री ले० अचौ सिंह** : जो कर्मचारी दोषी या इन बातों से संबंधित पाये गये हैं क्या उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी नहीं, अभी तक नहीं । मैं ने यह बताया कि जांच-पड़ताल चल रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या संसद्-सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे पुलिस की तरह काम करें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी आशा कोई नहीं करता ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने कहा "टिकट कहां छापे जाते हैं इस बारे में जानकारी उपलब्ध हो तो मुझे वह जानकारी स्वीकार कर लेने में बड़ी खुशी होगी ।"

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य के पास की कोई भी जानकारी मुझे स्वीकार करने में खुशी होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस से कोई लाभ नहीं । यदि किसी माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो तो वह माननीय मंत्री से क्यों छिपाये । जो भी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है वह माननीय मंत्री इकट्ठी करते हैं । इसके लिए माननीय सदस्य को पुलिस के तौर पर घूमने की जरूरत नहीं है । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तपेदिक के रोगी

†*८०. { श्री हेम बरुआ :
श्री गोरे :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में हैदराबाद में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की नवीं बैठक में कहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में तपेदिक के रोगियों की संख्या बढ़ जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं । फिर भी यह आशंका है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल विभिन्न क्षय रोग योजनाए कार्यान्वित करने के लिए यदि सर्वांगीण प्रयत्न न किये गये तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : किन अन्य कारणों की वजह से माननीय मंत्री को ऐसी असाधारण स्थिति की आशंका है ?

†**श्री करमरकर** : आधार स्पष्ट है : शहरों में अत्यधिक भीड़, खराब भोजन तथा अनेक दूसरी बातें जिनसे क्षय रोग बढ़ता है । यदि अधिक अच्छे प्रयत्न न किये जायेंगे तो संभव है कि रोगियों की संख्या बढ़ जाये । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्षय रोगियों की संख्या में यह वृद्धि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में होने की आशंका है ?

†**श्री करमरकर** : आजकल शहरों में बहुत अधिक भीड़ हो रही है और न केवल क्षय रोग, वरन् सभी प्रकार के रोग बढ़ने का एक कारण यह भी है । माननीय मित्र जानते हैं कि गत दस वर्षों में विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों तथा अन्य कारणों से लोग शहरों में इकट्ठे होते जा रहे हैं और जब तक उचित कार्यवाही नहीं की जायेगी, रोगियों की संख्या में वृद्धि होती जायेगी । मैंने वही आशंका व्यक्त की थी ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने क्षय रोग के बढ़ते हुए परिमाण का कारण कुपोषण, गंदगी-पूर्ण हालत आदि बताया । क्या हम जान सकते हैं कि यह बात तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करत समय प्रधान मंत्री के इस दावे से कहां तक संगत है कि स्वास्थ्य में, आवासन में सुधार हुआ है और अच्छा भोजन मिल रहा है और स्वास्थ्य का स्तर भी ऊंचा हुआ है ।

†**श्री करमरकर** : एक क्षेत्र में थोड़ी सी हानि के मुकाबले में, अन्य क्षेत्रों में सौगुनी उन्नति हुई है ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि ८०–९० प्रतिशत रोग आदिम-जाति क्षेत्रों में फैले थे ? क्या सरकार के पास कोई आंकड़े हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : यह तो अपनी अपनी राय की बात है लेकिन यदि माननीय सदस्य तीसरी योजना की रिपोर्ट देखें तो उन्हें मालूम होगा कि हम सभी उपाय कर रहे हैं और यदि सभी माननीय सदस्य इस विषय में पूरा पूरा सहयोग दें तो यह एक बड़ी अच्छी बात होगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री हमें बता सकते हैं कि तीसरी योजना में क्षय रोगियों के लिए कितने अधिक चेस्ट क्लिनिक, निःशुल्क औषधालय तथा पलंग स्थापित करने की योजना है ?

†**श्री करमरकर** : दूसरी योजना अवधि में हमने विभिन्न राज्य चिकित्सालयों को लगभग ६० क्ष-किरण और प्रयोगशाला उपकरण दिये और तीसरी योजना अवधि के दौरान २०० क्षयरोग चिकित्सालय स्थापित करने का विचार है और साथ ही अन्य उपाय भी अवश्य किये जायेंगे।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के जहाज भाड़े की दरें

†*८१. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यात किये जाने वाले माल के भाड़े की ऊंची दरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या जहाज की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मालभाड़े की ऊंची तथा भिन्न भिन्न दरों तथा नौवहन सुविधाओं की कमी के बारे में शिकायत की जांच करने के लिए सरकार ने मालभाड़ा जांच पड़ताल कार्यालय बम्बई में स्थापित किया है और उसकी एक शाखा कलकत्ते में भी होगी। वह कार्यालय सम्बन्धित सम्मेलनों में शिकायतों की छानबीन करता है। समुद्रपार व्यापार में नौवहन हितों की परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : न शिकायतों के परिणामस्वरूप क्या कोई सुधार किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : जी, हां। करीब ९६ वस्तुओं के सम्बन्ध में माल भाड़ा दरें कम कर गयी हैं और कुछ मामलों में तो वे काफ़ी कम कर दी गयी हैं। कांडला जैसे कुछ बन्दरगाहों के मामले में कांडला को और कांडला से ब्रिटेन, यूरोपीय और जापानी बन्दरगाहों तक जहाजों के लिए, बन्दरगाह से बाहर का कर भी समाप्त कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में इसी तरह की कार्यवाहियां की गयी हैं।

†**श्री दामानी** : माल भाड़े में वृद्धि की दर विदेशी और भारतीय कम्पनियों के सम्बन्ध में है या केवल विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में है ?

†**श्री राज बहादुर** : लाइनर्स कान्फरेन्स संचालन व्यय तथा इस सम्बन्ध में अन्य संगत आंकड़ों या बातों के आधार पर माल भाड़े के ढांचे में परिवर्तन करती है या उसे विनियमित करती है और वही अपनी अपनी जरूरतों को ध्यान में रख कर दर बढ़ाती है। निर्यात संवर्धन के

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने निजी हितों की दृष्टि से हमें यह देखना होता है कि वह दर असाधारण रूप से न बढ़ा दिये गये हों और जहां तक हमारे निर्यात की वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके बारे में कोई भेदभाव न किया गया हो ।

†**श्री दामानी :** क्या सरकार इन मालभाड़ा दरों में वृद्धि की प्रतिशतता हमें बता सकती है ?

†**श्री राज बहादुर :** वृद्धि की प्रतिशतता बताना मेरे लिये बहुत कठिन है क्योंकि सैकड़ों और हजारों चीजें हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के लिए और विभिन्न मार्गों पर उनकी अपनी निजी दरें हैं । यह कहना कठिन है कि सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में दरें कुछ प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि सरकार इस देश से अधिक निर्यात चाहती और यदि हां, तो क्या इस आशय का कोई सर्वसाधारण परिपत्र है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर दरों के प्रश्न का निबटारा कड़ाई से न किया जाये ?

†**श्री राज बहादुर :** अपने निर्यात संवर्धन आन्दोलन के हित में हम इस बात के लिए बहुत चिन्तित हैं कि मालभाड़ा दरें उचित रूप से विनियमित की जायें और सम्बन्धित शिपिंग लाइन्स या कान्फरेन्सेज हमारे निर्यात की वस्तुओं के प्रति किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्यवाही न क । इसीलिए हमने मालभाड़ा जांच पड़ताल कार्यालय स्थापित किया है । हमने अभी तक सभी अनावश्यक तथा अनुचित वृद्धि का विरोध किया है । वास्तव में, युनाइटेड किंगडम एण्ड कान्टिनेन्टल कान्फरेंस शिपिंग लाइन्स ने हमारे पास इन मामलों की शिकायत की थी और हमने अपनी आयात वस्तुओं के सम्बन्ध में १० प्रतिशत वृद्धि का विरोध किया था क्योंकि उससे औद्योगीकरण के हमारे प्रयत्नों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था । निर्यात वस्तुओं की भी मालभाड़ा दरें बढ़ाने के उनके प्रस्ताव का हमने घोर विरोध किया है ।

श्वेत कुष्ठ

*८२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटियाला के कुछ आयुर्वेदिक विशेषज्ञों ने, गवर्नमेंट कालेज, पटियाला के प्रिन्सिपल श्री कीर्ति शर्मा के पथ-प्रदर्शन के अधीन श्वेत कुष्ठ की सफल चिकित्सा के लिये एक औषधि खोज निकाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस औषधि की परीक्षा कर ली है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : लियुकोड्रामा जिसको कि फूल की बीमारी कहते हैं उसके वास्ते जब यह दवा उपलब्ध है तो उसकी जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने "नहीं" बताया । माननीय सदस्य "नहीं" का कारण जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** हम प्रत्येक वस्तु के लिए उनसे सलाह नहीं लेते । लेकिन मैं इस मामले में जांच करूंगा कि यह ठीक है या नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि लियुकोड्रामा जो कि फूल की बीमारी है और यह कोढ़ से भिन्न रोग है, जब उसके वास्ते यह दवा निकली है तो उस पर सरकार को गवर्नमैन्टल लेबिल पर जांच कराने में क्या दिक्कत है और वह इसमें क्यों देर कर रही है ?

श्री करमरकर : आनरेबुल मेम्बर को गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, हम उसकी जांच करवायेंगे ।

बंबई पत्तन

+

†*८५. { **श्री त० ब० बिट्ठल राव :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ अक्तूबर, १९६१ को बम्बई पत्तन पर सारा कामकाज क गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१४ अक्तूबर, १९६१ को बम्बई गोदियों में कुछ घंटों के लिए काम रोक दिया गया था जिसका कारण यह था कि अपनी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस सिपाही तथा किनारे के एक मजदूर के बीच गोदी में प्रवेश करने के लिए मजदूर द्वारा अपना पहचान-पत्र पेश न करने के मामले में कहा सुनी हो गयी थी । मजदूरों के बयान के मुताबिक, फाटक पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने पास मांगा । बताया जाता है कि मजदूर ने यह जवाब दिया कि उसके पास एक कार्ड है और वह आगे बढ़ता गया । पुलिस सिपाही ने इस बात पर जोर दिया कि वह कार्ड दिखाये और तब कहा सुनी हो गयी। तब पुलिस उसे तरन्त पुलिस स्टेशन ले गयी । उस पर उद्दण्ड व्यवहार का आ ोप लगाये जाने के बाद, परिवहन तथा गोदी कर्मचारी संघ के संगठनकर्ता द्वारा जमानत पेश की जाने पर उसे छोड़ दिया गया ।

२. इस घटना पर तटवर्ती मजदूर बिगड़ गये, उन्होंने दिन भर का काम करने से इन्कार कर दिया और येलो गेट पुलिस स्टेशन के पास बाहर धरना दिया और यह मांग करते रहे कि उस मजदूर के खिलाफ आरोप समाप्त कर दिया जाये । कर्मचारियों ने जहाजों पर काम करने वाले मजदूरों को जो पहले ही जहाजों पर थे, बुला लिया और उन्होंने माल पाने वालों के मजदूरों तथा दूसरे लोगों को गोदियों में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की ।

३. आखिर में पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप पर यह समझौता हुआ कि यदि जांच करने पर यह पता लगा कि वास्तव में गलतफहमी के कारण यह घटना हुई, जैसा कि मजदू ों का कहना है, तो यह आरोप वापिस ले लिया जायेगा । उसके बाद तुरन्त ो मजदूर काम के लिए तैयार हो गये और मध्याह्न भोजन-विश्राम के बाद गोदी में काम शुरू हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने निजी हितों की दृष्टि से हमें यह देखना होता है कि वह दर असाधारण रूप से न बढ़ा दिये गये हों और जहां तक हमारे निर्यात की वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके बारे में कोई भेदभाव न किया गया हो ।

†**श्री दामानी :** क्या सरकार इन मालभाड़ा दरों में वृद्धि की प्रतिशतता हमें बता सकती है ?

†**श्री राज बहादुर :** वृद्धि की प्रतिशतता बताना मेरे लिये बहुत कठिन है क्योंकि सैकड़ों और हजारों चीजें हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के लिए और विभिन्न मार्गों पर उनकी अपनी निजी दरें हैं । यह कहना कठिन है कि सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में दरें कुछ प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि सरकार इस देश से अधिक निर्यात चाहती और यदि हां, तो क्या इस आशय का कोई सर्वसाधारण परिपत्र है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर दरों के प्रश्न का निबटारा कड़ाई से न किया जाये ?

†**श्री राज बहादुर :** अपने निर्यात संवर्धन आन्दोलन के हित में हम इस बात के लिए बहुत चिन्तित हैं कि मालभाड़ा दरें उचित रूप से विनियमित की जायें और सम्बन्धित शिपिंग लाइन्स या कान्फरेन्सेज हमारे निर्यात की वस्तुओं के प्रति किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्यवाही न क । इसीलिए हमने मालभाड़ा जांच पड़ताल कार्यालय स्थापित किया है । हमने अभी तक सभी अनावश्यक तथा अनुचित वृद्धि का विरोध किया है । वास्तव में, युनाइटेड किंगडम एण्ड कान्टिनेन्टल कान्फरेंस शिपिंग लाइन्स ने हमारे पास इन मामलों की शिकायत की थी और हमने अपनी आयात वस्तुओं के सम्बन्ध में १० प्रतिशत वृद्धि का विरोध किया था क्योंकि उससे औद्योगीकरण के हमारे प्रयत्नों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था । निर्यात वस्तुओं की भी मालभाड़ा दरें बढ़ाने के उनके प्रस्ताव का हमने घोर विरोध किया है ।

श्वेत कुष्ठ

*८२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटियाला के कुछ आयुर्वेदिक विशेषज्ञों ने, गवर्नमेंट कालेज, पटियाला के प्रिन्सिपल श्री कीर्ति शर्मा के पथ-प्रदर्शन के अधीन श्वेत कुष्ठ की सफल चिकित्सा के लिये एक औषधि खोज निकाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस औषधि की परीक्षा कर ली है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : लियुकोड्रामा जिसको कि फूल की बीमारी कहते हैं उसके वास्ते जब यह दवा उपलब्ध है तो उसकी जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने "नहीं" बताया । माननीय सदस्य "नहीं" का कारण जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : हम प्रत्येक वस्तु के लिए उनसे सलाह नहीं लेते । लेकिन मैं इस मामले में जांच करूंगा कि यह ठीक है या नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि लियुकोड्रामा जो कि फूल की बीमारी है और यह कोढ़ से भिन्न रोग है, जब उसके वास्ते यह दवा निकली है तो उस पर सरकार को गवर्नमैन्टल लेबिल पर जांच कराने में क्या दिक्कत है और वह इसमें क्यों देर कर रही है ?

श्री करमरकर : आनरेबुल मेम्बर को गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, हम उसकी जांच करवायेंगे ।

बंबई पत्तन

+

†*८५. { श्री त० ब० बिट्ठल राव :
श्री वें० प० नायर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ अक्तूबर, १९६१ को बम्बई पत्तन पर सारा कामकाज क गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१४ अक्तूबर, १९६१ को बम्बई गोदियों में कुछ घंटों के लिए काम रोक दिया गया था जिसका कारण यह था कि अपनी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस सिपाही तथा किनारे के एक मजदूर के बीच गोदी में प्रवेश करने के लिए मजदूर द्वारा अपना पहचान-पत्र पेश न करने के मामले में कहा सुनी हो गयी थी । मजदूरों के बयान के मुताबिक, फाटक पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने पास मांगा । बताया जाता है कि मजदूर ने यह जवाब दिया कि उसके पास एक कार्ड है और वह आगे बढ़ता गया । पुलिस सिपाही ने इस बात पर जोर दिया कि वह कार्ड दिखाये और तब कहा सुनी हो गयी। तब पुलिस उसे तुरन्त पुलिस स्टेशन ले गयी । उस पर उद्दण्ड व्यवहार का आ ोप लगाये जाने के बाद, परिवहन तथा गोदी कर्मचारी संघ के संगठनकर्ता द्वारा जमानत पेश की जाने पर उसे छोड़ दिया गया ।

२. इस घटना पर तटवर्ती मजदूर बिगड़ गये, उन्होंने दिन भर का काम करने से इन्कार कर दिया और येलो गेट पुलिस स्टेशन के पास बाहर धरना दिया और यह मांग करते रहे कि उस मजदूर के खिलाफ आरोप समाप्त कर दिया जाये । कर्मचारियों ने जहाजों पर काम करने वाले मजदूरों को जो पहले ही जहाजों पर थे, बुला लिया और उन्होंने माल पाने वालों के मजदूरों तथा दूसरे लोगों को गोदियों में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की ।

३. आखिर में पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप पर यह समझौता हुआ कि यदि जांच करने पर यह पता लगा कि वास्तव में गलतफहमी के कारण यह घटना हुई, जैसा कि मजदू ों का कहना है, तो यह आरोप वापिस ले लिया जायेगा । उसके बाद तुरन्त ी मजदूर काम के लिए तैयार हो गये और मध्याह्न भोजन-विश्राम के बाद गोदी में काम शुरू हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार पुलिस सिपाही के बर्ताव के प्रश्न के सम्बन्ध में जांच करेगी, जिसके कारण उस दिन आधे दिन के लिए हड़ताल हुई ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि विवरण से मालम होगा, पुलिस ने तटवर्ती मजदूर से जिसे वह नहीं पहचानता था, पास मांगा। मजदूर ने उसे बताया कि उसके पास कार्ड है और इसी पर कुछ कहा सुनी शुरू हो गई और एक किस्म का झगड़ा हो गया। मैं इसे ऐसा कोई मामला नहीं समझता कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस सिपाही के बर्ताव की जांच की जाये। उसने पास मांगा और वह उसे मांगना ही था।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि काम की सचाई साबित हो जाने के बाद भी मजदूर को गिरफ्तार किया गया और उसे कैद में रखा गया और यदि हां, तो क्या उस मजदूर के खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** विवरण में इस प्रकार कहा गया है :

> "बताया जाता है कि मजदूर ने यह जवाब दिया कि उसके पास कार्ड है और वह आगे बढ़ता गया। पुलिस सिपाही ने इस बात पर जोर दिया कि वह कार्ड दिखाये और तब कहा सुनी हो गयी।" बाकी स्पष्ट है।

†**श्री तंगामणि :** यह एक ऐसी घटना थी जो ....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं और अधिक प्रश्नों की इजाजत नहीं दे रहा हूं। अगला प्रश्न।

हावड़ा-रांची गाड़ी दुर्घटना

+

†*८७. **श्री प्र० चं० देव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सूपकार :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री न० म० देव :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या २० अक्तूबर, १९६१ को अप हावड़ा-रांची एक्सप्रैस गाड़ी की एक भारी दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या हताहतों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). संक्षेप में दुर्घटना के तथ्य बताने वाला एक वक्तव्य कल सभा में रखा गया है।

रांची-हावड़ा रेल दुर्घटना

+

†*६१. { श्री तंगामणि :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० अक्तूबर, १९६१ को रांची एक्सप्रेस दुर्घटना ठीक ठीक किस समय पर हुई ;

(ख) विभिन्न सहायता रेलें किस समय घटना स्थल पर पहुंची;

(ग) क्या यह सच है कि किसी भी सहायता रेल में पानी, दूध और अनाज नहीं था ;

(घ) क्या यह सच है कि घाटशिला में स्थित वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारी को हिदायत दी गयी थी कि वह यात्रियों को अनुग्रहात भुगतान कर दे ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पदाधिकारी द्वारा किये गये भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) २०-१०-१९६१ को लगभग ०१.२५ बजे।

(ख) घाटशिला से . . . . ३.३४ बजे
खड़गपुर से . . . . ५.२५ बजे
टाटानगर से . . . . ६.०० बजे
चक्रधर पुर से . . . . ७.३० बजे

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) पीड़ित यात्रियों को और मृत व्यक्तियों के संबंधियों को कुल २२,१०० रुपये कृपापूर्ण अनुदान के तौर पर दिये गये हैं।

इसमें टाटानगर में दिये गये ९,००० रुपये, खड़गपुर में दिये गये १२,६०० रुपये और कलकत्ते में दिये गये ५०० रुपये भी शामिल हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : इन रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस दुर्घटना से पहले इस रास्ते से कौन सी गाड़ी गुजरी और वह कितने मिनट पहले गुजरी थी मैं यह इस लिये जानना चाहती हूं कि स्थानीय अखबारों में जो समय दिया गया है और जो समय अब सरकार बता रही है उसमें अन्तर है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री वह समय बता सकते हैं जब कि वह गाड़ी गुजरी थी ?

†श्री से० वें० रामस्वामी : वह लगभग १५ मिनट पहले गुजरी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि सहायता गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए पानी, भोजन और दवाइयां नहीं थीं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य ने कल यही प्रश्न पूछा था । अगला प्रश्न संख्या ८९ ।

बम्बई-कोंकण स्टीमर सेवा

†*८९. **श्री नौशीर भरूचा :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई स्टीमर एंड नेविगेशन कम्पनी ने बम्बई कोंकण स्टीमर सेवा बन्द कर देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने राव समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि इस सेवा के बन्द हो जाने के कारण लाखों लोगों को बड़ी असुविधा होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त स्टीमर सेवा को बन्द होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क), (ख) और (घ). जी हां ।

(ग) चूंकि राव समिति की सिफारिशें मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति के साथ साथ राज्य सरकार की सहमति भी आवश्यक होगी इसलिए इस विषय पर अभी दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है ।

(ङ) कम्पनी और केन्द्रीय सरकार के बीच अब जो बातचीत हुई है उसके फलस्वरूप कम्पनी ने अपनी नोटिस वापिस लेना और स्टीमर सेवा जारी रखना मंजूर कर लिया है ।

†**श्री नौशीर भरूचा :** क्या सरकार ने इस प्रश्न की छानबीन की है कि किराये की वर्तमान दरों से, तटीय सेवा स्टीमशिप कम्पनी को सचमुच ही हानिकारक सिद्ध होती है या यह यात्रियों से अधिक किराया लेने के लिए एक बहाना मात्र ही है ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, राव समिति नामक समिति ने संपूर्ण प्रश्न पर विचार किया है । इस सेवा के संचालन से होने वाली लाभ हानि पर उसने विचार किया है और उसकी सिफारिश के आधार पर ही किराया ८ प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है । बम्बई सरकार इस विषय पर विचार विमर्श कर रही है और वर्तमान स्थिति यही है ?

†**श्री नाथ पाई :** निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) ने सरकार से तीन प्रकार की सुविधायें मांगी थी और जब वे सुविधाएं नहीं दी गयीं तब उन्होंने यह महत्वपूर्ण लाइन ही बन्द करने की धमकी दी । समाचारपत्रों में यह कहा गया है कि उनमें से दो सुविधायें सरकार ने मंजूर कर ली

†मूल अंग्रेजी में

है । वह सुविधाएं इस प्रकार हैं : बिना ब्याज के ऋण और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था । क्या सरकार और इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच ऐसा कोई करार हुआ है कि मार्च, १९६२ के बाद किराये बढ़ाने की अनुमति कम्पनी को दी जायगी ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह भी एक शर्त है जिस पर विचार किया गया है ।

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक इन तीन शर्तों का संबंध है, किराये बढ़ाने के सवाल पर विचार हो रहा है और बम्बई सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इस बारे में चर्चा कर रही है । जहां तक ऋण देने के बारे में दूसरे प्रश्न का संबंध है, यह मान लिया गया है कि इस सेवा के लिए तीन नये जहाज खरीदने के लिए कम्पनी को कर्ज दिया जाये और यह ऋण बिना ब्याज के होगा । बम्बई सरकार उसे राज सहायता के तौर पर १.८९ लाख रुपये की रकम भी देगी ।

†**श्री नाथ पाई :** मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम उससे संबंधित हैं । यह आशंका बढ़ती जा रही है कि कम्पनी और सरकार के बीच यह करार हुआ है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक किराये में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये और मार्च, १९६२ के बाद कम्पनी को किराया बढ़ाने की पूरी छूट होगी । हम इस संबंध में माननीय मं ी से सांकेतिक आश्वासन चाहते हैं ।

†**श्री राज बहादुर :** मैं इस सुझाव का खंडन करना चाहता हूं । इस विषय पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है । किराये में वृद्धि से जनता पर जो प्रभाव पड़ेगा उस पर विचार करना है । उनकी आमदनी को भी ध्यान में रखना होगा । हमें इस पर भी विचार करना होगा कि वह वृद्धि करना अधिक लाभदायक होगा या स्वतः वह सेवा चलाना अधिक लाभदायक होगा । ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम एकाएक इनका फैसला नहीं कर सकते । इसलिए यह विषय विचाराधीन है और मैं एक बार पुनः माननीय सदस्य के आरोप का खंडन करता हूं ।

†**श्री नाथ पाई :** यह तो आशंका दूर करने का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे स्थायी राजसहायता चाहते हैं । क्या यह ठीक है ?

†**श्री नाथ पाई :** उसने वह भी दे दिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भाखड़ा बांध परियोजना के लिये दिये गये ऋणों पर ब्याज की रकम

†***५८. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाखड़ा बांध परियोजना के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज की राशि को कम करने के बारे में पंजाब सरकार की प्रार्थना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना

†*६१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी फर्म और भारतीय फर्म के बीच गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना के बारे में बातचीत पूर्ण हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यह परियोजना बड़े बड़े भारतीय नगरों में मछली के वर्तमान ऊंचे मूल्यों को किस सीमा तक कम करने के लिए बनाई गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) अभी अमरीकी फर्म और भारतीय फर्म के बीच बातचीत समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग

*६३. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने पिछले कुछ दिन पूर्व राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा है जिस में कहा गया कि सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग राजनीतिक तथा चुनाव कार्यों में न किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का पत्र भेजने का तत्काल कारण क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त मंत्रालय को यह शिकायत कई राज्यों से मिली थी कि जीपों का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों तथा विकास खंडों के क्या नाम हैं जहाँ से ऐसी शिकायतें मिली थीं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की सामान्य नीति यह है कि प्रखंडों की गाड़ियों का प्रयोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उन्नति के लिए किया जाये जिसके लिए वे ली गई हैं । यह नीति दिसम्बर, ६० में नई दिल्ली में हुई राज्यों के सामुदायिक विकास मंत्रियों की बैठक में भी दोहराई गई थी । इसके पालन के बारे में, आने वाले आम चुनाव के कारण, यह वांछनीय समझा गया कि राज्य सरकारों को सुझाया जाये कि वे पंचायतीराज संस्थाओं या सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ताल्लुक रखने वाले अन्य गैर-सरकारी निकायों द्वारा प्रखंडों की गाड़ियों का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आवश्यक अनुदेश जारी करने के बारे में विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अगरतला और आसाम को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की मालवाही विमान सेवा

†*६५. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला और आसाम भेजने के लिये लगभग ५० विमानों के भार की व्यापारिक वस्तुओं को, जिन में कपड़े की गांठें व अन्य सामान शामिल हैं, इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के मालवाही विमान पर्याप्त संख्या में न होने के कारण नहीं भेजा जा सका ;

(ख) यदि हां, तो मामले के पूरे ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :(क) से (घ). पूजा के अवसर पर भीड़ के कारण मा ा के ले जाने के लिये त्रिपुरा और आसाम को मालवाही विमानों की अधिक मांग रही । इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने उपलब्ध विमानों के साथ-साथ त्रिपुरा और आसाम को यथासंभव अधिकाधिक मालवाही विमान चलाने का प्रयत्न किया। मौसम के दौरान कारपोरेशन न गैर-अनुसूचित विमान चालकों को भी मुक्त रूप से 'गैर-आपत्ति' प्रमाणपत्र दिये ताकि वे अधिकाधिक मात्रा में माल ढो सकें ।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

*६८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली व नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिये चालू अंशदायी स्वास्थ्य योजना के बारे में जो जांच समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उस कमेटी की सिफारिशों पर क्या निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा

†*७०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का सितम्बर, १९६१ से दो महीने के अन्दर अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). हाल ही में नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसरण में अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाने के लिये राज्य सरकारों को कहने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो जाने के बाद सेवा का ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

नर्मदा के लिये नदी बोर्ड

†*७३. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच नर्मदा बेसिन के लिए एक नदी बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ मंत्रणा कर के अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस दिशा में और क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अभी इस मामले पर राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

चीनी का भारतीय पोतों में निर्यात किया जाना

†*७४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के कोटे के निर्यात के वहन में भारतीय जहाजों का कहां तक उपयोग किया गया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये भारतीय पोतों का उपयोग करने के लिये क्या प्रयत्न किए गए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सरकार ने भारतीय जहाज स्वामियों को भारत से अमरीका को भेजने के लिये चीनी के माल की उपलब्धता के बारे में और इस माल को ले जाने के टन-भार के प्रस्ताव की व्यवस्था के बारे में बतला दिया है । दि सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी ने केवल जो भारतीय कम्पनी इस माल में अभिरुचित है, समय-समय पर अपने उपलब्ध टन भार का प्रस्ताव किया है और उन्होंने जिस हद तक उनके जहाज माल ले जा सकते थे, माल उठाया । वे वाशिंगटन स्थित भारतीय सम्भरण मिशन और भारतीय चीनी मिल संघ से निरन्तर सम्पर्क बनाये हैं ताकि उपलब्ध होने पर उनके जहाज द्वारा माल का बुकिंग कराया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाजियाबाद के निकट हवाई अड्डा

*७५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद के पास बनने वाले हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति और हुई है;

(ख) इस हवाई अड्डे के लिये कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा ;

(ग) इस हवाई अड्डे के बनने पर क्या सफदरजंग हवाई अड्डे को भी स्थानान्तरित कर दिया जायेगा; और

(घ) इस हवाई अड्डे के निर्माण पर कितना व्यय होगा और कब तक यह कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) दिल्ली के करीब दूसरा सिविल एअरोम बनाने का सवाल अभी ज़ेरेगौर है ।

(ख) से (घ). सवाल ही नहीं उठता ।

कोयले की ढुलाई के लिये माल डिब्बे

†*७७. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला और अन्य अत्यावश्यक पदार्थों के सम्भरण के लिय माल डिब्बों के नियतन के बारे में विभिन्न उद्योगों द्वारा जोरदार शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि इन शिकायतों को दूर करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये वैगनों के आवंटन के बारे में समय-समय पर ज़ोनल रेलवे और रेलवे मन्त्रालय को अभ्यावेदन मिलते हैं। क्योंकि आवंटन और वैगनों का सम्भरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है, ये अभ्यावेदन सामान्यत: विशेष सहायता के लिये प्रार्थना के रूप में होते हैं ।

(ख) कोयला और अन्य वस्तुओं के लिये रेल द्वारा परिवहन में वृद्धि के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं;

(१) माल भरने वालों से रविवार को और अन्य छुट्टी वाले दिन सप्ताह के अन्य दिनों की तरह माल भरने का आग्रह किया गया है क्योंकि छुट्टी वाले दिनों में कम भरण के कारण परिवहन क्षमता को हानि अधिक होती है ।

(२) बड़ी मात्रा में कोयला ले जाने के लिये अधिक क्षमता वाले—५५ टन क्षमता वाले 'बाक्स' किस्म के माल-दिब्बे लगाये गये हैं ।

(३) विभिन्न राज्यों में प्रमुख केन्द्रों पर कोयला भण्डार खोलने का प्रश्न उठाया गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में कुछ स्थानों पर कोयला भण्डार खोले जा चुके हैं ।

(४) मई, १९६१ के बाद से दक्षिण और पश्चिम भारत को समुद्र के रास्ते १० लाख टन अतिरिक्त कोयला भेजने के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) जिन पुराने माल-डिब्बों को हटा दिया गया था, उनको ठीक करके फिर से थोड़ा माल उठाने के लिये लगा दिया गया है ।

(६) माल-डिब्बों में उनकी क्षमता से २ टन अधिक माल भरने की आज्ञा देकर माल-डिब्बों के मूल-भार में वृद्धि करने का आन्दोलन आरम्भ किया गया है ।

(७) माल-डिब्बों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है ।

(८) रेल-परिवहन पर दबाव को कम करने के लिये २४ जुलाई, १९६१ से द्वितीय श्रेणी के और निम्न श्रेणी के कोयले और पत्थर के कोयले के सड़क द्वारा परिवहन को छट दे दी गयी है ।

दिल्ली स्टेशन पर कंसेशन आर्डरों का धोखे से जोरी किया जाना

*७९. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **रेलवे** मन्त्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्टेशन पर रियायती आदेशों के धोखे से जारी करने का मामला जो विशेष पुलिस को सौंपा गया था, क्या उसकी जांच समाप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पुराने वाइकाउण्ट

†*८३. **श्री अगाड़ी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये दो पुराने वाइकाउण्टों का अन्तिम रूप से निश्चित क्रय मूल्य क्या है ;

(ख) क्या ये विमान आ चुके हैं ;

(ग) नये वाइकाउण्ट का वर्तमान मूल्य क्या है; और

(घ) नये वाइकाउण्टों के मुकाबले में पुराने वाइकाउण्ट पसन्द करने के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने ६१ लाख रुपये के मूल्य से दो वाइकाउण्टों की खरीद का करार किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में इस्तेमाल हो रहे नमने के ७०० सीरीज के वाइकाउण्टों का अब निर्माण नहीं किया जा रहा है । वाइकर्स केवल ८०० सीरीज का निर्माण कर रहे हैं । यदि वाइकर्स को ७०० सीरीज के वाइकाउण्टों का विशेष क्रयादेश दिया जाये, तो लागत प्रति विमान ५० लाख रुपये से अधिक आयेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) पुराने वाइकाउण्टों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनकी लागत कम है और लाभ यह है कि वे उसी सीरीज़ के होंगे जो कि इस समय इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में इस्तेमाल होते हैं और इस प्रकार उनके संधारण और चलाने में सुविधा रहेगी।

सीमेंट कंकरीट के स्लीपर

†*८४. **श्री गोरे :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय रेलों पर सीमेंट कंकरीट स्लीपरों का प्रयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लाइनों पर उन का प्रयोग किया गया है और कब से; और

(ग) दूसरी लाइनों पर उनका प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). जी, हां। रेलवे भारतीय परिस्थिति में कंकरीट के स्लीपरों की उनकी उपयुक्तता, टिकाऊपन और कार्य की जांच कर रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'इंण्डियन नेवीगेटर'

†*८६. **श्री सुबिमन घोष :**
श्रीमती ईला पालचौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ दिसम्बर, १९६० की 'इण्डियन सक्सेस" तथा "इण्डियन नैवीगेटर" की दुर्घटनाओं में हुई तेरह व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में न्यायिक जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह जांच किसने और कहां की है तथा उसकी मुख्य उपपत्तियाँ क्या हैं; और

(ग) उन उपपत्तियों के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाई की है या करने का विचार करती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). इस बीच कलकत्ता के चीफ़ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा एस० एस० 'इण्डियन नेवीगेटर' को हुई हानि और एस० एस० 'इण्डियन सक्सेस' के १३ व्यक्तियों की मृत्यु के कारणों के बारे में औपचारिक जांच पूरी कर ली गयी है। न्यायालय की उपपत्तियों के अनुसार एस० एस० 'इण्डियन नेवीगेटर' विस्फोट होने और फिर उसमें आग लग जाने के कारण डूबा और यह नहीं कहा जा सकता कि जहाज को हानि के लिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार था। एस० एस० 'इन्डियन सक्सेस' का कमांडर कप्तान विलियम्स दुर्भाग्य से एस० एस० 'इन्डियन सक्सेस' के चालक-मंडल के १३ सदस्यों की सुरक्षा के बारे में, जिन्हें एस० एस० 'इन्डियन नेवीगेटर' पर 'बोर्डिंग दल के रूप में भेजा गया था, भूल गया और इसके लिये उसको न्यायालय ने वणिज्यिक नौवहन अधिनियम १९५८ की धारा ३७१ के उपबन्धों के अधीन प्रतिनिन्दित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि १३ व्यक्तियों की जानें किसी की गल्ती से गयीं।

(ग) इस समय औपचारिक जांच के प्रतिवेदन का सरकार परिक्षण कर रही है।

†मूल अंग्रेजी में

बिहार और बंगाल में बिजली की कमी के बारे में सचदेव समिति की शिफारिशें

†*८८. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ :
श्री न० म० देव :
श्री पहाड़िया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार और बंगाल में बिजली की कमी के बारे में सचदेव समिति की सिफारिशों और निष्कर्षों पर विचार कर लिया है ;

(ख) सरकार ने जो सिफारिशें मंजूर कर ली हैं उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम के कामकाज तथा कुछ महीने पहले बिजली की सप्लाई बन्द पड़ जाने के कारणों की छानबीन करने के बारे में समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गयी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सचदेव समिति की सिफारिशों और उपपत्तियों पर अभी बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास में क्षय रोग रसायन चिकित्सा केन्द्र

†*९०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर चलाया गया क्षय रोग रसायन-चिकित्सा केन्द्र अक्तूबर, १९६१ तक बन्द कर देने के बारे में सरकार का निर्णय कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र का कार्यकाल और बढ़ाने के लिये कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने इस केन्द्र की अवधि १ वर्ष और बढ़ाने का फैसला किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाईकाउन्ट विमान

†*९२. **श्री मुरारका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने वाइकाउन्ट विमानों की जगह और आधुनिक तथा और बड़े जहाज चलाने के प्रश्न की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†असैनिक **उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) इस मामले का अभी इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन परिक्षण कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'फार्वर्डिंग नोट्स' का न मिलना

†*९४. **श्री बलराज मधोक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल भेजने के लिये आवश्यक "फार्वर्डिंग नोट्स" दिल्ली में विभिन्न रेलवे विभागों में आसानी से नहीं मिलते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये "नोट्स" दलालों या रेलवे कर्मचारियों के पास बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं जो उन्हें निजी तौर पर ऊंचे दाम पर बेचते हैं ; और

(ग) इस कठिनाई तथा कुप्रथा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) रेलवे प्रशासन को ऐसी किसी बात का पता नहीं चला है ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी का निर्यात

†*९५. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री श्र नारायण दास :
श्री राधा रमण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक अमेरिका तथा दूसरे देशों को कितनी चीनी भेजी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रय सरकार ने कितनी राज सहायता दी ;

(घ) किस दाम पर यह चीनी निर्यात की गयी है ; और

(ड़) इस निर्यात का देश में चीनी की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १ जनवरी से १२ नवम्बर, १९६१ तक निर्यात की गयी चीनी की मात्रा निम्न प्रकार है :

(लाख मीटरिक टनों में)

(१) अमरीका को	१.४८
(२) अन्य मंडियों को . . .	०.९०
कुल . . .	२.३८

(ख) उपरोक्त निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान ११.६ करोड़ रुपये है ।

(ग) चीनी के निर्यात में चालू वर्ष में सरकार द्वारा लगभग ५.५ करोड़ रुपये की राज-सहायता निहित थी और इस कार्य के लिये संसद द्वारा पिछले क्षेत्र में अनुपूरक अनुदान मंजूर किया गया था । लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही राज-सहायता की ठीक रकम का पता चलेगा ।

(घ) ओसतन नौतल-पर्यन्त-निशुल्क वसूली का अनुमान निम्न प्रकार है :

(रुपये प्रति मीटरिक टन)

(१) अमरीका को	५३६
(२) अन्य देशों को	४११

(ड़) जी, कोई नहीं ।

डाक तार के विभागातिरिक्त कर्मचारी

†*९६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री चन्द्रशंकर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को अपना-अपना बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त हो गया है, जिसकी सिफारिश राजन समिति ने की थी और जो सरकार ने मंजूर कर ली थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को किस दर से अपना वेतन मिला है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके संघ को मान्यता देने का निश्चय किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) बहुत से मामलों में बकाया कर भुगतान किया जा चुका है। अन्य मामलों की जांच हो रही है और उन्हें शीघ्र ही निपटा दिया जायेगा ।

(ख) विभागातिरिक्त कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में सरकारी आदेशों के अनुसार २० रुपये प्रति मास से लेकर ७२ रुपये प्रति मास तक ।

(ग) मामले की अभी तक जांच की जा रही है।

हल्दिया में बन्दरगाह

†*९७. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री अरबिन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में सहायक बन्दरगाह का बनना अब इस शर्त के पूरा होने पर निर्भर है कि विश्व बैंक इस परियोजना का अनुमोदन कर दे;

(ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के विशेषज्ञों ने परियोजना की जो रिपोर्ट तैयार की थी उस के विश्व बैंक द्वारा स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा कहा गया इंजीनियरी और जल संबंधी अध्ययन आरम्भ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो वह कब तक पूरा होगा; और

(ङ) इन अध्ययनों के करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा अपेक्षित है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). सहायक बन्दरगाह के रूप में हल्दिया का विकास करने का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। विश्व बैंक ने एक सहायक बन्दरगाह की आवश्यकता की सराहना की है और कहा है कि हल्दिया सर्वोत्त में स्थान है और साथ ही उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं कि हुगली और नदी मुख की जली समस्याओं पर और विशेषत: प्रस्तावित सहायक बन्दरगाह के स्थान और इस के उपागमन के साथ साथ गहरा पानी बनाये रखने की व्यवहारिता के बारे में, जिस के बारे में उनका विचार है कि और आंकड़े एकत्र किये जायें, व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिये एक नवीनतम जलीय अनुसन्धान विभाग स्थापित किया जाये। बैंक का यह भी विचार है कि इस स्थान पर अधिक खर्चीले इंजीनियरिंग कार्य तभी आरम्भ किये जायें जब स्थान के जलीय पहलुओं और इस के उपागमन के बारे में और स्पष्टीकरण प्राप्त हो जायें। इस ने सुझाव दिया है कि हल्दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्तन के लिये और सा थ के क्षेत्रों के लिये एक वृहत्त योजना तैयार की जाये और इस स्थान का सर्वोत्तम नक्शा प्राप्त किया जाये ।

(ग) और (घ). जलीय अनुसन्धान विभाग स्थापित करने के लिये पत्तन आयुक्तों द्वारा व्यवस्था की जा रही है । इंजीनियरी अध्ययन करने और अपेक्षित अतिरिक्त जहाज प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । यह आशा की जाती है कि इन अध्ययनों में लगभग दो वर्ष लगेंगे ।

(ङ) इंजीनियरी के अध्ययन पर ४० लाख रुपये खर्च होंगे जिन में से ३० लाख रुपये का व्यय विदेशी मुद्रा में है ।

जलीय अध्ययन विभाग की स्थापना पर कुल व्यय, विभाग को प्रथम दो वर्ष तक चलाने, भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने आदि पर व्यय समेत ९५ लाख रुपये होने का अनुमान है जिस में से लगभग ५३ लाख रुपये विदेशी मुद्रा में खर्च किये जायेंगे । जलीय और इंजीनियरी अध्ययनों पर अनुमानित व्यय का विदेशी मुद्रा का भाग अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक ऋण के रूप में मिलेगा ।

दिल्ली में रक्त बैंक संगठन

*९८. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री गोरे :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा क रेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में कितनी ऐसी संस्थायें हैं जो अस्पतालों को "ब्लड प्लाजमा" देती हैं;

(ख) इनमें से कितनों ने लाईसेंस प्राप्त किये हैं और कितनों ने नहीं ।

(ग) क्या यह नियमानुसार आवश्यक है कि प्रत्येक संस्था को इस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना चाहिये;

(घ) क्या यह सच है कि अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई क्योंकि उसे गलत किस्म का 'ब्लड प्लाजमा' एक संस्था ने दे दिया था; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि ब्लड प्लाजमा १० या १५ रुपये में यह संस्थायें लेती हैं और फिर उसे बहुत अधिक मूल्य पर बेचती हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिल्ली अथवा नई दिल्ली की किसी संस्था द्वारा अस्पतालों को ब्लड प्लाजमा देने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । किन्तु नई दिल्ली की दो संस्थायें होल ह्यमन ब्लड देती हैं ।

(ख) दोनों संस्थाय औषध अधिनियम ए ं नियमों के अधीन लाइसेंन्स प्राप्त ह ।

(ग) जी हां, रोगियों को देने के लिये जिन अस्पतालों के अपने निजी ब्लड डैंक हैं उनके अतिरिक्त शेष सभी संस्थाओं को लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है ।

(घ) एक रोगी को, जिस का नई दिल्ली के एक नर्सिंग होम में आपरेशन हो रहा था, गलत ग्रुप का होल ह्यमन ब्लड दिया गया था न कि ब्लड प्लाजमा ।

(ङ) ये संस्थायें दानियों से १० रुपये प्रति ३०० सी० सी० के हिसाब से खून लेती हैं। खून की इस यूनिट का विक्रय मुल्य ३० रुपये से ६५ रुपये तक है और कभी कभी मफ्त भी दिया जाता है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन समिति

†*९९. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत–भूटान सड़क

*१००. श्री भक्त दर्शन: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व भूटान को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसका निर्माण कार्य इससे शीघ्र पूरा न हो सकने के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

प्रदेश सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार यहां सितम्बर, १९६१ तक २५ मील की कुल लंबाई में से २२ मील की लंबाई तक जमीन समतल करने तथा रोड़ी बि छाने का काम पूरा हो गया था । उक्त तारीख तक ४१ पुलियों में से ३९ पुलियों और २७ पुलों में से २४ पुल भी पूरे हो चुके थे ।

इस काम में कुछ देरी हुई क्योंकि :

(१) इस क्षेत्र में जंगली जानवरों से भरे हुए घने जंगलों के कारण आना जाना बहुत कठिन है ।

(२) वर्ष के अधिक समय तक इस क्षेत्र की जलवायु हानिकर रहती है; और

(३) कुछ ठेकेदरों के खिलाफ आरोपित अधिक भुगतान के कारण कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी ।

अब इस काम के मार्च, १९६२ के अन्त तक पूरे होने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार फार्म समिति

†*१०१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के फार्मों संबंधी समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख). डाक तथा तार फार्म समिति की ८० सिफारिशों में स ४७ मंजूर की गई हैं; १७ नामंजूर कर दी गयी हैं और १४ पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है। उन पर निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, विभाग और डाक तथा तार निदेशालय में विचार किया जा रहा है और उन पर शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय करने की आशा है।

मिनिकाय प्रकाशस्तम्भ

†*१०२. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मिनिकाय प्रकाश-स्तम्भ के ब्रिटेन से भारत को विधिसम्मत हस्तान्तरण के मामले में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मिनिकाय प्रकाशस्तम्भ को ब्रिटेन द्वारा भारत को विधिसम्मत हस्तान्तरित करने के लिये ब्रिटेन सरकार ने करार के वैकल्पिक प्रारूप का सुझाव दिया है। इस पर सरकार विचार कर रही है।

वाइकिंग विमान

†*१०३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाईकाउन्ट विमान चालू करने के बाद जो वाइकिंग विमान सेवा से हटा लिये गये थे उनका क्या हुआ

(ख) या उनमें से कोई बेचा गया है ;

(ग) यदि हां, तो कब ;

(घ) उनकी मूल कीमत क्या थी; और

(ङ) उनका बिक्री मूल्य क्या था ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). वाइकिंग विमानों और उनके पुर्जों की बिक्री के लिये इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १२ वाइकिंग और अतिरिक्त इंजन इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भूतपूर्व एयरलाइंज से लिये गये जिन के उपक्रम कारपोरेशन ने राष्ट्रीयकरण के बाद ३१–४२ लाख रुपये की लागत पर ले लिये थे ।

(ङ) १२ विमानों और उनके सम्बन्धित पुर्जों के लिये ८ लाख रुपये ।

गहमर और चौसा स्टेशनों के बीच गाड़ियों की टक्कर

†*१०४ **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ सितम्बर, १९६१ को पूर्व रेलवे के गहमर और चौसा स्टेशनों के बीच दो मालगाड़ियों की टक्कर हुई;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना में जान तथा माल की कितनी क्षति हुई ;

(ग) उस दुर्घटना का क्या कारण था ;

(घ) क्या उस दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां ।

(ख) ३ व्यक्ति मारे गये । रेलवे सम्पत्ति को ३,७१ हजार रुपये की हानि हुई ।

(ग) गर्म एक्सल के कारण इंजन से ३८वें वैगन के बायें ट्रेलिंग जरनल का टूट जाना ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

परिवार नियोजन

†*१०५. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम से ठोस परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई तरीके अख्तियार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये तरीके किस प्रकार के हैं और उनसे क्या परिणाम निकले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, हां ।

(ख) स्वीकृति की आधारशिला बनाने, बन्ध्योकरण सुविधा, शिक्षण और अनुसन्धान समेत सेवाओं में शिक्षित करने के उपायों समेत एक चार सूत्री परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया है

†मूल अंग्रेजी में

व्यापक जागृति पैदा की गई है और लोगों ने इस कार्यक्रम को मंजूर किया है। द्वितीय योजना के आरम्भ के समय ग्राम्य क्षेत्रों में २० रुजालय थे और नगरीय क्षेत्रों में १२५ रुजालय थे। अब ग्राम्य क्षेत्रों में लगभग ३१२४ केन्द्र हैं और नगरीय क्षेत्रों में १०४२ केन्द्र हैं जहां पर परिवार नियोजन सम्बन्धी राय दी जाती है। बन्धीकरण के मामले ७,८२३ (१९५६ में) से बढ़ कर ३७९५१ (१९६० में) हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में सतारा जिले से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस में बताया गया है कि ८७ कुष्ठ रोगियों समेत एक शिविर में (३० अक्तूबर से २ नवम्बर १९६१ तक) १५०७ बन्धीकरण आपरेशन किये गये।

प्रथम योजना-काल के दौरान परिवार नियोजन में ६७ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इस समय यह संख्या ४०५५ से ऊपर है। देश भर में अनुस्थापन शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में (डेमोग्राफी, मेडिकल एन्ड बायोलोजिकल और कम्युनिकेशन) में अनुसन्धान किये जा रहे हैं।

चावल

†*१०६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने संघ सरकार से १ लाख टन सेला चावल बिहार और पश्चिम बंगाल को और १ लाख ४० हजार टन नया टूटा चावल अन्य राज्यों को निर्यात करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) क्या यह अनुमति दे दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों को हाथ का कुटा हुआ १०,००० टन सेला चावल के निर्यात की अनुमति मांगी। अनुमति दे दी गयी।

उसी प्रकार उनको पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और मैसूर को वर्ष १९६०–६१ की फसल में से ५००० टन कच्चा टूटा चावल निर्यात करने और बिहार और पश्चिम बंगाल को ४००० टन टूटा हुआ सेला चावल निर्यात करने की अनुमति दी गयी।

उर्वरकों के मूल्य

†*१०७. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार ने उर्वरकों के मूल्य घटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक निर्णय क्या किया गया है; और

(ग) मूल्यों में इस कटौती के कारण देश के उर्वरक-उद्योग को वार्षिक रूप से कितना अनुमानित घाटा होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी, नहीं। यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नौवहन उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा

†*१०८. श्री मुरारका: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन उद्योग की आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नौवहन महानिदेशक के पास कुछ विदेशी मुद्रा रखने के प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

टूंडला-फरुखाबाद रेल दुर्घटना

†*१०९. श्री मो० ब० ठाकुर:
श्री प्र० गं० देव:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री न० रा० मुनिस्वामी:
श्री कुन्हन :
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के भोगांव सैक्शन और मैनपुरी के बीच २९ अक्टूबर, १९६१ को सुबह १० बज कर ४५ मिनट पर एक रेल-दुर्घटना के फलस्वरूप १९ यात्रियों की मृत्यु हुई और ५७ घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है; और

(ग) क्या दुर्घटना की न्यायिक जांच कराई जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख). कल सभा में एक वक्तव्य दिया जा चुका है जिस में वास्तविकता बताई गई है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि लखनऊ के अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस मामले की जांच की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सितम्बर, १९६१ में ट्रेन सेवाओं में अव्यवस्था

†*११०. श्री प्र० गं० देव:
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री मो० ब० ठाकुर:
श्री अरविन्द घोषाल:
श्री पहाड़िया:
डा० सामन्त सिंहार:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६१ में इटारसी–भुसावल और इटारसी–नागपुर सैक्शनों में ट्रेन सेवायें अव्यवस्थित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्टेशनों से छूटने वाली कितनी ट्रेनों को रद्द किया गया; और

(ग) यात्रियों के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां।

(ख) पन्द्रह गाड़ियां रद्द की गयीं जिन में एक अपने लक्ष्य से थोड़ी दूर थी। दस मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों को सुविधाजनक जंक्शन स्टेशनों पर, जो उन सेक्शनों के समीप थे जहां पर दरारें पड़ी थीं, समाप्त कर दिया गया और वे वापस अप/डाउन गाड़ियों के रूप में चलीं।

प्रभावित सेक्शन पर ६२ पैसेंजर गाड़ियां रद्द की गयीं। ये गाड़ियां अपने बाकी अनुसूचित मार्ग पर नियमित रूप से चलती रहीं।

(ग) दिल्ली और मद्रास, दिल्ली और बम्बई के बीच और बम्बई और हावड़ा (इलाहाबाद के रास्ते) के बीच लम्बे रास्ते की गाड़ियों को, जिन को रद्द नहीं किया गया था, उपलब्ध दूसरे रास्ते से भेजा गया। दो अवसरों पर, उदाहरणत: १६-९-६१ को और १९-९-६१ को नागपुर से मद्रास तक संयुक्त दूसरी ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलीं।

हीराकुद जलाशय

†*१११. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **और सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद जलाशय की बाढ़-नियंत्रण क्षमता के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ग) ४० फुट के 'फ्लड कुशन' का प्रबन्ध करने के लिये, जिस की व्यवस्था जलाशय के लिये प्रारम्भ में की गई थी, क्या सुझाव दिये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित समिति द्वारा, जिस में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के मुख्य इंजीनियर एक सदस्य हैं, मामले का परीक्षण किया जा रहा है। इस समिति ने अभी अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है।

मूल अंग्रेजी में

दिल्ली–अम्बाला रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†*११२. { डा० राम सुभग सिंह:
श्री प्र० गं० देव:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रेल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के सिलसिले में २ गैंगमैन अम्बाला में २७ सितम्बर, १९६१ को गिरफ्तार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली–अम्बाला रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के तथ्य क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) गाड़ी पटरी से नहीं उतरी थी। परन्तु रेल की पटरी पर कोई चोज़ रख देने के संबंध में पुलिस ने २६-९-६१ को दो गैंगमैनों को गिरफ्तार किया था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन पर बकाया राशि का दावा

†*११३. { श्री दी० चं० शर्मा:
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा से बिजली और पश्चिमी जमुना नहर से पानी जो कि क्रमश: पिछले ३ और २ वर्ष से दिल्ली प्रशासन को दिया जा रहा है, उस के लिये पंजाब सरकार ने दिल्ली प्रशासन से बकाया राशि की जो मांग की है उसके भुगतान के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६]

पत्तन न्यास

†*११४. { श्री हेम बरुआ:
श्री दामानी:

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतौने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला, कोचीन और विशाखापत्तन जैसे तीन बड़े बन्दरगाहों पर सरकार पत्तन न्यास प्राधिकारियों की स्थापना करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो आजकल इन पत्तनों का प्रशासन किस प्रकार हो रहा है;

(ग) क्या सरकार देश के अन्य छोटे छोटे बन्दरगाहों के लिये भी इसी प्रकार के पत्तन न्यास प्राधिकारियों की स्थापना करने वाली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) सरकार विचार कर रही है कि तीनों मुख्य बन्दरगाहों पर पत्तन न्यास स्थापित किय जाने चाहिएं अथवा नहीं।

(ख) इस समय बन्दरगाहों का प्रबन्ध सरकारी विभागों के रूप में हो रहा है।

(ग) और (घ). छोटे बन्दरगाहों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। केवल आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में छोटे बन्दरगाहों के लिए पत्तन न्यास स्थापित करने का निर्णय किया है।

आसाम त्रिपुरा मीटर-गेज लाइन

†*११५. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५० मील लम्बी आसाम त्रिपुरा मीटर-गेज रेल लिंक बनाने का निर्णय अभी हाल में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी नहीं। तीसरी पंच वर्षीय योजना में कलकली घाट से धर्मनगर तक केवल १९·४८ मील लम्बी मीटर-गेज लाइन बनाई जा रही है।

(ख) कलकली घाट से धर्मनगर तक लाइन स्वीकार कर ली गई है और काम आरम्भ कर दिया गया है।

अम्बाला का ऊपरी पुल

†७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाले में उपरी पुल बनाने की योजना को अन्तिम रूप देने के संबंध में राज्य सरकार से बातचीत में और आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। पुल पर रेलवे द्वारा काम किया जा रहा है और आशा है कि जून १९६२ तक यह बन कर पूरा हो जायेगा। पुल तक आने जाने वाले रास्ते पंजाब सरकार अपने व्यय से बनायेगी।

नई-दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अधीन सड़कों के भारतीय नाम

†७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अधीन क्षेत्रों में सड़कों के भारतीय नाम करने में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : नई-दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ने निम्नलिखित सड़कों के नाम बदले हैं :—

पुराने नाम	नये नाम
१. क्वीन मैरीज़ एवेन्यू	१. पंडित पंत मार्ग
२. यार्क रोड़	२. मोतीलाल नेहरू मार्ग

एशिया राजपथ परियोजना

†८०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इकाफे के तेरह देशों में एशिया राजपथ परियोजना की क्रियान्विति में तथा इस काम को पूरा करने के लिए वित्तीय तथा प्रविधिक साधनों को इकट्ठा करने में और आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस विषय में सदस्य देशों में मतैक्य है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) एशिया राजपथ पद्धति के लिए सामान्यतः उन्हीं मार्गों को चुना गया है जो विभिन्न देशों में इस समय हैं और अब केवल यह समस्या शेष है कि जहां सड़कें नहीं हैं वहां पर सड़कें और पुल बनाये जायें तथा न्यूनतम स्तर के अनुसार सड़कों की सतह में सुधार किया जाये। धीरे धीरे जब न होगा तथा यातायात दशा सुधरेगी तब सड़कों का विकास किया जायेगा अपने क्षेत्राधिकार की सड़कों का विकास वही देश करेगा :

भारत में वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ को ही अन्तर्राष्ट्रीय राजपथ स्वीकार कर लिया गया है और हम इसका विकास अपनी आर्थिक विकास योजनाओं में पहले ही कर रहे हैं।

काम को शीघ्र पूरा करने के लिए सिफारिशें करने के लिए इकाफे सचिवालय जहां सड़कें नहीं हैं वहां की सड़कों के लिए संबंधित देशों से आंकड़े इकटठे कर रहा है।

(ख) जी, हां।

दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना

†८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में वर्षवार ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के अधीन दिल्ली को कितनी वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता दी गई है ; और

(ख) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सहायता से किन किन स्थानों पर अभी बिजली लगाई जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दिल्ली संघ क्षेत्र में ग्राम्य विद्युतीकरण का नाम दिल्ली नगर निगम के विद्युत् संभरण उपक्रम का है। उपक्रम ने कोई वित्तीय अथवा प्रविधिक सहायता दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए विशिष्टतया नहीं मांगी

†मूल अंग्रेजी में

थी। परन्तु उपक्रम की इस अवधि में वित्तीय पूंजी कार्यों के लिए १४०,०० लाख रुपये का ऋण दिया गया है। ग्राम्य विद्युतीकरण पर वर्षवार व्यय निम्न है :—

वर्ष	लाखों में रुपये
१९५६–५७	कोई नहीं
१९५७–५८	कोई नहीं
१९५८–५९	७७
१९५९–६०	४.०२
१९६०–६१	१०.१५
जोड़ पये	१४.९४ लाख

(ख) दिल्ली में ग्राम्य विद्युतीकरण का दूसरी योजना का लक्ष्य ५३ गांव था दिल्ली नगर निगम की ग्राम्य क्षेत्र समिति की सिफारिश पर कार्यक्रम में सात और गांवों को शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार कुल ६० गांव हो गये थे। इनमें से पचास गांवों में दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक बिजली लगा दी गई थी। शेष दस गांवों में से तब से ९ गांवों में बिजली लगा दी गई है। केवल एक गांव तुगलकाबाद बाकी है। इस गांव का काम भी लगभग खत्म होने को है और शीघ्र ही इसमें भी बिजली आ जायेगी।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण

†८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्राम सेवक प्रशिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में अनुसूचित जाति, आदिम जाति और स्त्री-विद्यार्थियों की कितनी संख्या है ;

(ग) ग्राम सेवक और ग्राम सेविका प्रशिक्षण के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा महिला उम्मीदवारों के चुनाव में क्या विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(घ) प्रशिक्षण अवधि में महिला प्रशिक्षणार्थियों को क्या क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ग्राम सेवक १९३। ग्राम सेविक ६०

(ख) किसी भी केन्द्र में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों से सम्बद्ध कोई उम्मीदवार इस समय नहीं है।

प्रत्येक केन्द्र में महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) ग्राम सेवकों और ग्राम सेविकाओं के १९ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिये और २ प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिये रक्षित हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रशिक्षण की अवधि में महिला प्रशिक्षणार्थियों को निम्न सुविधाएं दी जाती हैं :

१. निःशुल्क प्रशिक्षण ।

२. निःशुल्क आवास ।

३. निजी व्यय पूरा करने के लिये प्रशिक्षण अवधि में प्रति प्रशिक्षणार्थी ५० पये प्रतिमाह राजकीय सहायता ।

किसानों की भूमि प्रतिकर

†८३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटरी बनाने के लिए जिन कृषकों की भूमि अधिगृहीत की गई थी उन्हें अभी तक सरकार अथवा ऊन्झा से उनावा तक ट्रामवे का संचालन करने वाली 'गुजरात ट्रामवे कम्पनी लिमिटेड' की ओर से भूमि प्रतिकर नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे प्रशासन की ओर से कोई भूमि प्रतिकर नहीं दिया जाना है । यह ट्रामवे पूर्णतः कम्पनी के निजी उपयोग के लिये है और यदि प्रतिकर देने का प्रश्न है तो उस पर कम्पनी और गुजरात सरकार विचार करेगी ।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता है ।

बीना–भोपाल लाइन का दोहरा किया जाना

†८४. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की बीना-भोपाल रेलवे लाइन को दोहरी करने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस लाइन पर यातायात के कब प्रारम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). बीना और भोपाल के बीच ८६ मील लम्बे सैक्शन में से ३८.४५ मील लम्बी लाइन दोहरी की जा चुकी है और जनवरी १९६१ में यातायात के लिये चालू की जा चुकी है । यातायात को देखकर, औचित्य होने पर, इस सैक्शन के शेष भाग में भी दोहरी लाइन बिछा दी जायेगी ।

रेलवे के सामान की चोरी

†८५. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कम्पार्टमेंटों से रेलवे के समान की चोरी में हाल ही में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन महीनों में इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औरंगाबाद स्टेशन के लिये मास्टर प्लान

†८६. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के औरंगाबाद स्टेशन के लिये मास्टर प्लान तैयार किया गया है

(ख) यदि हां, तो यह कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

उड़ीसा के लिये उर्वरक

†८७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में उर्वरक के लिये केन्द्र द्वारा उड़ीसा को कितना कोटा निर्धारित किया गया है ; और

(ख) इस मद के अन्तर्गत कुल कितनी रकम की मांग की गई थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). उड़ीसा द्वारा मांगे गये और उक्त राज्य को १९६०–६१ में निर्धारित उर्वरक की मात्राएं इस प्रकार हैं :

उर्वरक का नाम	मांग	आवंटन (टन में)
अमोनिया सल्फेट	३९,०००	१७,४५०
यूरिया . .	—	—
अमोनियम सलफेट नाइट्रेट	१,०००	१,५००
केलशिया अमोनियम नाइट्रेट	१०,३००	२,०००
सलफेट अमोनियम के रूप में कुल मात्रा	५०,०००	२१,४००

परिवार नियोजन

†८८. **श्री चुनी लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैट्रिक पास प्रौढ़ विवाहित स्त्रियों को, जिन्हें सामाजिक कार्यों में रुचि हो, ग्राम्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन का काम करने के लिये प्रशिक्षण देने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्योरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मैट्रिक पास प्रौढ़ विवाहित स्त्रियों को , जो समाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं, ग्राम्य क्षेत्रों में काम करने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये निम्न तीन केन्द्रों में भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया गया है : —

(१) मातृ सेवा संघ नार्थ अमनाजरी रोड, नागपुर ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) आंध्र महिला सभा नर्सिग होम और फ्री डिस्पेंसरी, अडियार, मद्रास ।

(३) कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल ,इलाहाबाद ।

प्रशिक्षण के अन्तर्गत शरीर विज्ञान, गृह-विज्ञान, स्वच्छता और पोषण, प्राथमिक नर्सिग, गृह-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और परिवार नियोजन में प्रशिक्षण सम्मिलित है ताकि परिवार नियोजन, प्राथमिक नर्सिंग, प्रसूति के पूर्व और उत्तरवर्ती देखरेख, सामाजिक दृष्टिकोण की टेक्नीक तथा समाज कल्याण कार्य का उन्हें ज्ञान हो सके । इसके लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास है परन्तु प्राथमिकता उन्हें दी जाती है जो इण्टर पास अथवा ग्रेजुएट हों । विवाहित स्त्रियों और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है ।

यह प्रशिक्षण एक वर्ष की अवधि के लिये है । प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में ७५ रुपये प्रति मास दिया जाता है और उन्हें यह वचन देना होता है कि वे कम से कम तीन वर्ष तक ग्राम्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन क्लिनिक्स में काम करेंगें ।

योग अभ्यास

†८९. **श्री चुनी लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को योगाभ्यास के लिये उत्साहित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रयोगात्मक परिणामों पर यह प्रोत्साहन आधारित है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) योगाभ्यास मानव शरीर की गति और मुद्राओं पर निर्भर है । इसके लाभदायक परिणाम सदैव ही सिद्ध माने गये हैं और सरकार इस सम्बन्ध में प्रयोगात्मक कार्यवाही की आवश्यकता अनुभव नहीं करती है ।

डाकखानों में चैक प्रणाली

†९०. **श्री चुनी लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन डाकखानों में बचत खातों में चैक जारी करने की प्रणाली सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध है ; और

(ख) सरकार इस सुविधा को देश के अन्य डाकखानों में कब तक उपलब्ध करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) आसाम के कुछ सब-आफिसों को छोड़ कर बचत बैंक का काम करने वाले सभी हेड आफिसों और विभागीय सब-आफिसों में ।

(ख) आसाम के शेष सब-आफिसों में यह शीघ्र ही प्रारम्भ कर दी जायेगी । फिलहाल केवल शाखा डाकखाने ब्रान्च पोस्ट आफिस और विभागातिरिक्त उप डाकखाने (एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब-पोस्ट आफिस) ही इस योजना के बाहर हैं ।

एकीकृत लोक स्वास्थ्य और बेसिक नर्सिंग कोर्स

†९१. **श्री चुनी लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन ट्रेनिंग स्कूलों के नाम जिनमें बेसिक नर्सिंग कोर्स के साथ एकीकृत लोक स्वास्थ्य कोर्स का उपबन्ध है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रशिक्षण के पश्चात् नर्स लोक स्वास्थ्य नर्स और सामान्य नर्स कहलायेंगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) एकीकृत लोक स्वास्थ्य नर्सिंग कोर्स के उपबन्ध वाले ट्रेनिंग स्कूलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ख) प्रशिक्षण के पश्चात् इन नर्सों की सामान्य नर्स समझा जायेगा, लोक स्वास्थ्य नर्स नहीं। इसका उद्देश्य यह है कि लोक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण देकर सब नर्सों को लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, कार्य करने के योग्य बनाया जा सके ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो

†९२. **श्री चुनी लाल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में अब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें (उनके मूल्य सहित) प्रकाशित की गयी हैं अथवा प्रकाशित की जा रही हैं ; और

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा चलाये गये स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकालय का कौन और किन परिस्थितियों में उपयोग कर सकता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अपेक्षित जानकारी अनुबन्ध संख्या १ और २ में दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८]**

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का पुस्तकालय बन रहा है। इस समय इसका ब्यूरो के कर्मचारियों, प्रशिक्षार्थियों और अनुसन्धानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

तृतीय योजना में मछलियों का उत्पादन

†*९३. **श्री न० म० देव:**
श्री वारियर:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिये कितनी धन-राशि मंजूर की गयी है;

(ख) कौन सी योजनायें तैयार की गयी हैं; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यवार आवंटन क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में मत्स्य-पालन के विकास के लिये कुल २८.६४ करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गयी है। इसमें २१.९२ करोड़ रुपये राज्य की योजनाओं के लिए और ६.७२ करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिये शामिल है ।

(ख) मत्स्य-पालन विकास के लिये योजनायें मुख्यत: निम्न प्रकार हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) समुद्रीय मत्स्य-पालन का विकास

इसके अधीन मछली पकड़ने के जहाज़ों का यंत्रीकरण, मछली पकड़ने के सामान का संभरण, मछलियों को रखने के भंडार बनाना, उतारने और चढ़ाने की सुविधायें, मछलियां साफ़ करने के यार्ड, मछली उपोत्पाद, मछलियों को डिब्बों में बन्द करने के संयंत्र, रेल और सड़क से मछलियों को भेजा जाना, समन्वेषणात्मक मत्स्य-पालन, प्रमुख और वाणिज्यिक मत्स्य-पालन और औद्योगिक एकक सम्बन्धी योजनायें शामिल हैं ।

(२) अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन का विकास

'अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन' के अधीन शामिल किये गये कार्यक्रम, मछली पकड़ना, परित्यक्त मत्स्य-पालन का विकास, झील और नदी में मत्स्य-पालन का विकास और समन्वेषण, मछली रखने के भंडार बनाना, उत्पादन वाले पानी का सर्वेक्षण, मत्स्य फार्मों का प्रदर्शन और मत्स्य बीज उत्पादन का विस्तार, के बारे में हैं ।

(३) अनुसंधान, प्रशिक्षण, सहकारिता और सामाजिक-आर्थिक योजनायें

इस शीर्ष के अधीन कार्यक्रम, मत्स्य पालन सहकारी समितियों को सहायता, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मछली बाज़ार, आवास, फीडर सड़कें और मत्स्य पालन स्कूलों के बारे में हैं।

(ग) वर्ष १९६१-६२ के लिये मत्स्य-पालन योजनाओं के लिये निधि का राज्य-वार आवंटन निम्न प्रकार है :

राज्य (रुपये लाखों में)

राज्य	१९६१-६२
१. आन्ध्र प्रदेश	३६·५६
२. आसाम	९·००
३. बिहार	८·००
४. गुजरात	१८·००
५. महाराष्ट्र	५४·०५
६. केरल	४३·५४
७. मध्य प्रदेश	९·४५
८. मद्रास	३२·८४
९. मैसूर	१८·००
१०. उड़ीसा	२७·५७
११. पंजाब	१०·२३
१२. राजस्थान	५·४०
१३. उत्तर प्रदेश	१२·९०
१४. पश्चिमी बंगाल	२३·००
१५. जम्मू तथा काश्मीर	६·७४
१६. दिल्ली	३·६९
१७. हिमाचल प्रदेश	१·५५
१८. मनीपुर	१·५२
१९. त्रिपुर	३·७७

†भूल अंग्रेजी में

राज्य	(रुपये लाखों में) १६६१-६२
राज्य	
२०. नेफा	१·००
२१. नागा पहाड़ी–तुएनसांग क्षेत्र	०·६४
२२. अन्दमान और निकोबार	१·७३
२३. लक्कदीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह	३·०४
२४. पांडोचेरी	१·०५

कोचीन पत्तन

†६४. **श्री न० म० देव :**
श्री वारियर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कोचीन पत्तन के विकास के लिये कुल कितनी धन-राशि मंज़ूर की गयी;

(ख) वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गयी;

(घ) कौन सी योजनायें क्रियान्वित की गयीं और कौन सी योजनायें क्रियान्वित नहीं की गयीं; और

(ङ) सभी योजनाओं को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) द्वितीय योजना में ५००.२० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

(ख) ३३८·४८ लाख रुपये ।

(ग) ६०·०० लाख रुपये ।

(घ) और (ङ). एक नोट संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६]**

परिवार नियोजन

†६५. **श्री प्र० गं० देव ।**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने हैदराबाद में सितम्बर, १६६१ में हुई अपनी बैठक में बड़े पैमाने पर बन्ध्यीकरण का सुझाव दिया; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने हैदराबाद में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि "बन्ध्यीकरण कार्यक्रम को गहन रूप दिया जाये ।"

भारत सरकार ने बन्ध्यीकरण कार्यक्रम के लिये राज्य सरकार को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है ।

बन्ध्यीकरण कार्यक्रम के लिये भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता की मुख्य बातें और शर्तें निम्न प्रकार हैं :

(१) आपरेशन पति और पत्नी, दोनों की राज़ी से गुणों के आधार पर किया जाता है ।

(२) आपरेशन निःशुल्क किये जाते हैं ।

(३) आपरेशन किये जाने वाले व्यक्तियों को वास्तविक एक व्यक्ति का वापसी बस का किराया देकर या अगर वहां बससेवा की व्यवस्था नहीं है घर से अस्पताल तक और वापस अस्पताल से घर तक का अन्य परिवहन के साधनों का एक व्यक्ति का वापसी किराया देकर निःशुल्क परिवहन सुविधायें दी जाती हैं ।

(४) स्त्रियों तथा पुरुषों का बन्ध्यीकरण आपरेशन करने के तरीके में डाक्टरों को प्रशिक्षण देने के लिये अध्यापन चिकित्सा संस्थाओं के कर्मचारी बढ़ाये जा रहे हैं । इन संस्थाओं में केवल राज्य सरकार के डाक्टरों को ही नहीं अपितु स्थानीय निकायों और ऐच्छिक संस्थाओं के डाक्टरों को और निजी रूप से प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों को, जिनके पास पर्याप्त सर्जिकल व्यवस्था है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(५) तालुक स्तर तक अस्पतालों के कर्मचारियों को निम्नलिखित तरीके पर बन्ध्यीकरण आपरेशन के लिये बढ़ाया जा रहा है :

पद नाम	संख्या	लागत की अधिकतम सीमा जहां तक केन्द्रीय सहायता मिलेगी
मेडिकल आफिसर . . .	१	५,००० रुपये
आपरेशन थियेटर नर्स .	१	२,००० रुपये
आपरेशन थियेटर अटेन्डेंट	२	३,००० रुपये
आपात		५०० रुपये
	कुल .	१०,५०० रुपये

(६) इस समय डिवीजनल स्तर पर चलते फिरते सर्जिकल यूनिटों की व्यवस्था की जा रही है ।

सड़क परिवहन निगम

†१६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल और राजस्थान

†मूल अंग्रेजी में

की सरकारों पर सड़क परिवहन निगम स्थापित करने के लिये डाले गये दबाव का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित राज्यों को उनकी राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन उपक्रमों की व्यवस्था के लिये सड़क परिवहन निगम स्थापित करने को कहा गया। इसके उत्तर में, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने बताया कि वे इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। केरल और राजस्थान की सरकारें भी इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही हैं। मद्रास सरकार ने बताया है कि जब वह राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार के कार्य पर विचार करेंगे, तभी सड़क परिवहन निगम की स्थापना पर विचार किया जायेगा। आसाम सरकार से अन्तिम उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

पाक जलडमरू मध्य[1]

†६७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आज कल श्रीलंका का चक्कर लगा कर जहाजों का आना जाना रोकने के लिये पाक जलडमरू मध्य को गहरा करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) इस योजना की अभी जांच की जा रही है। जांच कार्य में कुछ समय लगेगा क्योंकि उस में जलवर्णना सर्वेक्षण, प्रदेश में लहरों और तूफानों का अध्ययन और मिट्टी की हालत का अध्ययन करने के लिये समुद्र में और पृथ्वी पर परीक्षात्मक छिद्रण शामिल हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में वन

†६८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में वनों के विदोहन के लिये एक योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) 'लगुड़-निर्माण का यंत्रीकरण' और 'लगुड़-निर्माण और कृत्रिम पुनरुद्धार के आधुनिक तरीके अपनाना' सम्बन्धी योजनाओं के लिये अस्थायी तौर पर ६० लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गयी है।

(ख) अभी योजनाओं का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Palk Straits.

मचकुण्ड परियोजना

†९९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मचकुंड परियोजना के जालापट बांध की ऊंचाई बढ़ा कर पैदा की जाने वाली अतिरिक्त बिजली को बांटनेके प्रश्न पर उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों में अब तक कोई समझौता हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो वे इसको किस प्रकार बांटेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) उत्तर नकरात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में कृषि विश्वविद्यालय

†१००. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से राजी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यह विश्वविद्यालय चलाने के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है अथवा देगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यदि कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भारत सरकार ने मंजूर कर ली और इस को राज्य सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया तो इसको अनावर्ती व्यय का ७५ प्रतिशत तक और आवर्ती व्यय का २५ प्रतिशत तक अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता मिलेगी ।

सुकिन्द दैतारी खान क्षेत्रों के लिये रेल-सम्पर्क

†१०१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सुकिन्द दैतारी खान क्षेत्रों से खड़गपुर से कटक तक मुख्य लाइन तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये तृतीय योजना में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है;

(ख) इस रेलवे लाइन की प्रस्तावित लम्बाई क्या है; और

(ग) इस से कलकत्ता के रास्ते, हल्दिया में प्रस्तावित पत्तन और परादीप पत्तन, लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) उड़ीसा में सुकिन्द । दैतारी खान क्षेत्रों से खड़गपुर से कटक तक मुख्य लाइन तक रेलवे लाइन के निर्माण के तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। खड़गपुर-कटक मुख्य लाइन से सुकिन्द में टोमका तक रेलवे लाइन पर लगभग २.५० करोड़ रुपये लागत आयेगी और इसको दैतारी तक बढ़ाने पर ४.३२ करोड़ रुपये और लागत आयेगी। तृतीय योजना में इस लाइन पर किया जाने वाला कोई भी खर्च तृतीय योजना में नई लाइनों के निर्माण के लिये निर्धारित १४७ करोड़ रुपये की कुल रकम से किया जायेगा।

(ख) टोमका तक लगभग १७ मील। इस को दैतारी तक बढ़ाने पर लगभग १८ मील और नई लाइन बिछानी पड़ेगी।

(ग) वर्तमान योजनाओं के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि परादीप पत्तन के रास्ते लगभग ५ लाख टन का निर्यात किया जायेगा और कलकत्ता के रास्ते ७-८ लाख टन का और निर्यात किया जायेगा जिस से हल्दिया पत्तन बनने पर १५ से २० लाख टन तक की वृद्धि हो जायेगी हल्दिया के रास्ते २० लाख टन के निर्यात के लिये जखपुरा-खड़गपुर के बीच रेलवे लाइन पर और कार्य करना पड़ेगा।

सुकिन्द परादीप परियोजना

†१०२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उड़ीसा सरकारत को अपनी सुकिन्द-परादीप परियोजना क्रियान्वित करने के लिये मंत्रणा देने के लिये विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिये उड़ीसा सरकार को अधिकार दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या अभ्यावेदन किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये विशेष अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिये राज्य सरकार की इस प्रार्थना से सहमत हो गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा ये अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ किन शर्तों पर नियुक्त किये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने परादीप पत्तन परियोजना का नमूना बनाने और परियोजना की क्रियान्विति की देख भाल करने के लिये विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की संभावनाओं पर भारत सरकार से परामर्श किया।

(ग) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि इस कार्य के लिये विदेशी परामर्शदाता नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

†१०३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधारमण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सितम्बर, १९६१ में हुई बैठक में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस में किस प्रकार के निर्णय और सिफारिशें की गई;

(ग) क्या की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विचार का क्या परिणाम हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी :

(१) तीसरी पंचवर्षीय स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के उपाय;

(२) राज्यों के स्वास्थ्य निदेशालयों की शक्ति बढ़ाने की वांछनीयता जिस से वे चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्रों के बढ़ते हुए कार्यों की ओर पर्याप्त ध्यान दे सकें ।

(३) राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण ताकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सम्मिलित करके, के संवर्धन के लिये योग्य कर्मचारी आकृष्ट हो सकें ; और

(४) तपेदिक विरोधी कार्यक्रम की प्रगति का पुनरीक्षण करने और उस के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये कदमों का सुझाव देने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों पर निर्मित की गई समिति की सिफारिशें ।

(५) मैडिकल ग्रेजुएटों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य प्रैक्टिस करने से संबंधित प्रस्ताव । बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किये गये :

संकल्प संख्या १ से १५ :

[पुस्तकालय में रखी गए । देखिये संख्या एल० टी० ३३०१/६१]

(ग) और (घ). की गई सिफारिशें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

जमुना ब्रिज पर पैदल चलने वालों के लिये रास्ता

†१०४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने जमुना ब्रिज के दोनों तरफ तोड़े वाले रास्तों (केन्टीलिवर्ड पासेज[1]) के निर्माण के लिये योजना और प्राक्कलन तैयार करने के लिये आवश्यक शुल्क जमा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना और प्राक्कलन तैयार हो गए हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या मोटरगाड़ियों के यातायात वाली सड़क की मरम्मत हो गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). प्रस्ताव पैदल चलने वालों के लिये पुल के डाउन लाइन के गार्डरों से बाहर की ओर ६ फुट चौड़ा 'केन्टीलिवर्ड' फुटपाथ बनाने का है,

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Centilevered passes.

दोनों ओर नहीं। इसका अनुमोदन दिल्ली नगर निगम द्वारा अक्टूबर, १९६१ में ही किया गया है। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग ४.७० लाख रुपए है। रेलवे प्रशासन ने दिल्ली निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर से योजना और विस्तृत प्राक्कलन की तैयारी की लागत के लिये आवश्यक पेशगी की व्यवस्था करने के लिये कहा है।

(घ) सड़क का तल ठीक कर दिया गया है और शीघ्र ही बिटुमैन भी बिछा दिया जाएगा। यह कार्य करने के लिये सड़क को अपलाइन पर बन्द करने के प्रश्न के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के साथ लिखा पढ़ी चल रही है।

बीमाशुदा लिफाफे का लापता हो जाना

†१०५. **श्री मुहम्मद इलियास : क्या परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा पोस्ट आफिस से २३ मई, १९५९ को श्री राम स्वरथ चौबे, ग्राम बसही, डाकखाना जुश्रीशेसतिर पट्टी, जिला आजमगढ़ के नाम श्री रामसूरत चौबे, ९ दुर्गा-दास कुटी लेन, हावड़ा द्वारा भेजा गया १०० रुपए का बीमा शुदा पत्र संख्या ६४४ अभी तक नहीं पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) हां, श्रीमान्। प्रेषक का बीमा शुदा राशि का दावा तय किया जा चुका है।

(ख) बीमा शुदा पत्र डिलीवरी के कार्यालय के ब्रांच पोस्ट मास्टर द्वारा उस व्यक्ति के, जिसे वह पत्र भेजा गया था, जाली हस्ताक्षर करके ले लिया गया था। इसका पता प्रेषक द्वारा की गई शिकायत प्राप्त होने पर लगा। अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

डाक में प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं का गुम होना

†१०६. **श्री अमजद अली : क्या परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को से भेजी गई बहुत सी मूल्यवान पुस्तकालय की पुस्तकें और पत्रिकायें तथा प्रकाशन डाक में प्रायः खो जाती हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों के पास नहीं पहुंचती हैं;

(ख) यदि हां, तो डाक में खोई ऐसी पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रकाशनों का मूल्य क्या है जिन के सम्बन्ध में १९६० में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों के नुकसान की पूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

†मूल अंग्रेजी में

हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की अपीलें

†१०७. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में विचाराधीन पड़ी हुई उन लोगों से सम्बन्धित अपीलों का निपटारा किया जा चुका है जिन्होंने जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो १ सितम्बर, १९६१ को कितनी अपीलें विचारार्थ पड़ी हुई थीं; और

(ग) १ नवम्बर, १९६१ तक कितनी अपीलें निपटाई गईं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से हटाए जाने के विरुद्ध केवल एक कर्मचारी से ऐसी अपील बोर्ड को प्राप्त हुई थी। यह अपील २९-९-६१ को प्राप्त हुई थी और बोर्ड के विचाराधीन है।

एकाउण्ट विभाग के क्लर्क

†१०८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाउण्ट विभाग के क्लर्कों के सम्बन्ध में एक व्यक्ति के न्यायाधिकरण का पंचाट क्रियान्वित किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने पंचाट स्वीकार कर लिया है ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). सरकार ने एकाउण्ट विभाग के क्लर्कों के सम्बन्ध में एक व्यक्ति न्यायाधिकरण के पंचाट का जगन्नाधदास वेतन आयोग के प्रतिवेदन की दृष्टि से अध्ययन किया है और सरकार ने न्यायाधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिक

†१०९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों को १९६०-६१ में १९५९-६० की अपेक्षा अधिक लाभ हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो वर्षों में अर्जित लाभ कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). सूचना उपलब्ध नहीं है। कारखानों के लेखे वर्ष भिन्न भिन्न होते हैं जो ३१ मार्च से ३१ अक्टूबर तक समाप्त होते हैं। समवाय अधिनियम, १९५६ जैसा कि हाल में संशोधित किया गया है, की धारा २१० में सन्तुलन पत्रों के पूरा करने के लिये लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् ६ महीने का समय दिया गया है और कभी कभी समवायों के रजिस्ट्रार द्वारा समय बढ़ाने की मंजूरी भी दी जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम हड़ताल में नौकरी से निकाले गये कर्मचारी

†११०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन समस्त कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा चुका है जिनको १९६० की ग्राम हड़ताल के दौरान अथवा उसके पश्चात् नौकरी से अलग कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, उनमें से कितनों को फिर से नौकरी में ले लिया गया है;

(ग) कितने अभी तक मुअत्तल हैं ;

(घ) कितनों की अपीलें खारिज कर दी गई हैं; और

(ङ) कितने मामले अभी तक संघ लोक सेवा आयोग में विचाराधीन हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायण)**: (क) जी नहीं, कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं ।

(ख) ९५८ ।

(ग) ७ ।

(घ) १५ ।

(ङ) ३ ।

यात्रा अभिकरण

†१११. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से यात्रा अभिकरण यात्रा रियायतों का विज्ञापन निकालते हैं परन्तु अपने वचनों को पूरा नहीं करते हैं और यात्रियों को विदेशों में कठिनाइयां होती हैं ;

(ख) क्या हाल में ऐसे अभिकरणों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मान्यता प्राप्त यात्रा अभिकरणों की संख्या क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). पर्यटन विभाग द्वारा मान्य यात्रा अभिकरणों के सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायतें सरकार की नजर में नहीं आई हैं । परन्तु ज्ञात हुआ है कि पुलिस विभाग दिल्ली के किसी अमान्य यात्रा अभिकरण के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है जिसकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट किया गया था ।

दुर्गम क्षेत्र समिति

११२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गम क्षेत्र समिति की सिफारिशों पर प्रत्येक राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है, क्या उस पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) स्वयं केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में कौन से कदम उठाये हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) दुर्गम क्षेत्र समिति की "गोपनीय' रिपोर्टों को छोड़ कर, समस्त रिपोर्ट संसद् पुस्तकालय में हैं। राज्य सरकारों/प्रशासनों ने इन सिफारिशों के आधार पर योजनायें बनाई हैं और योजना की अवधि में कार्यान्वित करने के लिये उनको अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल कर लिया है। इसलिये प्रत्येक सिफारिश पर हुई कार्यवाही का एक विवरण तैयार करना मुमकिन नहीं है।

(ख) दुर्गम क्षेत्र समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों/केन्द्रीय शासित प्रशासनों को करना है और यदि आवश्यकता हो तो वे केन्द्रीय सहायता और तकनीकी सलाह के लिये ऐसी योजनाओं को केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग को भेज सकते हैं।

बर्मा के लिये भारतीय डाक्टर

११३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीमती मैमूना सुलतान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा सरकार के अनुरोध पर बर्मा को भारतीय डाक्टर भेजने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : बर्मा एवं भारत सरकार के बीच बर्मा में सेवार्थ डाक्टरों के निबन्धन और प्रतिबन्ध से सम्बन्धित एक समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस समझौते के अधीन बर्मा सरकार को १०४ भारतीय डाक्टरों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है।

गढ़मुक्तेश्वर पर पुल

११४. **श्री भक्त दर्शन : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़मुक्तेश्वर के समीप गंगा नदी पर जो सड़क का पुल बनाया जा रहा था, क्या उसका निर्माण इस बीच सभी दृष्टियों से पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण पर कुल कितना समय लगा और कुल कितना धन उस पर व्यय हुआ ; और

(ग) उस पुल पर नियमित व बाधाविहीन यातायात कब शुरू किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) इस पुल के मुख्य भाग के निर्माण में ३ वर्ष ५ महीने लगे। अक्तूबर १९६१ के अंत तक इस पर लगभग ६६ लाख रुपये खर्च हुए।

(ग) ३०-११-६१ से।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बलीयासन और आबू रोड़ स्टेशनों पर ठेके

†११५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अम्बलीयासन और आबू रोड तथा अन्य स्थानों के मूल ठेकेदार मेसर्स जननीदास एण्ड कम्पनी तथा पो० डो० घट्टो एण्ड कम्पनी के कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों को उनके नाम अथवा उनके संबंधियों के नाम से ठेके दिए जाते हैं यद्यपि उन्होंने प्रशासन के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमेबाजी की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सिद्धपुर में प्रतीक्षालय

†११६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिद्धपुर रेलवे स्टेशन में नवनिर्मित तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय की छत से बहुत अधिक पानी टपकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). नवनिर्मित तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय में तनिक भी पानी नहीं टपकता है । ए० एस० एम० के कार्यालय में पानी टपकने की कुछ शिकायत उत्पन्न हुई थी परन्तु उसकी तुरन्त मरम्मत कर दी गई ।

छोटी सिंचाई योजनाएं

†११७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के छोटे सिंचाई कार्यों संबंधी अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस दिशा में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में छोटी सिंचाई के लिए कुल आवण्टन राज्य-वार कितना है और यह आवण्टन किस आधार पर किया जाता है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तीसरी योजना अवधि में छोटी सिंचाई के कार्यक्रम की गति को, प्रविधिक और संगठन पक्ष को दृढ़ करके और उपयुक्त सर्वेक्षण करके, बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की समस्त राज्य सरकारों के साथ अक्टूबर, १९६१ में बंगलौर, नई दिल्ली और भुवनेश्वर में हुए तीन प्रादेशिक छोटी सिंचाई सम्मेलनों में चर्चा की गई थी ।

(ख) एक विवरण जिसमें छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष १९६१–६२ के राज्य-वार आवण्टन दिखाए गए हैं, संलग्न है, **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]** सामान्यतः आवण्टन विभिन्न विकास शीर्षकों के अन्तर्गत संसाधनों और आवश्यकताओं, प्रमुख उद्देश्यों, लक्ष्यों और अग्रिमताओं के आधार पर किए जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेन्दरा स्टेशन पर प्रकाश की व्यवस्था

†११८. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के सेन्दरा स्टेशन पर, जहां कि दिल्ली मेल सांयकाल ७.३० बजे के लगभग १५ मिनट के करीब ठहरती है और यात्री अपना भोजन लेते हैं, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वहां पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारी

†११९. **श्री बलराज मधोक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में डाक तथा तार विभाग के कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को रहने की जगह दी गई हैं ; और

(ग) शेष को रहने के क्वार्टर देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायण) :** (क) ११,४९३ ।

(ख) १,६९६ ।

(ग) ४८ मकान बनाए जा रहे हैं । १,०१२ और मकान बनाने के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं । उनके तीसरी योजना अवधि में बन जाने की आशा है ।

हल्दिया-खड़गपुर रेल सम्पर्क

†१२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया-खड़गपुर रेल सम्पर्क के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख) . हल्दिया पत्तन का नई रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना के रेलवे कार्यक्रम में सम्मिलित है । लाइन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण चालू कार्य के दिनों में करने का प्रस्ताव है ।

आयुर्वेदिक और यूनानी औषध

†१२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०० के उत्तर के संबंध

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि डिब्बों और शीशियों आदि के ऊपर आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों और दवाइयों का नुस्खा लिखने के लिये जो कार्रवाई की गई है या की जाने का विचार किया गया है उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : औषध अधिनियम के अधीन आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों का नियंत्रण करने के प्रश्न पर अभी सरकार विचार कर रही है ।

व्यास परियोजना प्रतिवेदन

†१२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में पंजाब सरकार ने क्या अग्रेंतर प्रगति की है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ब्यास परियोजना का इकाई संख्या १ (अर्थात् ब्यास-सतलुज नहर) संबंधी परियोजना का प्रतिवेदन पंजाब सरकार से प्राप्त हो चुका है और उसका परीक्षण किया जा रहा है । इकाई संख्या २ (अर्थात् ब्यास बांध) संबंधी संशोधित परियोजना प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) इकाई संख्या १ संबंधी परियोजना प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण पहलू नीचे दिये जाते हैं :—

(क) भाग

(१) पांदोह बांध

यह नींवों के ऊपर २१० फुट ऊंचा सीधी ग्रैविटी वाला केन्क्रीट का बांध होगा । यह नदी तल से १४० फुट ऊपर और ऊपर की क्रैस्ट २९०० ई० एल० होगी । चोटी पर इसकी लंबाई ९१० फुट होगी । यह एक जलाशय बनायेगा जो नदी के ऊपर की ओर पांच मील तक होगा, जिसकी कुल क्षमता १४४०० एकड़ फुट होगी । इसके अन्दर ३२३ एकड़ भूमि आ जाएगी जिसमें से १२४ एकड़ कृषि योग्य भूमि है ।

(२) **पांदोह—बग्गी सुरंग** : सुरंग का व्यास २ फुट होगा और ब्यास तथा सुकेती घाटियों को मिलाते हुए ८ मील लंबी होगी जिसमें ९००० क्यूसक क्षमता होगी ।

(३) सुन्दर नगर हाइडल नहर

९०० क्यूसक क्षमता वाली और ७.२ मील लंबी यह नहर सुकेती घाटी को सुन्दर नगर-सत्तलुज सुरंग से मिलाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४-क) सुन्दर नगर-सतलुज सुरंग

२८ फुट व्यास वाली और ८.५ मील लम्बी तथा ७५०० क्यूसक क्षमता वाली विद्युत सुरंग सुन्दर नगर हाइडल नहर और सत्तलुज बिजली घर को मिलायेगी ।

(४-ख) बुमका लिंक सुरंग

१७०० फुट लंबी, २३ फुट व्यास वाली और ७५०० क्यूसक क्षमता वाली सुरंग सुन्दर नगर-सतलुज सुरंग को अलसेद खुड के रास्ते सतलुज के साथ मिलायेगी ।

(५) संतुलनकारी जलाशय : ५००० एकड़ फुट क्षमता का ।

(६) सतलुज विद्युत् संयंत्र : देहाड़ गांव के समीप, प्रत्येक १०६ एम० डब्ल्यू० स्थापित क्षमता वाली इकाइयों वाला, जिसकी कुल स्थापित क्षमता ६३६ एम० डब्ल्यू० होगी ।

ख. लागत ९९.६५ करोड़ रुपये ।

ग. लाभ (क) **विद्युत्** : ३९१ एम० डब्ल्यू०, १०० प्रतिशत लोड फैक्टर पर ।

(ख) **सिंचाई सुविधाएं :** २.१९ एम० ए० एफ० संचय १३ लाख एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई करेगा । वार्षिक सिंचाई ८ लाख एकड़ के लगभग होगी ।

(घ) निर्माण अवधि आठ से दस वर्ष तक ।

प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर

†१२३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में एक प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) योजना का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

व्यास परियोजना से राजस्थान को बिजली का संभरण

†१२४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान को व्यास परियोजना के अन्तर्गत तैयार होने वाली बिजली आवंटित करने के बारे में निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना से उस राज्य को कितनी बिजली दिये जाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सारायन स्टेशन पर गाड़ियों में टक्कर

†१२५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व रेलवे के सारायन स्टेशन पर १६२ डाउन यात्री गाड़ी और एक खड़ी हुई गिट्टी गाड़ी के बीच १५ जुलाई, १९६१ को जो टक्कर हुई थी, क्या उसके कारणों की जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज (खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे परिवहन कर्मचारी कुछ निर्धारित विशिष्ट कर्तव्यों को पूरा न कर सके, इस कारण दुर्घटना हो गई ।

गंगुवाल बिजली घर

†१२६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौ सेना के दस्ते ने भाखड़ा नंगल परियोजना के गंगुवाल बिजली घर के तीसरे जैनरेटर को चलाने योग्य बनाने के लिये, तल से ४० फुट नीचे वैल्डैड ड्राफ्ट ट्यूब इस्पात द्वारों को काटने और हटाने का कठिन कार्य पूरा किया;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके द्वारा अगले वर्ष के प्रारम्भ में ३-४ महीनों के लिये बिजली घर का अपेक्षित बंद हो जाना रुक जायेगा;

(ग) क्या सरकार ने संबद्ध व्यक्तियों को इस काम के लिये कुछ विशेष पारिश्रमिक देने प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). नौ सेना गोताखोर निधि को उचित अंशदान देने का प्रस्ताव पंजाब सरकार के विचाराधीन है ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†१२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई के अतिरिक्त अन्य शहरों में भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'मेत्तुर सुरंग योजना'

†१२८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में मेत्तूर सुरंग योजना के लिये सभी सहायता प्राप्त की जायेगी;

(ख) यदि इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है तो उस की शर्तें क्या हैं;

(ग) रूस किस प्रकार की सहायता देगा; और

(घ) योजना की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) करार की शर्तों में, रूस के साथ व्यापार योजना के अन्तर्गत अपरिवर्त्य रुपयों में, दिये जाने वाले संयंत्र की कीमत का भुगतान करने का उपबंध है ।

(ग) सहायता के अन्दर मेत्तूर सुरंग योजना के लिये जल-विद्युत् उपकरण का संभरण शामिल होगा । संभरणकर्ता टर्बाइन बनाने और जैनरेटर लगाने के लिये पृथक-पृथक पर्यवेक्षक इंजीनियर भेजेंगे । वे टर्बाइनों और जैनरेटरों के कार्य-संचालन की देख-रेख के लिये भी अपने विशेषज्ञ भेजेंगे ।

(घ) अगस्त, १९६१ तक की प्रगति नीचे दी जाती है :—

१. प्रैशर सुरंग २. सर्ज शैफ्ट ३. पैन स्टौक सुरंग ४. बिजली घर ५. ट्रांसफारमर यार्ड ६. गेट और स्क्रीन	खुदाई कार्य चल रहा है ।
७. पैनस्टौक, पाइप्स सल्यूस वैल्व एयर वैंट पाइप्स और ड्रेन पाइप	टैंडर मांगे गये हैं ।
८. स्टेशन सर्विस ट्रांसफारमर . . .	टैंडरों की छानबीन हो रही है ।
९. जल को ठंडा करने की व्यवस्था के लिये पम्प मोटरें	टैंडरों की छानबीन की जा रही है ।
१०. ट्रांसफारमर यार्ड स्ट्रक्चर बस फार्स और इन्स्यूलेटर	टैंडर मांगे गये हैं ।

भोपाल तक सीधी ट्रंक टेलीफोन सेवा

†१२९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर, रीवा और बिलासपुर को सीधी ट्रंक टेलीफोन लाइनों के द्वारा भोपाल से मिलाने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है;

(ख) क्या यह काम संभव और उचित समझा गया है; और

(ग) कब तक प्रस्ताव कार्यान्वित हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रजी में

१Mettur Tunnel Scheme.

(ख) वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(१) भोपाल और ग्वालियर के बीच सीधी सर्किट लाइन है ।

(२) भोपाल और रीवा के बीच सीधी सर्किट लाइन शीघ्र ही जारी की जायेगी; और

(३) भोपाल और बिलासपुर के बीच इस समय जो यातायात है उस की दृष्टि में इन के बीच सीधी सर्किट का काम अभी युक्तियुक्त नहीं है ।

(ग) जनवरी/फरवरी, १९६२ तक सीधी भोपाल–रीवा ट्रंक सर्विस लाइन लगाये जाने की आशा है ।

चीनी के निर्यात को भाड़ा दरों पर छूट

†१३०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को निर्यात के लिये आवंटित पत्तनों तक चीनी लाने की भाड़े दरों में कोई छूट दी जाती है ?

(ख) क्या भारतीय चीनी मिल संघ के निर्यात अभिकरण डिवीजन ने इस के लिये प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई थी ।

दिल्ली में बिजली का बंद होना

†*१३१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शनिवार, २३ सितम्बर, १९६१ की रात्रि को लगभग आधी दिल्ली में अन्धेरा हो गया और अगले दिन भी बिजली नहीं रही; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में बारी-बारी से बिजली का संभरण काफी बड़ी मात्रा में बन्द करना पड़ा, क्योंकि २३-९-१९६१ को रात्रि के १० बजे पंजाब से बड़ी मात्रा में बिजली का संभरण बन्द हो गया था । पंजाब अधिकारियों ने दिल्ली तक अपनी ट्रांसमिशन लाइन तक कुछ आवश्यक मरम्मत करने के लिये बड़ी मात्रा में संभरण बन्द कर दिया था । पूरा संभरण २४-९-१९६१ को रात्रि के ९ बजे दिया गया ।

रेलवे सेवाओं का बन्द किया जाना

†१३२. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे की कुछ ब्रांच लाइनों में रेलवे सेवाओं के बन्द किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण उत्तर पूर्व रेलवे की किसी ब्रांच लाइन पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ सैक्शनों पर यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों में यात्रियों की संख्या और माल लदने की मात्रा का अनुपात बहुत कम है क्योंकि परिवहन के अन्य-साधन वहां उपलब्ध हैं और इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या कुछ गाड़ियों को बन्द कर दिया जाये और क्या उन लाइनों को बन्द कर दिया जाये जहां यातायात बहुत ही कम है। तथापि इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

इंडियन रेड-क्रास सोसाइटी और सेंट जान एम्बुलेंस सोसायटी (इंडिया)

१३३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में इंडियन रेड क्रास सोसाइटी और सेंट जान एम्बुलस सोसाइटी (इंडिया) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही अन्य संस्थाओं को प्रति वर्ष कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी है; और

(ख) यह वित्तीय सहायता देने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं और उनकी जांच के लिये क्या व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]**

स्वास्थ्य मंत्री की कल्याण निधि

१३४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः मास में स्वास्थ्य मंत्री की कल्याण निधि में कुल कितनी धन राशि प्राप्त हुई और उसमें से कुल कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : गत छः मास में स्वास्थ्य मंत्री की कल्याण निधि में ५१,९९३ रुपये ५२ नये पैसे प्राप्त हुए तथा इनमें से २,९५८ पये खर्च हुये।

टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई

१३५. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में इस वर्ष केंसर के कितने परीक्षण किये गये; और

(ख) उन में से कितने परीक्षणों में सफलता प्राप्त हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). भारतीय केंसर अनुसन्धान केन्द्र में, जो टाटा मेमोरियल अस्पताल के साहचर्य में काम करता है, केंसर पर प्रयोगात्मक अनुसन्धान कार्य हो रहा है। ये प्रयोग केंसर के कारकों को ढूंढ निकालने तथा उस के इलाज को खोजने की सम्भाव्यता के बारे में हैं। ये समस्त प्रयोग प्रयोगशाला जन्तुओं पर किये जा रहे हैं। यह केन्द्र ९ साल पहले से काम कर रहा है। इस अवधि में इसने केंसर सम्बन्धी प्रयोगात्मक कार्य के आधार पर तीन सौ से अधिक अनुसन्धान पत्र प्रकाशित किये हैं। अभी तक मनुष्यों पर कोई प्रयोग नहीं किया गया है। हाल ही में जानवरों पर किये गये प्रयोगों में लाभकारी पाई गई कतिपय औषधियों को केंसर के उन प्रगत मामलों के उपचार में प्रयोग करने का विचार है जिनके लिए उपचार के स्वीकृत साधन उपयोगी नहीं हैं।

पंचायतों को पुरस्कार

१३६. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सामुदायिक विकास और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन पंचायतों को पुरस्कार देने की योजना तैयार की है, जो मद्य-निषेध, परिवार नियोजन और अल्प बचत योजना के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या योजना की संक्षिप्त रूप-रेखा सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में वर्षा

†१३७. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष वर्षा सामान्य वर्षा से अधिक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में अधिक हुई है और देश में किस भाग में वर्षा से अधिक हानि हुई है;

(ग) क्या वर्ष भर में अधिक वर्षा प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त कारणों से हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जून और सितम्बर, १९६१ में मौनसून वर्षा देश के कुछ भागों में सामान्य वर्षा से अधिक थी। देश के ऋतु विज्ञान सम्बन्धी सब डिवीजनों को दर्शाने वाला विवरण, जिनमें वर्षा सामान्य से अधिक हुई है और सामान्य से अधिक प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमीनगाव तक बड़ी लाइन का विस्तार

†१३८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने के लिये बड़ी संख्या में बड़े आकार के 'कन्साइन्मेंट' पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गरहाड़ा में रुके रहते हैं क्योंकि वे इतने बड़े होते हैं कि मीटर लाइन के द्वारा अमीनगांव तक नहीं ले जाये जा सकते; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अमीनगांव तक बड़ी लाइन का विस्तार करने का विचार करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

ब्रिटिश कम्पनी को दिये गये ब्याज की राशि

१३९. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी रेलवे विभाग ब्याज के रूप में एक बड़ी धनराशि किसी ब्रिटिश कम्पनी को देता है ; और

(ख) यदि हां, तो १९४७ से अगस्त, १९६१ तक प्रति वर्ष कितनी न राशि दी गई ?

रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । शायद माननीय सदस्य का तात्पर्य गारंटीशुदा पुरानी ब्रिटिश रेलवे कम्पनियों (अर्थात् बम्बई, बड़ौदा एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे कम्पनी, मद्रास एण्ड सदर्न मराठा रेलवे कम्पनी और बंगाल नागपुर रेलवे कम्पनी) से है जो सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया के साथ सम्पन्न क़रार के अनुसार इन रेलों को चला रही थीं और जिन्हें रेलों में लगायी हुई अपनी हिस्सा पूंजी पर प्रति वर्ष ३½ प्रतिशत बम्बई, बड़ौदा एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे कम्पनी को प्रति वर्ष ३ प्रतिशत सूद की गारंटी दी गयी थी । सरकार ने बम्बई, बड़ौडा एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे कम्पनी से सम्पन्न करार को १९४२ में और दूसरी कम्पनियों से सम्पन्न करार को १९४४ में समाप्त कर दिया तब से गारंटीशुदा सूद का दिया जाना बन्द हो गया ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

इम्फाल नगरपालिका

†१४०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगरपालिका ने पिछले कुछ वर्षों में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों और टाउन प्लानिंग इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये एक या अधिक अभ्यर्थी भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और क्या उन में से किसी को नगरपालिका ने काम पर लगाया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारिता आन्दोलन

†१४१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी संगठनों के कामकाज के अनुभव से सरकार ने सहकारिता आन्दोलन को क्रमशः सरकारी अधिकारियों के चंगुल से छुड़ाने की आवश्यकता महसूस की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जी हां ।

(ख) इस दिशा में की गयी कार्यवाही और प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

१. राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी थी कि मंत्री, उपमंत्री और सरकारी कर्मचारी सहकारी संगठनों के पदधारी न बनें । । अधिकतर राज्य सरकारों ने यह राय मान ली और मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों आदि ने अनेक सहकारी संस्थाओं में पद स्वीकार करना बन्द कर दिया है। राज्यों में ऐसे सहकारी संस्थाओं की संख्या जिनमें अब भी मंत्री या सरकारी कर्मचारी पदधारी बने हुए हैं, बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**

सम्बन्धित राज्य सरकारों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि सहकारी संस्थाओं से सरकारी कर्मचारियों तथा मंत्रियों को पूरी तरह से हटा लेने का काम धीरे-धीरे हो रहा है ।

२. राज्यों में सहकारिता सम्बन्धी कानूनों को इस आशय से संशोधित किया जा रहा है कि निर्बन्धनकारी उपबन्ध हटा दिये जायें ।

३. सबसे नवीन महाराष्ट्र सहकारी समितियां अधिनियम में पंजीयक (रजिस्ट्रार) की कुछ शक्तियां संघीय सहकारी संगठनों को प्रतियोजित करने का उपबन्ध है । सभी राज्य सरकारों का इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि वे अपने अपने अधिनियमों में ऐसे उपबन्ध जोड़ दें ।

४. कुछ राज्यों में, सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में सरकार के कुछ कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने तथा उपयुक्त स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को देने का विचार है ।

५. गैर-सरकारी सहकारी-कार्यकर्ता के शिक्षण का कार्यक्रम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया गया था, जारी रखा जायेगा और तीसरी योजना में और अधिक बढ़ाया जायेगा । यद्यपि इस कार्यक्रम के लिये अधिकतर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें धन देती हैं फिर भी कार्यक्रम कार्यान्वित करने का काम नैशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया और राज्य सहकारी संघों (स्टेट कोआपरेटिव यूनियन्स) पर छोड़ दिया गया है ।

६. विभागीय कर्मचारियों तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए सहकारी प्रशिक्षण संस्थायें अभी तक, केवल एक या दो मामलों में छोड़ कर, राज्य सरकारों द्वारा या भारत सरकार और भारत के रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति द्वारा चलायी जा रही है । अक्तूबर, १९६१ में आयोजित राज्य-सहकारी मंत्री-सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि यह

†मूल अंग्रेजी में

जिम्मेदारी नैशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट कोआपरेटिव यूनियन्स द्वारा नियुक्त विशेष समितियों को सौंप दी जानी चाहिये। सरकार इस प्रश्न पर अभी विचार विमर्श कर रही है।

सीवान रेलवे स्टेशन

†१४२. **श्री झूलन सिंह** :क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले सीवान रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर पहले दर्जे के प्रतीक्षालय के पास कुछ कमरे बनाने पर कितनी रकम खर्च की गयी और उन्हें किस काम में लाया गया है और लाया जा रहा है; और

(ख) क्या यह सच है कि वे कमरे यात्रियों के लिये उपाहारगृह के तौर पर काम में लाने के लिये, जिसकी काफी समय से जरूरत महसूस की जाती रही, बनाये गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). सीवान रेलवे स्टेशन पर २ कमरों का एक ब्लाक बनाने के लिये १६,५८९ रुपये खर्च किये गये हैं। ये कमरे १–११–६१ से उपाहार-कक्ष (रिफ्रेशमेंट रूम्स) के तौर पर काम में लाये जा रहे हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†१४३. **श्री झूलन सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छै महीनों में अन्तर्देशीय जलपथ सम्बन्धी योजनाएं कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : 'यन्त्रचालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जलपथों में नौवहन और नौपरिवहन जो संसद् निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जलपथ घोषित किये गये हैं' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची १ (संघ सूची) के अन्तर्गत है। अभी तक कोई अन्तर्देशीय जलपथ राष्ट्रीय जलपथ घोषित नहीं किये गये हैं। 'अन्तर्देशीय जलपथ और उन पर यातायात, वैसे जलपथों के विषय में सूची १ और सूची ३ में उपबन्धों के अधीन रहते हुए' का विषय सूची २ (राज्य सूची) के अन्तर्गत आता है जबकि 'राष्ट्रीय जलपथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जलपथों पर यन्त्रचालित यानों विषयक नौवहन और नौपरिवहन तथा अन्तर्देशीय जल-पथों पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन' का विषय सूची ३ (समवर्ती-सूची) में आता है। अतः अन्तर्देशीय जलपथों के लिये कार्यपालिका शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। इस मन्त्रालय की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल अधिकतर अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास-योजनाएं राज्य सरकारों, गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन तथा सम्बन्धित अन्य प्राधिकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं और उन्हें इस सम्बन्ध में आज तक की पूरी पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

डीजल इंजनों का निर्माण

१४४. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में डीज़ल इंजनों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यह कारखाना वाराणसी में खोलने का फैसला किया गया है, जहां एक जनरल मैनेजर के अधीन एक संगठन स्थापित किया गया है। जनरल मैनेजर की सहायता के लिये वहां एक मुख्य तकनीकी निदेशक भी रखे गये हैं। कारखाने से सम्बन्धित प्रारम्भिक काम शुरू किये जा रहे हैं।

तुंगभद्रा परियोजना

†१४५. **श्री अगाड़ी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मैसूर राज्य में बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा परियोजना के बाएं और दाहिने किनारे की नीची स्तर वाली नहरों और प्रस्तावित ऊंचे स्तर की नहर के सम्बन्ध में सिंचाई का लक्ष्य क्या है; और

(ख) उपर्युक्त के सम्बन्ध में १९६०–६१ में समाप्त वर्ष में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

तुंगभद्रा बोर्ड

†१४६. **श्री अगाड़ी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा बोर्ड किस तारीख को और किस प्रयोजन के लिये बनाया गया था ;

(ख) बोर्ड जिन मामलों का विवेचन करता है उनका क्षेत्र क्या है;

(ग) कितनी वार्षिक रिपोर्टें और किन किन तारीखों को पेश की गयी थीं;

(घ) चूंकि अब परियोजना का सम्पूर्ण काम पूरा हो चुका है, क्या सरकार यह बोर्ड विघटित करने का निश्चय करेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो कितनी अवधि तक बोर्ड कायम रखने का सरकार का विचार है ;

(च) बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक उस पर सालाना कितना खर्च किया गया है ;

(छ) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारें उस खर्च में हाथ बंटाती हैं; और

(ज) यदि हां, तो उसका क्या अनुमान है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) तुंगभद्रा बोर्ड जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ (१९५३ का ३०) की धारा ६६ की उपधारा (४) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये निदेश के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, आरम्भ में १ अक्तूबर, १९५३ से स्थापित किया गया था। वह १४ मार्च, १९५५ तक चीफ इंजीनियर के स्तर पर काम करता रहा।

†मूल अंग्रेजी में

१५ मार्च, १९५५ से उसका पुर्नगठन किया गया और उसे अपने कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार की शक्तियां दी गयी हैं। बोर्ड को तुंगभद्रा परियोजना से सम्बन्धित कार्यों के बारे में जो आन्ध्र प्रदेश और मैसूर, दोनों ही राज्यों के अधीन हैं, सभी मामलों का विवेचन करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त बोर्ड के काम इस प्रकार हैं :—

(१) स्वीकृत तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करना ;

(२) पानी और बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में बोर्ड जो नियम बनाये उनके अनुसार सप्लाई विनियमित करना ;

(३) आन्ध्र प्रदेश और मैसूर, दोनों ही राज्यों में पड़ने वाली मुख्य नहर तथा अन्य निर्माण कार्यों का रख रखाव;

(४) परियोजना के बांध और जलाशय का रखरखाव ;

(५) जलाशय तथा मुख्य नहर में मीन क्षेत्रों के लिये पट्टा मंजूर करना; और

(६) उपर्युक्त खण्ड (१) से (६) तक में उल्लिखित कार्यों से सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक अन्य कोई कार्य ।

(ग) तुंगभद्रा बोर्ड के लिये वार्षिक रिपोर्ट पेश करना आवश्यक नहीं होता। फिर भी, १९५९ में बोर्ड ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें १९४५ से ३१ मार्च, १९५८ तक परियोजना के सम्बन्ध में किये गये कार्य का सारांश दिया गया था। १ अप्रैल, १९५८ से १९६१ तक की अवधि के लिये दूसरी रिपोर्ट तैयार हो रही है और आशा है कि अगले वर्ष के आरम्भ में वह प्रकाशित हो जायगी।

(घ) और (ङ) परियोजना का सारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उच्च स्तरीय नहर तथा पनबिजली योजना के दूसरे दौर का काम चालू है। इसलिये बोर्ड विघटित करने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायगा अर्थात् जब ये काम पूरे हो जायें या आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की सरकारें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम किसी करार के जरिये अपने हाथों में ले लें और इनमें से जो भी पहले हो जाये।

(च) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

(छ) जी हां।

(ज) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

भुज के लिए विमान सेवाएं

†१४७. **श्री खीमजी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विमान सेवा चालू होने के समय से भुज से बम्बई तक सारे हफ्ते भर विमान सेवायें चलती रहीं ;

(ख) क्या १ नवम्बर, १९६० से हफ्ते में दो बारंबारताएं कम कर दी गयी हैं और १ अक्तूबर, १९६१ से एक और कम की जा रही है ?

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) बम्बई-भुज सेवा १९५६ से प्रति सप्ताह सात उड़ान की बारंबारता से चलती रही;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां ।

(ग) कुछ तो आने जाने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाने और कुछ कांडला से सम्बन्ध जोड़ने की आवश्यकता के कारण बारंबारताएं कम कर दी गयीं ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए एयर इंडिया इन्टरनेशनल में नौकरियां

†१४८. **श्री बसुमतारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को एयर इंडिया इन्टरनेशनल में नौकरी करने की इज़ाजत नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी

†१४९. **श्री बसुमतारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों ने ऐसी कोई शिकायत की है कि उन्हें हर समय अर्थात् गर्मी और सर्दी, दोनों ही मौसमों में ऊनी नेकटाई बांधने के लिए मजबूर किया जाता है ; और

(ख) क्या उन्हें दफ्तर के समय में उनके आराम के लिए बिना ऊनी नेकटाई बांधे काम करने की अनुमति दी जाती है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) नेकटाई कारपोरेशन द्वारा निर्धारित और दी जाने वाली वर्दी का एक हिस्सा है और जिन कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है उन्हें अपनी ड्यूटी के समय वह वर्दी पहननी होती है । गर्मी के मौसम में कुछ स्टेशनों पर इस संबंध में छूट दी जाती है ।

टीकारपद पर बांध

†१५०. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने महानदी की बांढ़ नियंत्रित करने के लिए टीकारपद पर एक दूसरा बांध बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या पहले ऐसी कोई योजना सरकार ने इस आधार पर रद्द कर दी थी कि उससे मूल्यवान खेती योग्य भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र तथा घने बसे हुए गांव डूब जायेंगे ; और

(ग) इस बांध से कितनी जमीन डूब जायगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) उड़ीसा सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसी कोई योजना तीसेरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ साल पहले राज्य सरकार ने इस परियोजना के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की थी। केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग ने उसकी छानबीन की और राज्य अधिकारियों को सूचित कर दिया कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जांच पड़ताल पूरी नहीं थी।

(ग) ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार यह जांच पड़ताल फिर शुरू कर रही है। वह पूरी हो जाने तथा राज्य अधिकारियों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तयार हो जाने के बाद ही आवश्यक ब्यौरे मालूम होंगे।

खेती योग्य परती भूमि

†१५१. **श्री खोमजी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेती योग्य परती भूमि कुल कितने एकड़ है ; और

(ख) उसमें से कितनी भूमि निकट भविष्य में खेती योग्य बनायी जाने वाली है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) १९५८–५९ के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश में कुल ५०८ लाख एकड़ जमीन खेती योग्य परती भूमि के तौर पर पड़ी हुई है।

(ख) भूमि को खेती योग्य बनाने के संबंध में तीसरी योजना का लक्ष्य ३६ लाख एकड़ है।

केरल में बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र कटाव निरोधक कार्य

†१५२. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में अभी हाल की बाढ़ तथा समुद्र कटाव के अनुभव को देखते हुए केरल सरकार ने उस राज्य में बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र कटाव निरोधक कार्यों के संबंध में कोई पुनरीक्षित योजनाएं केन्द्रीय सरकार को पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के मोटे ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने ये योजनाएं स्वीकार कर ली हैं ; और

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उस राज्य को इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता दी जाने वाली है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (घ). इस वर्ष की बाढ़ के अनुभव के बाद राज्य सरकार ने १७५३ लाख रुपये की लागत के बाढ़ नियंत्रण कार्यों की योजनाएं भेजी हैं। जिन कार्यों के लिए सुझाव दिया गया है उनमें ये शामिल हैं : नदियों पर तटबंध, समुद्र के लिए बाढ़ के रास्ते, जलाशयों को रोक रखना या कम करना, मिट्टी हटाना तथा सड़कों के निचले हिस्सों को ऊंचा उठाना। चूंकि राज्य सरकार ने ब्यौरेवार अलग अलग कोई योजना नहीं भेजी है इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) केरल राज्य में बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र कटाव निरोधक कार्यों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४२१ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। चूंकि राज्य सरकार ने ब्यौरेवार अलग

†मूल अंग्रेजी में

अलग कोई योजना नहीं भेजी है, इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था

†१५३. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था मुनाफे में या घाटे में चल रही है ;

(ख) १९५८–५९ से आज तक कितना मुनाफा या घाटा रहा ;

(ग) क्या बेल्लारी, टुमकुट तथा अन्य स्टेशनों पर रेलवे विभागीय भोजन व्यवस्था बंद कर दी गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो १९५८–५९ से आज तक किन किन स्टेशनों पर यह भोजन व्यवस्था बंद कर दी गयी है : और

(ङ) उसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). १९५८–५९ से आज तक दक्षिण रेलवे को विभागीय भोजन व्यवस्था चलाने में जो मुनाफा या घाटा हुआ वह इस प्रकार है :—

वर्ष	मुनाफा (+) या घाटा (–) (हजार रुपयों में)
१९५८–५९	(–) ८१
१९५९–६०	(–) ४८
१९६०–६१	(+) १३५ (अनुमान)

(ग) से (ङ). दक्षिण रेलवे के नंनद्याल, बेल्लारी, गुन्टूर और लोन्डा स्टेशनों पर विभाग की ओर से चलाये जा रहे सामिष भोजन कक्ष बन्द कर दिये गये हैं । चूंकि इन स्थानों पर आय कम थी इसलिए वे बिल्कुल लाभदायक नहीं थे और पर्याप्त दूसरी व्यवस्था करना संभव हुआ । टुमकुर में विभागीय भोजन व्यवस्था सफल नहीं हुई ।

दक्षिण रेलवे में डीजल रेल कार सेवा चालू करना

†१५४. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टाकल–हुबली अनुभाग में उस क्षेत्र के लोगों की ओर से अतिरिक्त रेल सेवा चलाने की निरन्तर मांगों को देखते हुए डीज़ल रेल कार सेवा चलाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर राज्य में टेलीफोन के कनैक्शन

†१५५. **श्री अगाड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० से अब तक मैसूर राज्य के बंगलौर, हुबली, गडाज और रायचूर में कितने अभ्यार्थियों ने टेलीफ़ोन के कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ख) उपरोक्त स्थानों पर इस अवधि से पहले कितने आवेदन पत्र लम्बित थे ;

(ग) इन स्थानों पर इनमें से कितने व्यक्तियों को ये कनैक्शन मिल गये हैं ;

(घ) शेष आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनैक्शन मिल जायेंगे ;

(ङ) क्या इन स्थानों के टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की कोई योजना है ; और

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार होने के बाद प्रत्येक स्थान पर क्या क्षमता होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १-१-६० से नवम्बर में आरंभ तक आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

	बंगलौर	हुबली	गडाग	रायचूर
	२१२७	२५८	६२	३८
(ख)	२४२७	२५	२७	कोई नहीं
(ग)	१०७५	८५	३४	२
(घ)	लगभग ४ वर्षों में	लगभग १ वर्ष में	लगभग १ वर्ष में	लगभग १ वर्ष में
(ङ)	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
(च)	१३३००	९६०	३००	३००

फरक्का बांध

†१५६. **श्री हेम बरुआ :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के निर्माण के संबंध में भारतीय निर्णय पर पाकिस्तान द्वारा उठाई गई आपत्तियों को संबंधित पार्टी को स्पष्ट कर दिया गया है-; और

(ख) मूलभूत आपत्तियां क्या हैं और क्या पाकिस्तान ने कोई राजनीतिक आपत्तियां की हैं और सरकार ने उनको किस प्रकार स्पष्ट किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) फरक्का बांध परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाने के भारत के निर्णय पर पाकिस्तान का विरोध भारत और पूर्व-पाकिस्तान की समान नदियों का मिल कर विकास करने के दोनों देशों के समझौते का उल्लंघन करने पर आधारित था । उन्होंने इसी प्रकार काम करने की आवश्यकता बताई और इस परियोजना के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में शुष्क मौसम में कृषि अर्थ व्यवस्था और वाणिज्यिक जीवन से गड़बड़ी हो जाने के संबंध में अपनी चिन्ता (अक्तूबर १९५१ में उल्लिखित) जाहिर की । भारत सरकार ने बताया कि भारत के एक बड़े तथा महत्वपूर्ण बन्दरगाह को बचाने

†मूल अंग्रेजी में

के लिए परियोजना की अत्यंत आवश्यकता होने पर भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के उचित हितों पर विचार करने के लिए उसका निर्माण रोक रखा था। भारत सरकार जल साधन विशेषज्ञों की बैठक में आंकड़ों का पूरा आदान प्रदान करने को उत्सुक है और ऐसा हो जाने पर, सहयोग के सिद्धांत की क्रियान्विति के लिए मंत्रियों की बैठक बुलाने को उत्सुक है।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये चिकित्सा लाभ

†१५७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सर्किल के डाक तथा तार विभाग ने वित्तीय सहायता आदि के चिकित्सा लाभ विशेषतया गोहाटी डाकखाने के कर्मचारियों को बार बार प्रार्थना करने पर भी नहीं दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं। २-९-६१ से २३-१०-६१ की अवधि में चिकित्सा दावों को देने में कुछ विलम्ब हुआ था अब सभी दावे तय हो गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चिकित्सा बिल बहुत बड़ी संख्या में आ गये थे जो उलझन वाले थे और जिनकी पोस्ट मास्टर द्वारा स्वयं जांच आवश्यक थी। गोहाटी के पोस्टमास्टर पर पोस्ट आफिसों के सुपरिंटेंडेंट के पद का भार भी इस अवधि में था और इसलिये यह विलम्ब हुआ था।

हीराकुद जलाशय

†१५८. **श्री महन्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार १९५५ से हीराकुद जलाशय से बाढ़ के पानी की निकासी के ढंग का क्या अध्ययन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को जानती है कि हीराकुद जलाशय से पानी की निकासी से महानदी के निचले भागों में गंभीर बाढ़ आ जाती है; और

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). महानदी के डेल्टा-क्षेत्र से संबंधित हीराकुद जलाशय की बाढ़ का पानी जमा करने की क्षमता की जांच उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित एक समिति कर रही है। समिति ने अपना अन्तिम निर्णय नहीं दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा बाढ़ जांच समिति का प्रतिवेदन

†१५९. **श्री बै० च० मलिक :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़िसा बाढ़ जांच समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रति वेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसकी कौनसी सिफारिशें लागू करने का विचार है ; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

†१६०. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के संबंध में १९५७ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त बाढ़ संबंधी उच्चस्तरीय समिति द्वारा बांध में उच्चस्तरीय नालियां बनाने के सुझाव को अब लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस बांध में यह नालियां बनाई गई हैं ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : बाढ़ संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने बांध में उच्चस्तरीय रीक नालियां बनाने की कोई सिफारिश नहीं की थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में सड़कों का निर्माण

१६१. **श्री अनिरूद्ध सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सड़कों के विकास के लिए कितनी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने किलोमीटर तारकोल वाली, अथवा अन्य प्रकार की पक्की सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़कें बनाई गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) लगभग ८१ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बिहार प्रदेश में देहाती क्षेत्र को मिलाकर दूसरी आयोजना कोल में लगभग ४८०० किलोमीटर लंबी तारकोल की सड़कें और लगभग १५५०० किलोमिटर लंबी बिना तारकोल की सड़कें और बनायी गयीं ।

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

†१६२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी पर से कंट्रोल हटाने की बात सभी राज्य सरकारों को बता दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कंट्रोल हटाने के परिणामस्वरूप कारखानों से चीनी के वितरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या चीनी के संभरण के कारण मूल्य कम हो जायेंगे ;

(ङ) क्या मद्रास राज्य में निर्यात आर्डरों की कमी के कारण ताड़गुड़ पर प्रभाव पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो विदेशों को निर्यात बढ़ाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

***खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समय समय पर बाहर निकाली गई चीनी को चीनी के कारखाने किसी भी खरीददार को बाजार भाव पर बेच सकते हैं ।

(घ) जी हां । बाजार में संभरण और मांग के आधार पर मूल्यों में कुछ कमी हो सकती है ।

(ङ) और (च). ताड़गुड़ के निर्यात की छूट है । परन्तु मद्रास राज्य से प्राप्त समाचारों से मालूम हुआ है कि मद्रास राज्य से ताड़गुड़ का आयात करने वाले देशों भांडार इकट्ठा होने के कारण अथवा कुछ अन्य कारणों से इसका आयात बन्द कर दिया है । हमने विदेशों में अपने व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत की किन्तु उनके उत्तर उत्साहवर्धक नहीं हैं ।

वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरी

†१६३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, वेस्ट पटेल नगर स्थित अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरी में अन्य डिस्पैंसरियों की अपेक्षा मरीज़ों की भीड़ अधिक है;

(ख) क्या डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों की वर्तमान संख्या मरीज़ों की भीड़ के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, उपरोक्त डिस्पैंसरी में भीड़ कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली दुग्ध योजना

†१६४. **श्री राममू**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने नार्थ एवेन्यू और फीरोजशाह रोड स्थित वितरण केन्द्रों से घरों पर दूध सम्भरण की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या विस्तृत ब्योरा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). पांच चुनी हुई रहने की बस्तियां अर्थात्, नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, फीरोजशाह रोड, कैनिंग लेन, और इलेक्ट्रिक लेन में घरों पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा १९६० अगस्त के मध्य में प्रारम्भ की गई थी और अभी जारी है।

नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, कैनिंग रोड, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड और श्री अतुल ग्रोव रोड स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो से अंशकालिक कर्मचारियों द्वारा दूध घरों पर पहुंचाया जाता है।

दूध की कीमत के अतिरिक्त इस व्यवस्था के लिये ४ नये पैसे प्रति बोतल अतिरिक्त वसूल किया जाता है ।

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भारिक

†१६५. **श्री राममू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों में पंजीकृत भारिकों की संख्या;

(ख) क्या भारिक शुल्क में वृद्धि के लिये कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) उनकी वर्तमान शुल्क दरें क्या हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली में लाइसेंस शुदा भारिकों की स्वीकृत संख्या क्रमशः ११४० और ३३० है।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण सन्निहित है।

विवरण

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों में भारिक शुल्क की विद्यमान दरें इस प्रकार हैं :—

(१) प्लेटफार्म जाना और आना। पसेंजर हाल से रेलगाड़ी तक और रेलगाड़ी से पैसेंजर हाल तक एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक	एक ओर के २५ नये पैसे (सामान्य समय २० मिनट)
(२) सामान ढोने की छोटी गाड़ी (१० मिनट से कम)	०.६२ नये पैसे
(३) सामान ढोने की बड़ी गाड़ी (१० मिनट से अधिक)	१.२५ नये पैसे
(४) अपंग के लिये स्ट्रेचर, जिसे दो पोर्टर उठाते हैं	०.५० नये पैसे
(५) अपंग के लिये स्ट्रेचर, जिसे चार पोर्टर उठाते हैं	१.०० नये पैसे
(६) प्रतीक्षा शुल्क—आधे घण्टे तक	०.३१ नये पैसे
(७) प्रतीक्षा शुल्क—एक घण्टे तक	०.६२ नये पैसे

†मूल अंग्रेजी में

एस्पोरिन

†१६६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित उस लेख की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है जिस में लिखा है कि एस्पोरिन से पेट में खून बहने लगता है और 'अतः बवासीर के मरीजों के लिये यह खतरनाक हो सकता है';

(ख) यदि हां, क्या इस कथन की सत्यता के लिये कोई स्वतंत्र जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या निष्कर्ष है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के हाल के अंकों में इस विषय पर किसी लेख का प्रकाशन दृष्टिगत नहीं हुआ। किन्तु मेडिकल जर्नल में इस विषय के सम्बन्ध में प्रकाशित पर्याप्त सामग्री देखने में आई है जिस में बताया गया है कि यदि एस्पीरिन का विपुल मात्रा में प्रयोग किया जाये अथवा कम मात्रा में लम्बे समय तक सेवन किया जाये तो किन्हीं स्थितियों में इससे आंतों में रोग हो कर खून बहने लगता है।

(ख) सरकार को मालूम नहीं है कि क्या देश में इस विषय में विशेष अध्ययन अथवा स्वतंत्र जांच की गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

परिवार नियोजन

†१६७. **श्री बसुमतारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में परिवार नियोजन सम्बन्धी योजना पर कितनी रकम खर्च हुई है;

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये अनुमानित रकम कितनी है;

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जन्म संख्या और मृत्यु संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में अनुमानित व्यय ४,४५,६१,००० रुपये है ।

(ख) योजना आयोग ने ५० करोड़ रुपये तक का कार्यक्रम स्वीकार किया है किन्तु आर्थिक आवंटन २,६९७,५७ लाख रुपये तक सीमित रखा गया है। आवश्यकता होने पर इसमें वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) पंजीबद्ध जन्म संख्या और मृत्यु संख्या १९५६—६० की निम्न है :—

वर्ष	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
१९५६	२३.३	१०.९
१९५७	२२.४	११.६
१९५८	२२.९	१२.३
१९५९	२३.०	९.९
१९६०	२४.६	१०.४

(अपूर्ण आंकड़े)

पूरा पंजीयन न होने के कारण इन आंकड़ों का प्रयोग सीमित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुमानित जन्म संख्या और मृत्यु संख्या के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
१९५१—५६	४१.७	२५.९
१९५६—६१	४०.७	२१.६

जुलाई, १९५८—जुलाई, १९५९ की अवधि के लिये प्राथमिक अनुपात, जो बड़े नमूने के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के चौदहवें राउण्ड से एकत्र किये गये हैं, क्रमशः ३८.३ और १९.० हैं ।

आसाम में कपिली नदी परियोजना

†१६८. **श्री बसुमतारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के नौगांव जिले में कपिली नदी से सम्बन्धित योजना रिपोर्ट की क्या स्थिति है;

(ख) क्या रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). परियोजना के प्रथम चरण की विस्तृत क्षेत्रीय जांच इस वर्ष के अन्त तक पूरा होने की आशा है । उत्तरवर्ती जांच अभी जारी है । प्रथम चरण का मसौदा कार्य भी प्रारम्भ हो गया है ।

पूर्व रेलवे में कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाना

†१६९. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रतिष्ठान संहिता की विशेष शक्ति जैसे १४९ और इसी स्वरूप के अन्य नियम के अन्तर्गत १९६१ में पूर्व रेलवे के किन्हीं कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की कितनी संख्या है और वह किस श्रेणी से सम्बन्धित हैं;

(ग) क्या उनमें से कुछ को आरोप पत्र दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या आरोप-पत्रों के अनुसार अन्तिम प्रक्रम तक कार्यवाही जारी रखी गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता, अंक १ के नियम १४९ के अधीन ।

(ख) १३ कर्मचारी; इन में ११ तृतीय श्रेणी से सम्बद्ध हैं और २ चतुर्थ श्रेणी से ।

(ग) और (घ). कुछ मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी परन्तु बाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

(ङ) प्रशासनात्मक कारणों से ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटना निवारण निरीक्षक

†१७०. **श्री सुबिमन घोष** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर दुर्घटना निवारण निरीक्षक के नाम से कर्मचारियों की एक श्रेणी कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो डिवीजन-वार उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या वर्ष १९६१ में अब तक उनकी रिपोर्ट पर तृतीय श्रेणी के अथवा चतुर्थ श्रेणी के किसी कर्मचारी पर दोषारोप लगाया गया ;

(घ) प्रत्येक मामले में उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये ; और

(ङ) उनकी कार्यवाहियों के कारण कितनी दुर्घटनायें टाली जा सकीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) डिवीज़न — संख्या

हावड़ा	२
सियालदह . . .	२
आसनसोल (धनबाद समेत)	६
दीनापुर	२

(ग) जी, हां ।

(घ) अपराध — मामलों की संख्या

नियमों का पालन न करना . .	६६
कर्तव्यों को न निभाना . .	१५९
ड्यूटी के समय सोना .	८६
अन्य	३६
कुल	३४७

(ङ) दुर्घटनाओं की घटनाओं को सुरक्षा निरीक्षकों, जिनका कार्य कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है, की कार्यवाहियों से सम्बन्धित करना सम्भव नहीं है ।

पूर्व रेलवे में चोरियां आदि

†१७१. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की बर्दवान और बढ़ाखा शाखा लाइन पर १३ अप, ३२८ डाउन, ३३७ अप गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों ने चोरी, उठाईगीरी, जेब-कतरी और इसी प्रकार के अपराधों की रिपोर्ट की ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६१ में अब तक महीने-वार ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट की गयी ;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया और कितने मामलों में दोषसिद्धि हुई; और

(घ) इन अपराधों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

(घ) निम्नलिखित निरोधात्मक उपाय अपनाये गये हैं :

(१) जहां तक संभव है, सम्बन्धित गाड़ियों पर नियमित रूप से सरकारी रेलवे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी साथ चलते हैं ।

(२) इस क्षेत्र में सरकारी रेलवे पुलिस के व्यक्ति वर्दी में और सादा कपड़ों में चलती गाड़ियों में अपराध करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं ।

(३) कई अपराधी पकड़े जा चुके हैं और उन पर मुकद्मा चलाया जा रहा है ।

टिड्डियों का आक्रमण

†१७२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर डिवीजन में और गुजरात के कुछ हिस्से (कच्छ और बांसकंठ) में भारी संख्या में टिड्डी दल आ गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि टिड्डी दल द्वारा भुसावल–इन्दौर सेक्शन पर उत्तर रेलवे की गाड़ियां रोक दी जाती हैं ; और

(ग) खाद्यान्नों और खड़ी फसलों को कितनी क्षति पहुंची है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । इस वर्ष इस सेक्शन में टिड्डी दल नहीं आया है ।

(ग) सम्बन्धित राज्यों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, खाद्यान्न और खड़ी फसल को मामूली क्षति पहुंची है ।

क्षय रोग से पीड़ित डाक तथा तार कर्मचारी

†१७३. **श्री माने** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने डाक तथा तार कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है ;

(ख) उन क्षय रोगियों में से कुल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कोई छट्टी बाकी नहीं है और वे बिना वेतन के रह रहे हैं ; और

(ग) चिकित्सा के अलावा सरकार ने उनको और क्या सहायता दी है ताकि वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** (क) ४४० ।

(ख) १४६ ।

(ग) हाल ही में एक योजना बनाई गयी है जिसके आधार पर जिन पदाधिकारियों का वेतन ३०० रुपये प्रति मास से कम है और जो आधे वेतन पर/बिना वेतन के छट्टियों पर इलाज करा रहे

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं, उनको कुछ शर्तें पूरी करने पर डाक तथा तार कल्याण निधि से कुछ अनुग्रहात् वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

किंग्सवे मेटरनिटी अस्पताल, दिल्ली

†१७४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंग्सवे मेटरनिटी अस्पताल, दिल्ली में से एक महिला डाक्टर एक वर्ष पहले चली गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह पद भरा नहीं गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६१ में इस अस्पताल में कोई महिला डाक्टर नहीं थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जी, हां । कई महिला डाक्टरों को इस पद के लिये प्रस्ताव किया गया और पिछला प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम ने २३ अक्तूबर, १९६१ को दिया था परन्तु अभी तक किसी ने भी यह पद स्वीकार नहीं किया ।

तथापि, किंग्सवे मेटरनिटी होम केवल सामान्य प्रसूति के मामलों की भर्ती के लिये है जो कार्य अर्हता प्राप्त दाईयों द्वारा किया जा सकता है । यदि बिना बुक किया हुआ कोई पेचिदा मामला आ जाता है तो उसको अन्य मेटरनिटी अस्पतालों में, जहां अर्हता-प्राप्त प्रसूति-विशेषज्ञ हों, भेज दिया जाता है । अन्यथा, सभी मामलों के लिये वहां पर एक एम० बी० बी० एस० पुरुष डाक्टर है जिनकी राय प्रसूति के आपातकालीन समय सदैव उपलब्ध रहती हैं ।

तार तथा टेलीफोन सुविधायें

†१७५. **श्री नेक राम नेगी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के कांगड़ा जिला में धमेटा और भारमार में उप-डाकघरों में तार तथा टेलीफोन की कोई सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) उपरोक्त उप-डाक घर के अधीन कितने शाखा डाकघर सम्बद्ध हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त गांवों में ५००० से ज्यादा आबादी है और वे दूर पर स्थित हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इन उप-डाक घरों में तार तथा टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इन स्थानों पर शीघ्र ही ये सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारमार उप-डाकघर से १५ शाखा डाकघर सम्बद्ध हैं । धमेटा केवल एक विभागातिरिक्त उप-डाकघर है जिससे नियमानुसार कोई शाखा डाकघर सम्बद्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रत्येक उप-डाकघर में तार तथा टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, भारमार में ये सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया

†मूल अंग्रेजी में

गया है। धमेटा में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की जांच की जा रही है और यदि उनको व्यवहार्य समझा गया तो स्वीकार किया जायेगा।

भारत-रूस जेट सेवा

†१७६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट विमानों के अभाव में, एयर इन्डिया इन्टरनेशनल को भारत और मास्को के बीच चक्करदार मार्ग अपनाना पड़ता है जो दोनों देशों के बीच रूसी विमानों द्वारा अपनाये गये सीधे मार्ग से भिन्न है ;

(ख) क्या एयर इन्डिया इन्टरनेशनल जेट विमान सेवा लागू करना चाहती है ताकि वह दोनों देशों के बीच सीधे मार्ग को अपना सके ; और

(ग) यदि हां, तो विमानों के बदलने के लिये इस योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) न एयर इन्डिया इन्टरनेशनल और न ही एरोफ्लोट (रसियन एयरलाइन्स) विमान सीधे मार्ग का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे पश्चिम पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश के ऊपर से उड़ान करनी होगी जिसको कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान अधिकारियों ने निर्बन्धित क्षेत्र घोषित कर दिया था। एरोफ्लोट द्वारा अपनाये गये मार्ग में भी लगभग उतने ही मील पड़ते हैं परन्तु वे अधिक ऊंचे अक्षांक्ष पर उड़ते हैं जहां तक एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा चलाये जा रहे सुपर-कांस्टलेशन्स नहीं पहुंच सकते।

(ख) और (ग). एयरइन्डिया इन्टरनेशनल इस मार्ग पर अगले वर्ष किसी समय से, जब वे सभी मार्गों पर जेट विमान चलायेंगे, बोइंग ७०७ विमान लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे

१७७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गिर्द रिंग रेलवे बनाने की योजना इस समय किस स्थिति में है ; और

(ख) क्या यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी हो जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). दिल्ली परिहार लाइन पर रिंग रेलवे के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वे रिपोर्ट और लाइन की लागत का अनुमान अभी मिला है और रेलवे बोर्ड उसकी जांच कर रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा लागत का अनुमान मंजूर कर लेने के बाद निर्माण-कार्य जल्द शुरू कर दिया जायेगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि निर्माण-कार्य तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में पूरा हो जायेगा या नहीं। लेकिन यदि जमीन पर कब्जा और इस्पात, सीमेंट, रेल की पटरियां आदि सामान समय के अन्दर मिल गया तो संभव है कि लाइन तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में बनकर तैयार हो जाये।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी

†१७८. **श्री तंगामणि** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अस्थायी कर्मचारियों के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा में ५ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० वर्ष से अधिक की सेवा वाले तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों का क्या ब्यौरा है;

(ख) उन को स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उसके स्थायी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क)

अधीनस्थ कार्यालय जहां वे नियोजित हैं	१० वर्ष से अधिक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों की संख्या	
	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
१. अनुस्थिति ज्ञान तथा अध्ययन केन्द्र, नीलोखेड़ी .	१	२
२. सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, नीलोखेड़ी	१	–
३. सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, रांची .	–	१

(ख) और (ग). जहां तक अनुस्थिति ज्ञान और अध्ययन केन्द्र, नीलोखेड़ी में नियुक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, इन पदों को स्थायी पदों में बदलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और स्थायीकरण के लिये पात्र सभी अस्थायी कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। उपरोक्त अस्थायी कर्मचारी स प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानान्तरित हो कर वर्ष १९५४ में आये थे।

नीलोखेड़ी तथा रांची में स्थिति सामाजिक शिक्षा संगठनकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में, इन केन्द्रों को चलाने की मंजूरी का प्रति वर्ष नवीकरण किया जाता है और वहां पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण के प्रश्न पर, उन संस्थाओं को स्थायी घोषित किये जाने पर अथवा जब यह समझा जाये कि वे अनिश्चित काल तक अथवा काफी लम्बे समय तक चलेंगे, विचार किया जायेगा। नीलोखेड़ी स्थित सामाजिक शिक्षा संगठनकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्र १-४-१९५३ को चालू किया गया था और रांची में यह १-१०-१९५५ को आरम्भ किया गया था।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अस्थायी कर्मचारी

†१७९. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३१ मई, १९६१ को उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों के बारे में ५ सितम्बर, १९६१ को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय श्रेणी के उन कर्मचारियों का क्या ब्यौरा है जिन की सेवावधि १५ वर्ष से अधिक है और अस्थायी हैं;

(ख) उनको स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनको स्थायी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऐसे आठ कर्मचारी हैं--छः गंगा डिस्चार्ज सर्किल में, एक गंगा बांध जांच सर्किल में और एक केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में नियुक्त कर्मचारी को स्थायी करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बाकी सात कर्मचारी जो पहले अन्य अस्थायी संगठन में कार्य कर रहे थे, अब उन संगठनों में काम कर रहे है जिन्हें पूर्णतः अस्थायी आधार पर मंजूरी दी हुई है। इन संगठनों को स्थायी बनाये जाने के बाद ही वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों के स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

केरल में विद्युत् परियोजनायें

†१८०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी एक जांच आयोग केरल भेजा गया था;

(ख) यह आयोग किस लिये भेजा गया था; और

(ग) आयोग के सदस्य कौन कौन हैं?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). केरल की विद्युत् योजनाओं के बारे में कोई जांच आयोग नियुक्त नहीं किया गया। तथापि, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और योजना आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक दल ने हाल ही में केरल समेत, सभी राज्यों का दौरा किया ताकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी विद्युत् परियोजनाओं की तेजी से क्रियान्विति के मार्ग में बाधाओं का पता लगाया जा सके।

गारो पहाड़ी तक रेलवे लाइन

†१८१. **श्री बसुमतारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में गोलपाडा के रास्ते बांगैगांव से गारो पहाड़ी तक एक रेलवे लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) क्या रेलवे मंत्री के हाल के आसाम के दौरे के समय एक शिष्टमण्डल इस बारे में उन से मिला; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जावेगी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पालघाट स्टेशन के निर्माण का ठेका

†१८२. **श्री वें० ईयाचरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) की इमारत के निर्माण के लिये ठेका देने के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने टेन्डर प्राप्त हुए और न्यूनतम मूल्य क्या था;

(ग) वर्तमान व्यक्ति को ठेका देने के क्या विशेष कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इमारत के निर्माण पर रेलवे का कोई नियंत्रण है या यह केवल इस के पूरा हो जाने पर इस का हस्तान्तरण करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) दो टेन्डर प्राप्त हुए थे। निम्नतम टेन्डर का मूल्य २·०३ लाख रुपये था।

(ग) उनके टेन्डर का मूल्य कम था।

(घ) यह कार्य रेलवे की निरीक्षा में रेलवे के नमूने के मुताबिक किया जायेगा।

केरल में उबला हुआ चावल

†**१८३. श्री वें० ईयाचरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खुले बाजार में और सस्ते मूल्य की दुकानों पर उबले हुए चावल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस हद तक है; और

(ग) समय पर पर्याप्त मात्रा में उबला हुआ चावल संभरित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). केरल में खुले बाजार में उबले हुए चावल की कोई अधिक कमी नहीं है।

सस्ते मूल्यों की दुकान पर वितरण के लिये उबले हुए चावल के साथ साथ कच्चा चावल भी दिया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण के लिये केरल को बर्मा से और आन्तरिक संसाधनों से पर्याप्त मात्रा में उबला हुआ चावल भेजा जा रहा है।

केरल के डाक तथा तार कर्मचारियों को बाढ़ संबंधी पेशगियां

†**१८५. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के डाक तथा तार कर्मचारियों को बाढ़ पेशगियां देने से इसलिए इन्कार कर दिया गया कि उन्होंने केवल संसद्-सदस्यों से प्राप्त क्षति का प्रमाणपत्र पेश किया था;

(ख) क्या केरल सर्किल में बाढ़ पेशगियों की मंजूरी के लिए डाक प्राधिकारियों द्वारा संसद्-सदस्यों के प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये गये;

(ग) क्या केरल सर्किल में पेशगियां केवल एक महीने के वेतन के बराबर दी गई; और

(घ) क्या केरल सर्किल के डाक तथा तार संचालक को इस के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). संसद्-सदस्यों के प्रमाणपत्र पहले तो स्वीकार नहीं किये गये थे परन्तु बाद में स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया।

(ग) सामान्यतः एक महीने के वेतन के बराबर पेशगी दी गई थी। कुछ मामलों में एक महीने के वेतन से अधिक की पेशगी भी मंजूर की गई थी।

(घ) जी, हां। शिकायत करने वाले को उपयुक्त उत्तर भी भेज दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुस्थिति ज्ञान और अध्ययन पाठ्यक्रम[1]

†१८५. **श्री तंगामणि** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रों में सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए अनुस्थिति ज्ञान और अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं;

(ख) भवानीसागर और मैसूर में ऐसे कितने पाठ्यक्रम संचालित किये गये हैं; और

(ग) क्या उन के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या और १९६१-६२ में प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मैसूर केन्द्र में १२० अनुस्थिति ज्ञान, १२ कार्य और ६ अध्ययन पाठ्यक्रम और भवानी-सागर केन्द्र में ३ अनुस्थिति ज्ञान, ३ कार्य और १ अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं ।

(ग) अनुस्थिति ज्ञान और अध्ययन केन्द्रों के कार्यकरण आदि के सम्बन्ध में पृथक प्रतिवेदन नहीं प्रकाशित किया जाता है । परन्तु इन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों की संख्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में दी जाएगी ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये पीने के पानी का संभरण

†१८६. **श्री तंगामणि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए पीने के पानी के संभरण के लिए निर्धारित राशि विभिन्न राज्यों को आवंटित की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ग) क्या दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के नगर निगमों को कोई विशेष आवंटन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में औद्योगिक बिजली के लिये प्रार्थनापत्र

†१८७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री दिल्ली के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए औद्योगिक बिजली के लिए प्रार्थनापत्रों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि १९५७-५८ के प्रार्थना-पत्र अभी भी दिल्ली प्रशासन में विचारार्थ पड़े हुए हैं जिन्हें अभी तक औद्योगिक बिजली की मंजूरी नहीं दी गयी है-;

(ख) क्या सरकार ने कोई जांच कराई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

---

[1]Orientation and study courses.

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या सरकार अब उसके कारण बताएगी ; और

(घ) क्या सरकार यह बताएगी कि उन प्रार्थियों को औद्योगिक बिजली का संभरण कब किया जाएगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दिल्ली प्रशासन को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) और (ग). इस मामले में की गई जांचों से पता चला कि अभ्यावेदन में निर्दिष्ट मूल प्रार्थनापत्र, जो दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड को प्रेषित किया गया था, दिल्ली प्रशासन को नहीं भेजा गया है ।

(घ) प्रार्थी का नाम दिल्ली प्रशासन द्वारा बिजली का लोड २½ अश्व शक्ति से बढ़ा कर ५ अश्व शक्ति करने के लिए अनुमोदित सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति का सुधार होते ही उसकी मंजूरी दे दी जाएगी ।

उड़ीसा के डाकखानों में मनीआर्डर सेवा

†१८८. **डा० सामंत सिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को भेजे जाने वाले मनीआर्डर सम्बन्धित डाकखानों द्वारा महीने के प्रथम सप्ताह में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं और बाद के सप्ताहों में एक दिन में अधिकतम ५० स्वीकार किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार अध्यापकों की कठिनाई को देखते हुए प्रक्रिया में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) और (ख). महीने के प्रथम सप्ताह में मनीआर्डर के बुकिंग की खिड़की पर सामान्यतः बहुत भीड़भाड़ रहती है और क्यू लग जाते हैं । शिक्षा विभाग द्वारा भी बहुत से मनीआर्डर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के नाम बुक किए जाते हैं । यदि उन्हें बुकिंग के लिए महीने के प्रथम सप्ताह में ले लिया जाए तो अन्य मनीआर्डर करने वालों को असुविधा होने की संभावना रहेगी । इसलिए उड़ीसा के शिक्षा विभाग और स्थानीय डाक प्राधिकारियों ने आपस में मिल कर यह तय किया कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के मनीआर्डर महीने के प्रथम सप्ताह के बाद पुरी के हेड पोस्ट आफिस में प्रति दिन ५०-५० की संख्या में बुक किये जायेंगे ।

(ग) हां, श्रीमान । वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेज

†१८९. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्या उसमें केवल हिमाचल प्रदेशवासियों को ही भर्ती किया जाएगा ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उसमें पंजाब पहाड़ियों के लड़कों की भर्ती के लिए कोई उपबन्ध किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) यह तय किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल कालेज स्थापित किया जाना चाहिए ।

(ख) मेडिकल कालेज के शिमला के निकट मशोबरा में स्थापित किये जाने की संभावना है ।

(ग) और (घ). हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो जाने पर अन्य क्षेत्रों, पंजाब पहाड़ियों को सम्मिलित करके, विद्यार्थियों को भर्ती किया जाएगा ।

भ्रष्टाचार निरोधक संगठन

†**१९०. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के भ्रष्टाचार निरोधक संगठन की १९६० और १९६१ की अब तक की सफलताएं क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : वर्ष १९६० में और १९६१ में अब तक सतर्कता शाखा ने २९९ मामलों का पता लगाया जिनमें प्रथम दृष्टि में विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता थी और उन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट कर दिया गया । इसके अतिरिक्त २१ मामले अग्रेतर जांच के लिए विशेष पुलिस संस्थापन को निर्दिष्ट किए गए । पता लगाए गए मामले घूंसखोरी, अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ियों, जिनमें से कुछ जालसाजी के भी हैं, रिकार्डों में हेर फेर करने और सरकारी रकम के गबन से सम्बन्धित हैं ।

इंजीनियरिंग सतर्कता दल ने मुख्य कार्यों की जांच की और यह देखा कि ईंटें, बैलास्ट और रेत आदि का संभरण करारों में दिये गये विशेष विवरण के अनुसार किया जा रहा है या नहीं और चूना, पलस्तर आदि में विभिन्न वस्तुओं का अनुपात निर्धारित प्रतिमान के अनुसार है या नहीं । दल ने विभिन्न रेलवे कार्यालयों की जांच की और सीमेंट तथा इस्पात जैसे महत्वपूर्ण सामान के स्टाक की जांच की और यह देखा कि ठेकेदारों को सामग्री दिये जाने और उपयुक्त सामग्री की वापिसी का लेखा जोखा संतोषजनक है या नहीं । उन्होंने ठेकेदारों के नाप जोखों के इन्द्राज और उनके बिलों के भुगतान के मामलों की छानबीन की । उन्होंने जोनल तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विशेष टेंडर शर्तों और रेलवे सम्पत्ति पर अप्राधिकृत झोंपड़ों के निर्माण पर भी निगाह रखी । दल ने निर्धारित प्रतिमान से घटिया सामग्री स्वीकार करने, नापजोख की पुस्तकों में हेरफेर करने, अधिक सामग्री दिए जाने, स्टोर की कमी और हिसाब सम्बन्धी गड़बड़ियों के ९२ मामले पकड़े ।

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता शाखा और इंजीनियरिंग सतर्कता दल दोनों के ३१-१२-५९ के पश्चात् तैयार किये गये मामलों में की गई कार्यवाही का संक्षेप नीचे दिया गया है :

	सतर्कता शाखा	सतर्कता दल
(१) सेवा से पदच्युति	१४	—
(२) सेवा से हटाया जाना (नियम १४९-आर० ओई० के अन्तर्गत सेवाओं की समाप्ति को सम्मिलित करके)	३५	१
(३) कमी	५	—
(४) वेतन वृद्धियां रोकना	११४	८
(५) अन्य दण्ड	६०	२४

†मूल अंग्रेजी में

सतर्कता दल की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप १९६० और १९६१ में अभी तक ठेकेदारों को किये गये अधिभुगतान की वापिसी के रूप में ६३,६६९ रुपये ४४ नये पैसों की बचत हुई।

सतर्कता शाखा द्वारा निम्नलिखित अवसरों पर 'घूस मत लो' आन्दोलन का संचालन किया गया और कर्मचारियों से घूस न लेने और जनता की कर्तव्य भावना से सेवा करने का आग्रह किया गया :—

(१) १९६० और १९६१ के आम और आलू के मौसम।

(२) जनवरी-फरवरी, १९६० में इलाहाबाद में हुआ अर्ध कुम्भ।

(३) फरवरी, १९६१ में कुरुक्षेत्र में हुआ सूर्य-ग्रहण मेला।

सतर्कता शाखा ने समय समय पर सम्बन्धित प्राधिकारियों का ध्यान प्रक्रिया सम्बन्धी दोषों की ओर आकर्षित किया जिनसे भ्रष्टाचार का मौका मिलता है और महत्वपूर्ण पदों से संदिग्ध ईमानदारी वाले कर्मचारियों के हटाए जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिए हैं।

सतर्कता शाखा ने माल की बुकिंग और डिलीवरी से सम्बन्धित वाणिज्यक कर्मचारियों और भर्त्ती तथा तबादले आदि से सम्बन्धित संस्थापन कर्मचारियों के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया।

सतर्कता शाखा ने पार्सलों और माल की तोल की जांच करने का अभियान भी संचालित किया जिससे कम तोलने के २०३ मामले पकड़े गये।

भूमि को समतल बनाना

†१९१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार को वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में भूमि को कृषि प्रयोजनों के लिये समतल बनाने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और अभी तक कितना कार्य हुआ है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** राज्य के विकास कार्यक्रम में भूमि को समतल बनाने की कोई भी योजना सम्मिलित नहीं है। परन्तु भूमि को समतल बनाने का कार्य कुछ योजनाओं में भूमि संरक्षण और वन रोपण कार्यों के अंग के रूप में किया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत १९६०–६१ में कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि को समतल बनाने के कार्य में ४३,३३३ रुपये व्यय हुए। १९६१–६२ के आंकड़े राज्य सरकार से वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त होंगे।

पंजाब को कृषि प्रयोजनों के लिए आवण्टत लोहा तथा इस्पात

†१९२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब ने वर्ष १९६१–६२ के लिये कृषि प्रयोजनों के लिये कितने लोहे तथा इस्पात की मांग की थी तथा उसे कितना आवण्टन किया गया; और

(ख) आवण्टित कोटे के संभरण के लिये क्या कदम उठाए गए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) कृषि प्रयोजनों के लिये लोहे तथा इस्पात का आवण्टन अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाता है। १९६१–६२ में पंजाब सरकार ने प्रथम अर्ध वर्ष अर्थात् अप्रैल, ६१ से सितम्बर, ६१ तक के लिये ११,७०० टन की मांग की थी जब कि आवण्टन ८,००० टन का किया गया था। दूसरी छमाही अर्थात् अक्तूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक के लिये राज्य सरकार ने ११,८०० टन की मांग की है और इसके सम्बन्ध में आवण्टन लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से मोटे आवण्टन की सूचना मिलते ही कर दिया जाएगा।

(ख) राज्य सरकारें उनको आवण्टित कृषि कोटा रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को वितरित करती हैं जो कलकत्ता के लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को इन्डेण्ट भेजते हैं। लोहा तथा इस्पात उन इन्डेण्टों को, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की अग्रिमता के अनुसार, उत्पादकों में बांट देता है। संभरण में शीघ्रता की दृष्टि से कृषि के लिये आवश्यक लोहे तथा इस्पात को सर्वाधिक अग्रिमता दी गई है।

भारत में कैंसर

†१९३. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी अस्पतालों में १९६१ में अभी तक कितने कैंसर रोगियो का उपचार किया गया है, और

(ख) क्या इस संख्या से रोग में वृद्धि मालूम होती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि कैंसर का रोग बढ़ रहा है या नहीं क्योंकि कैंसर के रोगियों की संख्या के सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

स्कूल के बच्चों को भोजन

†१९४. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्कूल के बच्चों को भोजन देने के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई स्कूल स्वास्थ्य समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश की गई है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

उत्तर रेलवे में १९६१ में हुई डकैतियां

†१९५. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे वि

(क) उत्तर रेलवे में वर्ष १९६१ में अभी तक कितनी डकैतियां डाली गई हैं; और

(ख) उनमें से कितने मामलों में अपराधियों का पता लगाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) चौदह ।

(ख) सात ।

फज़लिका स्टेशन

†**१९६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के फ़ज़लिका स्टेशन पर प्रथम और तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षागृह बहुत छोटे हैं और वहां अन्य यात्री सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर यात्री-सुविधाओं में क्या नये सुधार किये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली और नई दिल्ली के बीच ऊपरी पुल

†**१९७. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर आयोजन संगठन ने दिल्ली और नई दिल्ली के बीच ऊपरी पुल का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ; और

(ग) इस योजना की मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस पुल को मिन्टो रोड ब्रिज और हार्डिंग ब्रिज के बीच माडर्न स्कूल के पास बनाने का विचार है ।

(ग) यह ऊपरी पुल दिल्ली और नई दिल्ली को मिलायेगा और आजकल मिन्टो रोड ब्रिज व हार्डिंग ब्रिज के नीचे होने वाले यातायात की भारी कठिनाई को दूर करेगा। इस पुल पर दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिये मार्ग के अतिरिक्त यातायात के चार छोटे मार्ग होंगे । योजना का सम्पूर्ण व्यय उपर्युक्त सड़क प्राधिकार उठायेगा ।

ताज--दर्शक

†**१९८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में अब तक प्रति मास कितने दर्शक ताज देखने के लिये आगरा गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : १९६१-६२ में ताज देखने के लिये गये दर्शकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, नमूने के सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि औसत रूप में ९५,००० दर्शक प्रति मास ताज देखने गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोपाल–उज्जैन रेलवे लाइन पर स्टेशन

१९९. **श्री बलराज मधोक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल-उज्जैन रेलवे लाइन पर जाबड़ी नाम का एक नया स्टेशन १९६० में खोला गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय केवल माल गाड़ियां वहां ठहरती है और सवारी गाड़ियां नहीं ठहरतीं; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हा ।

(ख) और (ग). जाबड़ी क्रासिंग स्टेशन उज्जैन-भोपाल सेक्शन की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य मात्र से खोला गया है ताकि इस सेक्शन के बढ़ते हुये यातायात को सम्हाला जा सके। इस स्टेशन पर सवारी और माल गाड़ियां नियमित रूप से नहीं रोकी जातीं। आवश्यकतानुसार केबल दूस ी गाड़ियों के क्रासिंग के लिये यहां गाड़ियां रुकती हैं ।

अगरतला के लिए जल संभरण योजना

†२००. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि वाटर-वर्कस इंजीनियर के अभाव के कारण त्रिपुरा में अगरतला की पीने की पानी की योजना की कार्यान्विति में देर हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कठिनाई कब दूर होगी और योजना कब तक लागू होने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) नहीं ।

(ख) आशा है कि योजना १९६३ के अन्त तक लागू होगी ।

पूर्व रेलवे पर यातायात में गड़बड़ी

†२०१. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री (१) हाल की विस्तृत टूट-फूट के कारण पूर्व रेलवे पर यात्री या माल यातायात की गड़बड़; (२) रेलवे की कुल हानि; और (३) रुके यात्रियों के लिए किये गये प्रबन्धों के बारे में एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** विवरण बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कल रात को एरनाकुलम के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से एक तार मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि श्री टी० सी० एन० मेनन, संसद सदस्य को पुलिस द्वारा केरल पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत २०-११-१९६१ को प्रातः १०¾ बजे गिरफ्तार किया गया और बाद में ११.१५ बजे छोड़ दिया गया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: मैं भारतीय अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२२१ में प्रकाशित भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, १९६१

(दो) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६७ में प्रकाशित भारतीय तार (नवां संशोधन) नियम, १९६१

(तीन) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२१ में प्रकाशित भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, १९६१

[पुस्तकालय में रखा गया ; देखिये एल० टी० संख्या ३२९१/६१ ।]

दिल्ली विकास (सम्पत्ति का प्रबन्ध) विनियमन, १९६१ और खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६१

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: मैं (१) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३३८ में प्रकाशित दिल्ली विकास (जायदाद का प्रबन्ध) विनियम, १९६१ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं । तथा

(२) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक, १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३४ में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३१०२/६१ और ३२९२/६१]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ के अधीन अधिसूचनाएं

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: मैं डा० पं० शा० देशमुख की ओर से (१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अतर्गत उर्वरक

---

†मूल अंग्रेजी में

(नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १७ जून, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८०२

(ख) दिनांक १७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३९

(ii) वर्ष १९५९–६० के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३२९३/६१ और ३२९४/६१ ।]

वणिक् नौवहन अधिनियम तथा मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं और वर्ष १९५७-५८ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : मैं (i) वणिक् नौवहन एक्ट, १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६० ।

(ख) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य)

(ग) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चिकित्सा प्राधिकारियों को ले जाना) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २३१८/६०; २४९९/६१ ; ३१०३/६१ ।]

(ii) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (समुद्र सेवा में शिशिक्षुता) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (कार्यरत जहाजों का पंजीकरण) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४८ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीकरण) संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२९५/६१ ।]

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजबहादुर]

(iii) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तगत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १५ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/८८/६०—परिवहन ।

(ख) दिनांक २२ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २२(३)/६०—परिवहन ।

(ग) दिनांक ३ अगस्त, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/२१/६१—परिवहन ।

(घ) दिनांक ३ अगस्त, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/८०/५८—परिवहन ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३२९६/६१ ।

(iv) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ३० जुलाई, १९६० के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी० २६-९०/५७—२ ।

(ख) दिनांक १७ जुलाई, १९६१ के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी० २६-९०/५७—२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२९७/६१ ।]

(v) वर्ष १९५७-५८ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर वित्तीय समीक्षा की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३२९८/६१ ।]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन अधिसूचनाएं और वर्ष १९६०-६१ के लिये केन्द्रीय भांडागार-निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तृतीय संशोधन आदेश, १९६१ ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक ६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११८ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ग) दिनांक ६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११९ में प्रकाशित चावल (पंजाब) द्वितीय मूल्य नियंत्रण (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(घ) दिनांक १९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४५ में प्रकाशित चावल (पंजाब से आयात) आदेश, १९६१ ।

(ङ) दिनांक २९ जून, १९५९ और ६ नवम्बर, १९५९ की क्रमशः अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४७ और जी० एस० आर० १२३७ को रद्द करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०८ ।

(च) दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१० में प्रकाशित चीनी के व्यापारी (लाइसेंस संबंधी प्रतिबन्धों को हटाना) आदेश, १९६१ ।

(छ) दिनांक १५ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११२ और दिनांक २ जनवरी, १९६१ के जी० एस० आर० १ को रद्द करने वाली और उसके परिणाम स्वरूप विषयों का उपबंध करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२११ ।

(ज) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या १२१३ में प्रकाशित गेहूं का आटा पीसने की चक्कियां (लाइसेंस देना और नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन आदेश, १९६१ ।

(झ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३७ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) द्वितीय संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ञ) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६४ में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न यातायात नियंत्रण (संख्या २) द्वितीय संशोधन, १९६१ ।

(ट) दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८८ को रद्द करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७२ ।

(ठ) दिनांक १७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२९० ।

(ड) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (यातायात पर प्रतिबन्ध) द्वितीय संशोधन आदेश, १९६१ ।

[श्री अ० म० थामस]

(ढ) दिनांक ३० अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१३ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ण) दिनांक ३० अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१४ में प्रकाशित चावल (पंजाब) द्वितीय मूल्य नियंत्रण (बारहवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(त) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३८ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मल्य नियंत्रण (चतुर्थ संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(थ) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३९ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात/नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ii) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम, अधिनियम, १९५६ की धारा ४२ की उपधारा (९) के अन्तर्गत वर्ष, १९६०–६१ के लिये केन्द्रीय भांडागार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखा सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३२९९/६१ और ३३००/६१ ।]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नब्बेवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा)** : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का नब्बेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : लोक सभा के गत सत्र में श्री आसर के तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के बारे में में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने बताया कि गैर सरकारी बसें ३७ मार्गों पर कार्य कर रही हैं । इस जानकारी का आधार डी० टी० यू० के अध्यक्ष का वह वक्तव्य था जो कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था । बाद को जांच करने पर ज्ञात हुआ कि गैर सरकारी बसें २८ मार्गों पर ही कार्य कर रही हैं । ३९ गैर-सरकारी व्यक्ति अपनी बसें चला रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन रास्तों पर डी० टी० यू० की बसें भी चल रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : ये रास्ते सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं और गैर सरकारी व्यक्ति ही इन रास्तों पर अपनी बसें चला रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह मालूम करना चाहते हैं कि क्या इन रास्तों पर डी० टी० यू० की बसें भी चल रहीं हैं।

†**श्री राज बहादुर** : निश्चित रूप से मैं नहीं बता सकता। मेरा ख्याल है कि वहां इस प्रकार की बसें नहीं चल रही है।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : क्या सरकार ने और अधिक मार्गों पर गैर सरकारी बसें चलाने का निर्णय किया है।

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न यहां असंगत है।

समिति के लिये निर्वाचन

पशु कल्याण बोर्ड

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : श्री स० का० पाटिल की ओर से मैं प्रस्तुत करता हूं कि :-

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ५ (१) के खंड (६) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त एक्ट, के अन्य उपबन्धों के अधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये, अपने में से चार सदस्य चुने।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :-

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ५(१) के खंड (६) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त एक्ट, के अन्य उपबन्धों के अधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये, अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रौद्योगिकीय संस्था विधेयक

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने और तत्संबंधी तथा भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर सम्बन्धी कतिपय विषयों के उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने और तत्संबंधी तथा भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

कतिपय विषयों के उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हुमायूं कबिर** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

शिशिक्ष विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २० नवम्बर, १९६१ को श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करेगी :-

"कि व्यवस्सायों में शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित तथा नियंत्रित करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : यह विधेयक निश्चय ही शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करेगा । फिर भी इस में कुछ कमियां हैं जिनको दूर करना अत्यंत आवश्यक है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पहली बात तो यह कि शिशिक्षुकों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण का ढंग उनके काम के घंटे, व्यावसायिक रुचि, छात्रवृत्ति और, मजूरी आदि का सवाल राज्यों तथा केन्द्रीय शिशिक्षु परिषद पर छोड़ दिया गया है । विधेयक में शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण की अवधि विहित नहीं है । कुछ कारखानों में शिक्षिक्षुओं को प्रशिक्षण की कोई सुविधा ही नहीं है । प्रवीण कारीगर बनने के लिये काफ़ी दिनों तक उन्हें प्रबन्धकों के दरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं । कुछ कारखानों म इन्हें भत्ता तक नहीं दिया जाता । यदि हम यह सारा मामला राज्यीय शिशिक्षु परिषद् के हाथ में छोड़ दें तो उन्हें छात्रवृत्ति अथवा मजरी पाना बहुत कठिन हो ज़ायेगा । अतः यह उपबन्ध बड़ा असंतोषजनक है । बिना कुछ धन दिये उनका काम करना बड़ा कठिन है क्योंकि उन में से बहुत से तो निर्धन परिवार के होते हैं । अतः मेरा सुझाव है कि इन शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण काल के प्रथम वर्ष में प्रवीण कर्मचारी के वेतन का २५ प्रतिशत दूसरे वर्ष में ५० प्रतिशत तथा तीसेरे वर्ष में तथा उन्हें उचित नौकरी मिलने तक ७५ प्रतिशत धन दिया जाये । मेरा निवेदन है कि श्रम मंत्री मेरे इस सुझाव को स्वीकार करें ।

जहां तक शिशिक्षुओं की भर्ती का प्रश्न है । उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब है प्रायः पदाधिकारी अपने रिश्तेदारों को ही अच्छे प्रशिक्षण में मौका देते हैं और बाहरी नवयुवकों को कोई अवसर नहीं देते । अतः ऐसी स्थिति में भर्ती के लिये कोई उचित तरीका होना चाहिये ताकि योग्य उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त करने से बंचित न रह जायें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विधेयक में यह भी कहा गया है कि प्रबन्धकों का यह दायित्व नहीं है कि शिशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद वे उन्हें नौकरी देंगे ही। यह कोई अच्छा उपबन्ध नहीं है। आजकल प्रायः ऐसा होता है कि कारखाने शिशिक्षुओं को अपने यहां स्थान नहीं देते बल्कि प्रबन्धक अपने रिश्तेदारों को ही नौकरी दिलाने का प्रयत्न करते हैं। जब कि ये रिश्तेदार यहां तक भी नहीं जानते कि मशीनों पर किस प्रकार काम किया जाता है। इस प्रकार, शक्ति, धन, और कला का व्यर्थ में ही अपव्यय होता है और उत्पादन भी गिरता है। लेकिन कारखानों के मालिक कर्मचारियों को कम उत्पादन के लिये दोषी ठहराते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि शिशिक्षुओं को उसी कारखाने में काम पर लगाया जाये जिस में कि उसने पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और नौकरी देने का यह काम राष्ट्रीय परिषद् के द्वारा किया जाना चाहिये। ऐसा यदि न किया गया तो प्रशिक्षण का उद्देश्य ही बेकार है और प्रशिक्षण पर जो धन व्यय किया गया है वह बेकार ही जाता है।

इस योजना को अच्छी तरह चलाने के लिये कुछ परिषदें बनाई गई हैं और कुछ परामर्श-दाता भी नियुक्त किये गये हैं जिनका उल्लेख विधेयक के अध्याय ३ में किया गया है। उनको पूरा प्राधिकार भी रहेगा। मेरा निवेदन है कि इन राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परिषदों में श्रम संघ के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जायें ताकि परिषदें नौकरशाही के तरीकों से काम न करें। वर्ना ये परिषदें ठीक ढंग से काम नहीं कर पायेंगी। यदि सारा काम इन परिषदों पर ही छोड़ दिया गया तो शिशिक्षुओं को कोई लाभ नहीं होगा। आशा है कि मेरा सुझाव कि इन परिषदों में श्रम संघ के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जायें स्वीकार किया जायेगा।

साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि इन शिशिक्षुओं को पुराने कर्मचारियों का पूरा पूरा सहयोग मिले ताकि वे व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक दोनों प्रकार की ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। कारखानों में जो तरुण कर्मचारी हैं उन्हें उच्च प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के लिये इस विधेयक में उपबन्ध करना चाहिये। अतः इस विधेयक के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि अदक्ष, अर्द्धदक्ष, और दक्ष कर्मचारियों के प्रशिक्षण का उपबंध हो ताकि वे पर्याप्त समय के बाद अच्छे प्रविधिज्ञ बन सकें। मेरा यह भी निवेदन है कि इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की जाये विदेशों में भी कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण दिया जाये। सरकार को चाहिये कि वह श्रमिक संघों के कर्मचारियों को प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये उन देशों में भेजने की अनुमति दे जो कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

योजना ११ महीने चलेगी और उन्हें सम्बद्ध देशों की भाषायें सिखा कर प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। अब तक ४५ विद्यार्थी इस के लिए हम से मांगे गये हैं, परन्तु अभी तक हम एक भी नहीं भेज सके। इसका कारण परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां है। प्रवीण कर्मचारियों की बहुत ही कमी है। अच्छा हो यदि कोई कार्मिक संघ उच्च प्रविधिक प्रशिक्षण के लिए अपने कुछ लोगों को विदेशों में भेज सके। जो लोग वैसे जा सकते हैं उन्हें भी जाना चाहिये। इग्लैंड में तो भारतीय अब जा नहीं सकते जैसे कि पहले शिक्षा के लिए जाते थे। ब्रिटेन की लोक-सेभा ने इस बारे में विधेयक पारित कर भारतीयों का वहां आना रोक दिया है। साम्यवादी देशों में तो प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने जाने वालों का स्वागत किया जाता है। इसके लिये मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकार का उपबन्ध बनाया जाये ताकि लोग विदेशों में प्रशिक्षण के लिये जा सकें।

इन शब्दों से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। यदि मेरे द्वारा जो कमियां प्रस्तुत की गयी हैं उन्हें दूर कर दिया जाये तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं

[श्री मुहम्मद इलियास]

कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि इसकी समुचित छान बीन हो सके।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु मेरा विचार है कि कुछ मामलों पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस बात को मैं मानता हूं कि अच्छा हो यदि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मेरा मत है कि जो व्यवस्था हम आज तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कर रहे हैं यह व्यवस्था प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी और यह विधेयक १० वर्ष पूर्व लाया जाना चाहिए था।

यह बड़े खेद की बात है कि विधेयक में कोई भी बात दृढ़ता से नहीं कही गई। और अन्तिम रूप में कुछ भी निर्धारित नहीं। सब बातें बनाने वाले नियमों पर छोड़ दिया गया है। इस दिशा में मेरा यह भी मत है कि प्रशिक्षण के संविदा को केवल मालिकों तथा कर्मचारियों के निर्णय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये था। इसके अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी का भी उपबन्ध नहीं किया गया, जो कि किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार भत्ता देने के भी कुछ प्रभाव निर्धारित किये जाने चाहिये थे।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

माननीय मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करते समय यह ठीक कहा कि कामगर अधिनियम तथा कर्मचारियों संबंधी अन्य विधान उचित रूपभेदों के साथ शिशिक्षुओं पर लागू हों, अन्यथा इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि शोषण होता रहे। छुट्टियों काम के घंटों तथा अन्यान्य संबद्ध मामलों के बारे में कोई निश्चित सिद्धांत होना चाहिये और वह शिशिक्षुओं पर भी लागू होना चाहिये। मेरा मत है कि इस मामले में विधेयक बड़ा अस्पष्ट है, जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिये।

जहां तक प्रशिक्षण के गुण अवगुण का संबंध है यह इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के लिये किस प्रकार के पाठ्यक्रम विहित किये जाते हैं। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि इस बात के बारे में सभी कुछ संदिग्ध रखा गया है। यह तो ठीक है कि प्रशिक्षण का व्यय सरकार देगी परन्तु इस दिशा में ५०० कर्मचारियों से कम वाले और ५०० कर्मचारियों से अधिक वाले निकायों में अन्तर क्यों किया गया है। मेरा मत यह है कि सरकारों को स्कूलों के सहाय्य अनुदान के समान सहाय्य अनुदान की संहिता बनाई जानी चाहिए। और इसे सभी कारखानों पर लागू किया जाये जिससे शिशिक्षु काम कर रहा हो चाहे उस कारखाने में ५०० से कम कर्मचारी हों अथवा अधिक कर्मचारी सेवायुक्त हों।

इसके अतिरिक्त इसमें इस अभिप्राय का भी कोई उपबन्ध नहीं रखा गया कि राष्ट्रीय परिषद् के इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या कृत्य होंगे। यही बात राज्य परिषदों पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय परिषद् के कृत्य अन्य निकाय से, जिसका निर्माण करना आवश्यक है, पृथक कर दिये जायें ताकि यह निर्णय अधिनियम के समूचे रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण की ओर भी कुछ ध्यान दे सके। मेरा तो यही मत है कि विधेयक पर बढी सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है ; उसे प्रवर समिति को सौपा जाये।

हमने आगे भी प्रतीक्षा की है यदि प्रवर समिति के विचार के लिए कुछ मास की देर भी हो जाय तो हमें इस से संकोच नहीं करना चाहिये।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : सभानेत्री महोदया, जो बिल पेश किया गया है उस का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस बिल को केवल श्रमिकों की दृष्टि से नहीं बल्कि देश की दृष्टि से देखना चाहिये। जब इस बिल के ऊपर हम विचार करते हैं तो दरअसल हमें ऐसा महसूस होता है कि इस बिल को कानूनी रूप दिया गया और इसका बराबर अमल कराया गया तो हमारी राष्ट्रीय आय पर काफी अच्छा असर पड़ेगा।

आज जब हम पब्लिक सैक्टर अथवा प्राइवेट सैक्टर को देखते हैं तो हमें उन में कुशल श्रमिकों की कमी अक्सर महसूस होती है। जाहिर है कि इस कमी के होने के कारण जहां जितना उत्पादन होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। साथ ही जो क्वालिटी चाहिये वह क्वालिटी भी प्राप्त नहीं होती है।

हमें भी दूसरे देशों में इसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम वहां यह पाते हैं कि क्या तो प्राइवेट सैक्टर में और क्या तो पब्लिक सैक्टर में, इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जिन उद्योगों को कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है उन्हें कुशल श्रमिक आसानी से मिल सकें। लेकिन इसके विपरीत हम अपने देश में क्या पाते हैं? हमने अपने यहां देखा है कि कुछ समय ऐसा भी आता है जब कुशल श्रमिकों के अभाव के कारण उद्योगों के अन्दर काफी मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ५० प्रतिशत उत्पादन भी नहीं होता और जो होता भी है उसमें जो क्वालिटी चाहिये वह क्वालिटी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो बिल लाया गया है और इसके अनुसार अगर हम श्रमिकों को आवश्यक ट्रेनिंग दिलाने की उचित व्यवस्था करते हैं और उन्हें बराबर ट्रेनिंग मिलती है तो एम्पलायमेंट की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से और हमारी नेशनल इनकम की दृष्टि से बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हमने उत्पादन का टार्गेट ठहराया है और इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि क्वालिटी इम्प्रूव हो तो वह जभी हो सकती है जबकि व्यवसाय और उद्योगों के अन्दर हमें कुशल कारीगर व श्रमिक मिलें। उनके ऊपर बड़ा आधार है।

इस बिल में खास तौर पर यही बात कही गई है कि श्रमिकों को अच्छी ट्रेनिंग दिये जाने का प्रबन्ध किया जाये। उद्योग व्यवसाय के ऊपर भी इस व्यवस्था का अच्छा असर पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय ने कल अपने प्रस्तावक-भाषण में थोड़े में बहुत अधिक कहा है, इस लिए इस विषय में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

अभी कुछ मित्रों ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही है। मैं इस मत का नहीं हूं, क्योंकि इस बिल को पेश हुए काफी अरसा हो गया है। पिछले अधिवेशन में इस पर डिस्कशन होने वाला था और ऐन वक्त पर वह रह गया नहीं तो वह पिछले अधिवेशन में ही पास हो गया होता। आज यह देख कर दुःख होता है कि कुछ मित्रों ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात तो कही है, लेकिन उनकी तरफ से एक भी अमेंडमेंट इसके सम्बन्ध में नहीं आया है। इस बात का भी दुख है कि जो माननीय सदस्य लेबर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, जो अपने आपको सेंट्रल ट्रेड यूनियन आरगनाइजेशन्ज के मेम्बर बताते हैं, उन्होंने भी कोई अमेंडमेंट नहीं दी न कोई अमेंडमेंट के द्वारा यह नहीं कहा कि इस कौंसिल में लेबर का प्रतिनिधि होना चाहिये। आज, जब कि लोक-सभा का यह अधिवेशन थोड़े समय के लिये चलने वाला है, अगर वह यह बात कहें कि इस महत्वपूर्ण बिल को सिलेक्ट

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

कनेटो के सामने भेजा जाय, जिसके परिणामस्वरूप शायद यह लैप्स हो जाये और इस पर अमल न हो, तो इसका अर्थ तीसरी पंचवर्षीय योजना को लंगड़ा-लूला बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले ही इस सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिये था। इसमें इतना समय बीत गया इस पर दुख होता है। और उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उससे उद्योग को फ़ायदा होगा और साथ ही मजदूरों का लिविंग स्टेंडर्ड भी बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल स्लोगन्स से कुछ होने वाला नहीं है। श्रमिकों को इनकम बढ़ाने से ही उनका लिविंग स्टेंडर्ड बढ़ेगा। इस बिल को पास करने में देरी करने से श्रमिकों का नुक्सान होगा।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैंने लगभग तेरह अमेंडमेंट रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि इन अमेंडमेंट्स को स्वीकार करने से इस बिल पर अमल कराने में गवर्नमेंट और उद्योग को मदद मिलेगी।

यह कानून किस समय, किस क्षेत्र में, किस उद्योग में लागू किया जायेगा, इस संबंध में सारा अधिकार केन्द्रीय शासन ने अपने हाथ में रखा है। मैं समझता हूं कि इसके साथ ही राज्य शासनों को भी इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे जब चाहें, इस बिल को किसी उद्योग या क्षेत्र में लागू कर सकें। इसका कारण यह है कि इस विषय में उद्योगपतियों और ट्रेडयूनियन्ज में परस्पर बात-चीत होने का सवाल आता है और स्टेट लेवल पर ऐसा करना अधिक सुविधाजनक होगा। शासन केवल कानून बना देने से ही उस पर अमल नहीं करा सकता है। अगर इसमें काम करने वालों, श्रमिकों और उद्योगपतियों का पूरा सहयोग हो, तभी उस पर अमल हो सकता है, नहीं तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस लिये इस कानून में यह संशोधन करने की जरूरत है कि यह अधिकार राज्य शासनों को दिया जाना चाहिये कि वे इस कानून को कब, किस क्षेत्र में, किस उद्योग में लागू करें।

इस बिल में यह कहा गया है कि जिन ट्रेनीज या ऐप्रेंटिसिज ने किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में तालीम पाई हो, उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाये और जिन्होंने किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कोई डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया है, उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग दोनों दी जायेंगी जो एग्रीमेंट होगा, उस में इस ट्रेनिंग का समय निश्चित किया जायगा। मेरा निवेदन है कि इस बिल में परिभाषा के अन्तर्गत बेसिक ट्रेनिंग अर्थात् बुनियादी ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी व्यावहारिक ट्रेनिंग को स्पष्ट कर देना चाहिये। धारा ६ में ट्रेनिंग के समय का उल्लेख किया गया है और धारा ९ में बेसिक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उल्लेख किया गया है। लेकिन डेफिनीशन में केवल ट्रेनिंग का ही ज़िक्र किया गया है और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्रेनिंग कौन सी होगी। मैं चाहता हूं कि परिभाषा में दोनों बातें आनी चाहियें और बेसिक ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग अवधि निश्चित की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं भोपाल, में स्थित हेवी इलैक्ट्रिकल्ज के ट्रेनीज का ज़िक्र करना चाहता हूं। पहले भारत सरकार ने यह तय किया कि उन ट्रेनीज़ का, जिनकी संख्या हजारों में होगी, ट्रेनिंग पीरियड अठारह महीने का होगा और उसके बाद उनको काम दे दिया जायगा और वेतन वगैरह चालू हो जायगा। लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने विचार किया कि बेसिक ट्रेनिंग का पीरियड ठहराया गया है और इसके साथ ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए और इन लोगों को प्लांट में भेजना चाहिए। उन्होंने यह तय किया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अवधि

तीन महीने हो और उसके बाद एक परीक्षा हो। जो ट्रेनीज उस परीक्षा में पास हो गए, उनको तो प्लांट में लगा दिया जायगा और जो पास न हुए, उनको तीन महीने का प्रशिक्षण और लेना होगा। जो शुरू में नहीं ठहराया गया था। इस प्रकार ट्रेनिंग का पीरियड कुल मिला कर दो साल का हो गया। जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए तीन महीने की अवधि और बढ़ा कर रखी गई और इस विषय में अमेंडमेंट लाया गया, तो वहां पर हड़ताल हुई।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि पहले से ही यह ठहरा देना चाहिए कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा। मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन भी रखा है।

इस बिल के द्वारा यह ठहराया गया है कि किसी उद्योग-व्यवसाय में एप्रेन्टिसिज की संख्या वहां काम करने वाले श्रमिकों के परिमाण के आधार पर निश्चित की जायेगी और ऐसा एक एग्रीमेंट के द्वारा तय किया जायगा। लेकिन इस के साथ ही उद्योगपतियों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वे चाहें, तो अपने उद्योग में उस संख्या से अधिक भी एप्रैन्टिसिज रख सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे बड़ी गड़बड़ी होगी। जहां तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का प्रश्न है, उसमें ऐसा नहीं है कि एप्रेन्टिसिज प्लांट में केवल ट्रेनिंग ही लेते हैं, वे उत्पादन भी करते हैं और उनके द्वारा प्लांट में काम भी होता है। अक्सर देखा गया है और आज भी देखा जाता है कि सभी उद्योग एप्रेन्टिसिज रखते हैं, हालांकि इस बारे में कुछ निश्चित नियम नहीं होता है कि उनको क्या दिया जाये, या उन से क्या काम लिया जाये। इस व्यवस्था का परिणाम आखिर में यह होगा कि एक ओर उद्योगपति एप्रेन्टिसिज की संख्या अधिक कर देंगे और दूसरी ओर श्रमिकों की संख्या कम कर देंगे। एप्रेन्टिसों को भी मैं आपको बताऊं वे मनमाने ढंग से रखेंगे। जिनको वे चाहेंगे रखेंगे जिनको नहीं चाहेंगे नहीं रखेंगे। आपने जो संख्या कम से कम ठहराई है उससे अधिक भी वे उनको थोड़े पैसों में रख लेंगे। इसका नतीजा वही होगा जो आज तक होता रहा है। झगड़े पैदा होंगे। आज तक ऐसा ही होता आया है कि नीचे से ऊपर तक जहां भी आप जाओ अपनों की सुनवाई होती है, गैर-वालों की कोई सुनवाई नहीं होती है। ट्रेनीज के अन्दर, एप्रेंटिसिस के अन्दर भी यही बात होने वाली है। मैं आपको एक जगह की मिसाल दे सकता हूं। उस कारखाने का जो मालिक है, जो सेठ जी हैं, उनका जो रसोइया है, वह उस कारखाने में वैलफेयर आफिसर के तौर पर काम कर रहा है। इस तरह की बातें सभी कारखानों में होती हैं। इस तरह की बातें न हों, इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। आपका जो कानून है और उस कानून का जो मंशा है, उस पर बराबर अमल होना चाहिये। इस दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि आप इसका नियमन इस प्रकार से करें कि एक निश्चित संख्या से अधिक वे ट्रेनीज को न रख सकें। आप चाहें तो संख्या को अधिक ठहरा सकते हैं लेकिन उससे अधिक रखने की उनको छूट नहीं मिलनी चाहिये। आपके पास फिगर्ज हैं कि किस-किस उद्योग में, किस-किस कारखाने में श्रमिकों की गैर-हाजिरी का परिमाण कितना होगा। कहीं पर वह १५ प्रतिशत होता है, कहीं १२ प्रतिशत होता है, कहीं पर १० प्रतिशत होता है। अहमदाबाद जैसे शहर में जहां अच्छा आर्गेनाइजेशन है, वहां गैर-हाजिरी का परिमाण बहुत ही कम है। इस परिमाण में आप दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत या चार प्रतिशत और या पांच प्रतिशत ट्रेनीज अधिक ले सकते हैं; लेकिन इस मामले में बिल्कुल ही खुली छूट उद्योगपतियों को नहीं दी जानी चाहिये कि वे जितने भी चाहें रख लें। अगर आपने ऐसा किया तो इस बिल के कानून बन जाने के बाद इसको अमली रूप देने में आपको

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

मुश्किल होगी और जिस रूप में इस पर अमल होना चाहिये, उस रूप में इस पर अमल नहीं आप करा सकेंगे।

इस बिल के कानून बन जाने के बाद एप्रेंटिस उद्योगों में काम करेंगे और आप ने बिल में रखा है कि इन एप्रेंटिसों के बरताब और डिसिप्लिन के सम्बन्ध में वही कानून इन पर लागू होंगे, वही स्टैंडिंग आर्डर्ज लागू होंगे जोकि दूसरे श्रमिकों पर लागू होते हैं। यह सब तो ठीक है। इनको सजा देने की जब बात आई तब तो अन्य श्रमिकों को सजा देने के कानून के मुताबिक आपने इनको सजा दे दी और इन पर वे कानून और स्टडिंग आर्डर्ज लागू कर दिए। लेकिन अगर उस उद्योग में, उस विभाग में, उस प्लांट में जो एप्रेंटिस काम करते हैं, उनको लाभ देने की बात आती है, फायदा पहुंचाने की बात आती है और उसके बारे में जो कानून हैं, आप कहते हैं, वे इन पर लागू नहीं होंगे, उनसे वे मुक्त रहेंगे और उनका फायदा उनको नहीं मिल सकेगा। मेरा निवेदन है कि आप उनको ट्रेनिंग दें और कहीं भी दें, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन किसी प्लांट में, किसी उद्योग में जहां उत्पादन होता है, वहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो एप्रेंटिस जाते हैं, वहां पर उनको बराबर उन कानूनों का लाभ मिलना चाहिये जिनका उन उद्योगों में उन प्लांटों में काम करने वाले अन्य श्रमिकों को मिलता है। अगर उनको इन लाभों से अलग रखा गया तो उसका फायदा एम्प्लायर्ज ही उठाने वाले हैं और उससे श्रमिकों को लास होने वाला है। यह मेरा निश्चित मत है। आपने श्रमिकों के सम्बन्ध में ओवर-टाइम के बारे में फैक्ट्री एक्ट के अन्दर यह ठहराया है कि अगर उनको देरी तक काम करना पड़ता है तो उनको ओवर टाइम मिलेगा। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो एप्रेंटिस किसी प्लांट में जाते हैं, उन्हें भी मैं समझता हूं उसी आधार पर ओवर-टाइम का पैसा मिलना चाहिये जिस आधार पर कि उस प्लांट में काम करने वाले अन्य श्रमिकों को मिलता है। क्या करण है कि आप उनको इससे वंचित रखते हैं? आपने फैक्ट्री एक्ट के अन्दर यह ठहराया है कि किसी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को जो ओवर-टाइम मिलेगा वह उनको वेतन वगैरह जो मिलता है, उसका डबल मिलेगा, तो फिर इनको भी अपने वेतन आदि का डबल क्यों न मिले? डिसिप्लिन और बर्ताव आदि के सम्बन्ध में, सजा देने के सम्बन्ध में तो उन पर वही नियम लागू होंगे जो कि अन्य श्रमिकों पर लागू होते हैं, तो फिर जहां लाभ की बात हो, उन लाभों से इनको क्यों अलग रखा जाता है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं। मैं चाहता हूं कि लाभ भी उनको अन्य श्रमिकों की भांति ही मिलना चाहिये।

अब मैं जो बकाया रकम श्रमिकों और एप्रेंटिसों की निकलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने श्रमिकों के बारे में तो यह ठहरा रखा है कि अगर उनकी कोई बकाया रकम निकलती है तो पेमेंट आफ वेजिज एक्ट के अनुसार वे आगे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यह बात एप्रेंटिसों पर लागू नहीं होती है। अगर किसी की कोई बकाया रकम एम्प्लायर के पास निकलती है तो उसको चक्कर काटने होंगे, इस रकम को वसूल करने के लिए। इससे बड़ी मुश्किल का सामना उनको करना पड़ेगा। इस वास्ते इस बिल में इसकी भी गुंजाइश रखी जानी चाहिये, कोई ऐसी धारा भी रखी जानी चाहिये कि अगर किसी एप्रेंटिस की कोई बकाया रखम निकलती है तो उस धारा के अनुसार वह रकम वसूल की जा सकती है। श्रमिकों के लिए रकम को वसूल करने के लिए अपने फैक्ट्री एक्ट में, पेमेंट आफ वेजिज एक्ट में और दूसरी जगह ऐसा ठहराया है कि किस तरह से यह और प्राविडेंट फंड की रकमें वसूल की जा सकती हैं और यह भी कहा है कि लैंड रेवेन्यू

एक्ट के तहत उनको फौरन वसूल भी किया जा सकता है। यह सब कुछ कर चुकने के बाद भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि श्रमिकों की लाखों करोड़ों की रकम एम्प्लायर्ज के पास पड़ी हुई है जो वसूल नहीं हुई है। जब कानून होते हुए भी उसको वसूल नहीं किया जा सका है तो फिर इन एप्रेंटिसों के सम्बन्ध में जहां कोई कानूनी आधार ही नहीं है, कैसे रकम वसूल होगी और उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। कोई धारा इस सम्बन्ध में इस बिल में न होने से बड़ी कठिनाई होगी और मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाए।

इस बिल में यह भी लिखा है कि एप्रैंटिस और एम्प्लायर के बीच जो एग्रीमेंट होगा, उसको दोनों में से कोई भी जब चाहे, समाप्त कर सकता है। यह जो व्यवस्था रखी गई है, इससे बड़ी कठिनाई होगी। इस से तो इस कानून का कोई रूप ही नहीं रह जाएगा। एम्प्लायर ने चाहा तो एग्रीमेंट समाप्त हो गया और अगर एप्रैंटिस ने चाहा तो वह खत्म हो गया। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि जो आपका एडवाइज़र है, वह कारणों की जांच करके लिखित रूप में अगर यह न दे दे कि एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया जाए तब तक उसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जो एडवाइजर या रजिस्ट्रार आपने इसके अन्दर ठहराया है, जब तक वह इसके संबंध में लिख कर न दे दे तब तक उस एग्रीमेंट को समाप्त हुआ नहीं समझा जाना चाहिये। वह इसको कारणों की जांच करने के बाद लिख कर दे सकता है और तब ही इस समझौते को समाप्त हुआ समझा जाना चाहिये।

जो बातें मैंने कही हैं, मेरा नम्र निवेदन है, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। जो १३ एमेंडमेंट्स मैंने रखी हैं, वे मैंने अपनी दृष्टि से नहीं रखी हैं, बल्कि आपको मदद करने के लिए रखी हैं। इन एमेंडमेंट्स को स्वीकार अगर कर लिया जाता है तो इस कानून को असली रूप देने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। यह एप्रैंटिस ट्रैनिंग कोर्स जो शुरू किए जाने वाले हैं, इसके बारे में जो निर्णय हुआ है, उसमें ट्रैड यूनियन्स का जबर्दस्त हाथ है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी आई० एन० टी० यू० सी० का तो बहुत ही जबर्दस्त हाथ है। अगर बुनियादी तरीके से इस सवाल को किसी ने उठाया हो तो इसका श्रेय आई० एन० टी० यू० सी० को मिलना चाहिये। इस पर अमल कराने में भी म निवेदन करना चाहता हूं कि यह यूनियन दूसरी यूनियन से और गवर्नमेंट से भी प्रथम रहने वाली है। जितने भी आपने लेबर लैजिस्लैशंज़ बनाये हैं उन पर अमल कराने में आई० एन० टी० यू० सी० का प्रमुख हाथ रहा है और उसने इनको सफल बनाया है। मैं आपको अपने प्रदेश की बात ही बताता हूं। हर एक कानून के बारे में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में सब से बेहतरीन सहयोग आपको आई०एन०टी०यू०सी० से ही मिला होगा और उसने इन सब लाज़ को सैंट-पर-सैंट सफल करके दिखाया है। आप वर्कर्ज़ एजूकेशन को लीजिये, उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी प्रथा को लीजिये, इन सभी क्षेत्रों में उसने पूर्ण सहयोग दिया है और इन कानूनों को सफल करके दिखाया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंडियन लेबर कान्फ्रेंस में इस बारे में निर्णय होता है और आई० एल० ओ० का यह सिद्धान्त भी है और सारी बातें हैं कि श्रमिकों को प्रतिनिधित्व मिले लेकिन इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि शुरू से ले कर अन्त तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इसका क्या कारण है? हमें अछूत क्यों माना जाता है जबकि भारत में संविधान के अनुसार छुआछूत खत्म हो गई है। आखिर में सवाल यह आता है कि इस को सफल बनाया जाए, इसको यह किया जाय, इस को वह किया जाय। लेकिन आप ने भोपाल हेवी एलेक्ट्रिकल्स में क्या किया? तमाम एप्रैंटिस ट्रेनीज जो थे उन पर यह बन्दिस लगा दी गई कि वे ट्रेड यूनियन के मेम्बर नहीं बन सकते और उन के बारे में ट्रेड यूनियन वाले नहीं बोल सकते। अन्त में जब हड़ताल हुई, जो लोग हमेशा सहयोग देते रहे और वहां ट्रेड यूनियन मूवमेंट को चला रहे हैं उनसे तो हड़ताल तोड़ने का सहयोग मांगा गया और समझौते के लिए उन

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

को अलग रखा गया और ऐसी ट्रेड यूनियन वालों को बुलाकर दूसरे प्रदेशों से बुलाकर जिनका वहां से कोई वास्ता नहीं है, कहा गया कि यह लोग अनशन कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन देकर कि आपकी मांग मंजूर कर ली गयी है आप उन्हें मोसम्बी का रस पिला कर अनशन समाप्त करायें। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस ट्रेड यूनियन से हम डील करते हैं, जो उस उद्योग में प्रतिनिधि यूनियन है, सारी की सारी बातें हैं, उन से मैनेजमेंट बात नहीं करता है और ऐसे ट्रेड यूनियन के आदमियों को बुला कर, जिनका वहां और उस प्रदेश में कुछ लेना देना नहीं है, आप के चेअरमैन साहबहेवी एलेक्ट्रिकल्स के अन्दर कहते हैं कि वह लोग अनशन कर रहे हैं, उनकी मांगे मंजूर हैं इन्हें आप रस पिला दीजिये। यह तो एक ऐसी चीजें हो गईं, जिस में बुनियादी बात को बिल्कुल छोड़ दिया गया।

मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से नहीं चल सकता आप को सही दृष्टि से सोचना होगा। आप ने इस बिल में केन्द्रीय और स्टेट लेबल पर जो कौंसिल बनाई है उसमें एम्प्लायर्स के प्रतिनिधि आप ने स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रतिनिधि रक्खे, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि रक्खे, तरह-तरह के प्रतिनिधि रक्खे लेकिन जो सही तौर से लेबर के प्रतिनिधि हैं, जो खुद लेबरर्स हैं जो ट्रेनिंग लेने वाले अपरेन्टिस हैं, जो प्लान्ट में काम करने वाले हैं, आप उनकी परवाह नहीं करते हैं और उनके प्रतिनिधि नहीं रखे हैं। जब तक किसी अपरेन्टिस को इस की तालीम नहीं मिलेगी कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट का सही दृष्टिकोण क्या है, और उसको न समझ कर वहां पर भूख हड़ताल हो गई, तब तक आप के यहां डिसिप्लिन रहने वाली नहीं है। अब आज एक-एक श्रमिक को समझना चाहिये कि सही ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या है। मैं इस चीज को मानता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह ठहराया गया था कि श्रमिकों को सही ट्रेड यनियन मूवमेंट की ओर ले जाना है ताकि उसको उसका पूरा ज्ञान हो जाये और उसका वह पूरा अध्ययन करे, और इस लिए आप ने वर्कर्स एजूकेशन की शुरूआत की। एक तरफ आप वर्कर्स एजूकेशन चला रहे हैं, दूसरी ओर जिस कौंसिल में मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, स्टेट लेवेल पर और सेंट्रल लेवेल पर, वहां पर लेबर के प्रतिनिधित्व का नाम भी नहीं है। इस के बारे में भी मेरे संशोधन हैं, और मैं आशा करता हूं कि उनके बारे में आप सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रेनीज को भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट से अलग नहीं रक्खा जाना चाहिये। बल्कि इस में यह साफ करना चाहिये कि ट्रेनिंग पाने के लिये अगर कोई भी अपरेन्टिस आयेगा तो वह ट्रेड यूनियन का मेम्बर बन सकता है, और ट्रेड यूनियन के संबंध में उसको भी वही अधिकार होंगे जो अन्य श्रमिकों को हैं। आज क्या हो रहा है। एक आदमी सड़क के ऊपर चला जा रहा है, वह किसी मिल में दाखिल होता और बदली कार्ड लेता है। दूसरे से वह बदली कार्ड लाया। वह कहां से मिलेगा ? आप का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है उस में आप ने स्टैंडिंग आर्डर्स बनाये हैं और उन में जोड़ दिया कि उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले किसी श्रमिक को दाखिल किया जायेगा तो उसे प्रथम बदली कार्ड दिया जायगा जिसमें यह लिखा जावेगा कि वह किस डिपार्टमेंट की किस शिफ्ट में काम करता है और क्या काम करता है, इसकी निश्चित सूचना कार्ड में लिखी जायेगी।

†**श्री आ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। इस समय जब कि हम औद्योगीकरण की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें इस विधेयक की बड़ी आवश्यकता थी। हमारा प्रति श्रमिक उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, इसका कारण यह है कि हमारे लोग ठीक ढंग से प्रशिक्षित नहीं हैं। तीसरी योजना में हमें १३ लाख के लगभग नये प्रशिक्षित कारीगर चाहिएं। स्वेच्छा से इस दिशा में कोई सफलता मिलना संभव नहीं, अतः कुछ अनिवार्यता लाना बड़ा आवश्यक

†मूल अंग्रेजी में

हो गया है। तीसरी योजना में इस विषय का संकेत भी है। परन्तु इसको मजबूर करने वाली बात न समझ कर 'समुचित नियन्त्रण' करने की भावना से इसको लिया जाना चाहिए।

विधेयक का स्वागत करते हुए भी मैं इस मत का हूं कि विधेयक में कई बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं। इसमें ब्यौरे समुचित ढंग से दिये जाने चाहिए थे। मेरा यह भी विचार है कि इस दिशा में कुछ संगत प्रश्नों पर चर्चा करने से सभा को वंचित रखा गया है जो उचित नहीं है। सारा भार नियम बनाने वालों पर छोड़ देना ठीक नहीं। इस प्रकार विधेयक के अन्तर्गत कई एक अधिकारों को गठित करने की आवश्यकता होगी। परन्तु मेरा मत यह है कि काम को इस प्रकार बढ़ाया न जाये और प्राधिकारों की संख्या कम की जाय। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इस दिशा में राज्य सरकार को भी नियन्त्रण करने के कुछ अधिकार दिये जाने चाहिए। इस मामले में अभी सरकारी क्षेत्र काफी पीछे हैं और प्रमुखता गैर सरकारी हाथों में ही है।

इस विषय में एक यह भी बात उल्लेखनीय है कि भारत के श्रमिक संघों पर राजनीतिक दलों का प्रभाव है। उन्हें किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व देना उचित न होगा। मैं बड़ी दृढ़ता से यह कहना चाहता हू कि शिशिक्षुओं को राजनीति से अलग रखा जाये। मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण के पश्चात् नौकरी का भी कोई आश्वासन दिया जाना चाहिए।

अत में, मैं खंड ३० का उल्लेख करना चाहता हूं। इस उपबन्ध में अपराधों के लिए सजा की व्यवस्था है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। यह योजना केवल प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना है; उसमें कैद की सजा का उपबन्ध रखा जाना उचित नहीं कहा जा सकता। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिशिक्षुओं पर अनुशासन लागू करते समय मालिक लोग उनका शोषण न करने पाये। मैं विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने के पक्ष में नहीं हूं। इसे यथाशीघ्र पारित कर देना चाहिए और आगामी संसद की इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं चाहत हूं कि इस विधेयक पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसके विविध अंगों का ठीक ढंग से विश्लेषण किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन ह कि योजना के अन्तर्गत जिन शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा उन्हें काम देने के सम्बन्ध में विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है। उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक योजना से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां प्रशिक्षित शिशिक्षुओं को सेवाओं में खपाया नहीं गया है।

इस दिशा में मेरा मत यह है कि जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, कर्मचारियों और शिशिक्षुओं के बीच किसी प्रकार का खिचाव नहीं होना चाहिए। और इस खाई को पाटने के उपाय खोज निकाले जाय। इन दोनों श्रेणियों के लिए कुछ प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि जिन कर्मचारियों के लड़के अथवा आश्रित शिशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें उनके लिए शिक्षा की अर्हताओं के प्रतिबन्ध शिथिल किये जाने चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं श्री इलियास और श्री राम सिंह भाई वर्मा के सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस मामले में राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण योजना का सम्बन्ध किसी कार्मिक संघ से नहीं होना चाहिए, मैं इसे तो नहीं मानता। मेरा मत है कि श्रमिक संघों के प्रतिनिधि परिषदों में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० बनर्जी]

लिये जाने चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिशिक्षुओं को भी श्रमिक संघों की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे भोपाल और भिलाई में जो कुछ हुआ था उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि यह विधेयक बहुत पहले ही सदन के समक्ष आ जाना चाहिए था। यद्यपि इस विधेयक को मैं बहुत ठीक नहीं मानता फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है और लाखों नवयुवकों के भविष्य का आधार इस पर है। क्योंकि इस विधेयक के बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाले है अतः अच्छा होता यदि सरकार विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द कर देती। इस दिशा में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि शिशुक्षुओं की नियुक्ति और सेवाओं के विनियमन के मामले में दलगत नीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपात भी इस दिशा में ठीक नहीं रहेगा। यह भी आश्चर्य की बात है कि इस मामले में सरकारी क्षेत्र से गैर सरकारी क्षेत्र अधिक सहानुभूति पूर्ण है।

इस बात को योजना आयोग और सम्बद्ध सभी दिशाओं में मान्यता प्राप्त है कि रोजगार के मामले में प्रादेशिक सन्तुलन रहेगा तथापि व्यवहार में इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए उत्तरी बिहार के लोगों को बिहार राज्य में शुरू किये जाने वाले नये उद्योगों में रोजगार के उचित अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। मैं जोर देना चाहता हूं कि विधेयक में संशोधन किया जाये ताकि शिशिक्षुओं की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के मामले में प्रादेशिक संतुलन बना रहे।

मैंने माननीय मंत्री से भी इस बारे में बात की है कि श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय परिषद् में स्थान दिया जाना चाहिए। इस बारे में जो संशोधन प्रस्तावित हो रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा विचार है कि राष्ट्रीय हित में यह अच्छा होगा कि कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जाये जिससे कि सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों का बारी बारी से प्रतिनिधित्व हो सके।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यद्यपि हमारे देश में औद्योगिक विकास बहुत अधिक हो गया है और योजना कमीशन ने और मंत्रालय ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया है कि हमारे देश में जो कुशल कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, उनका अभाव है फिर भी इस सम्बंध में जो कदम आज उठाया जा रहा है उसे पहले ही उठाया जाना चाहिए था। यह बात सही है कि एक कानून हमारे देश में मौजूद है जो कि सन् १८५० में पास किया गया था और जिस के अनुसार अपरेन्टिसेज की ट्रेनिंग के बारे में व्यवस्था की गई थी, लेकिन जहां तक पता लगा है वह कानून करीब करीब कागज में ही पड़ा हुआ है, उसके अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ है। यह बात सही है कि पहले सरकार का यह विचार था कि उद्योगों को चलाने वाले जो उद्योगपति हैं या कारखानेदार हैं, वे स्वेच्छा से इस कार्य को अपने अपने कारखानों में करेंगे और देश के लिये प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जो जरूरत है उसको स्वेच्छा से प्रशिक्षण दे कर पूरी करेंगे। । लेकिन पिछले दस बारह वर्षों में जो नतीजा इसका निकला है वह बहुत सन्तोषजनक नहीं है। हमारे देश में जो उद्योग चल रहेहैं, चाहेवे प्राइवेट सेक्टर

†मूल अंग्रेजी में

में हों या पब्लिक सेक्टर में, उनमें इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि हमारे देश में जो वैज्ञानिक संस्थायें हैं, या टेक्निकल संस्थायें हैं उनमें से शिक्षा प्राप्त करके निकले हुए नवयुवकों को, चाहे वे डिप्लोमा होल्डर्स हों या ग्रेजुएट्स हों, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाय। एक तो इस तरह के शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं दूसरे जो व्यक्ति कारखानों में भरती हो कर, अपरेन्टिस हों कर, काम सीखना चाहते हैं, उनके लिये काफी व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि श्रम मंत्री जी ने जो विधेयक आज रक्खा है, उसको पहले ही लाया जाना चाहिये था। अगर अब वे पहले यह बिल लाया गया होता और इसको कानून का रूप दिया गया होता तो हमारे देश में आज कुशल कार्यकर्ताओं की जो कमी है, जो अभाव है, वह दूर हो गया होता।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्वयम् इस बात पर जोर दिया था कि हमारे देश में औद्योगिक विकास जिस रफ्तार से हो रहा है, जिस रफ्तार से हम चाहते हैं कि उद्योगों का विकास हो, उसके लिये कार्यकर्ताओं का काफी अभाव है, और मैं उनकी बात से सहमत हूं। अभी भी कारखानों में, चाहे वे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में, कुशल कार्यकर्ताओं का अभाव है। अभी भी हमको अपने देश के लोगों को प्रशिक्षण पाने के लिये दूसरे देशों को भेजना पड़ता है। अब भी हमारे कारखानों में विदेशी लोग काम कर रहे हैं। इस बात का खयाल रखते हुए अगर यह विधेयक बहुत पहले लाया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता।

दूसरी बात जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस सम्बन्ध में बहुत सी छानबीन की गई हैं, जिनका जिक्र माननीय मन्त्री महोदय ने किया था। बहुत सी कमेटियां बनीं, और सभी ने इस बात पर जोर दिया, पर नहीं मालूम क्यों सरकार इस बात पर निभर करती रही कि हमारे देश के कारखानेदार और उद्योगपति स्वेच्छा से इस बारे में सही कदम उठायेंगे और अपने अपने कारखानों में काफी मात्रा में प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। यद्यपि यह बात सही है कि स्वेच्छा से जो काम होता है वह ज्यादा कारगर होता है लेकिन यह बात जाननी चाहिये थी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि स्वेच्छा से इस तरह के कामों को नहीं करना चाहते हैं। इस लिये अपरेन्टिसेज बिल के द्वारा अनिवार्य रूप से कारखानों में अपनी अपनी औकात के मुताबिक अपरेन्टिसों को प्रशिक्षण देने के कानून का मैं दिल से समथन करता हूं। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, जो अधिकारी इस कानून को लागू करने के लिये और इसके सम्बन्ध में जरूरी व्यवस्था करने के लिये कि प्रशिक्षण किन किन अवस्थाओं में आवश्यक होगा, कितनी अवधि का होगा, उसका क्या पाठयक्रम या प्रशिक्षण क्या होगा, रक्खे जा रहे हैं, केन्द्र में और राज्यों में इस सब की व्यवस्था करने के लिये जिस अधिकारी वर्ग की सृष्टि की जा रही है, मैं भी समझता हूं कि वह पर्याप्त होगा। फिर भी जहां तक मैंने देखा है, इसमें जिन स्वार्थों का रिप्रेजेन्टेशन किया गया है, उनके अलावा मजदूरों की संस्थाओं का रिप्रेजेन्टेशन भी इसमें होना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि डेजिग्नेटेड ट्रेड होंगे उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था है, बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जिनके बारे में सरकार इस कानून को लागू करेगी लेकिन बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन के बारे में सरकार कानून लागू नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि जितने बड़े बड़े आयोग हैं उन पर जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करना चाहिये ताकि छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले या प्रशिक्षण पाने वाले जो अपरेन्टिस हैं, उनके काम करने के जो नियम हैं, जो उनके काम करने की अवधि है, उनसे काम लेने की जो मजदूरी है, या दूसरी जो व्यवस्थायें हैं वे ही उन पर भी लागू हो जाय। यद्यपि इस बात का जिक्र इस विधेयक में नहीं किया गया है कि किन किन उद्योगों की तरफ अभी सरकार का ध्यान है, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय अपने अन्तिम भाषण में इसका जिक्र करेंगे कि अभी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार किन किन उद्योगों पर, किन किन डेजिग्नेटेड उद्योगों पर, इस को लागू करेगी। किन किन पर यह लागू किया जायेगा और किन किन पर लागू नहीं किया जायेगा। हम को इस बात की

[श्री श्रीनारायण दास]

सूचना भी होनी चाहिये कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कौन कौन से उद्योग धंधे इस कानून के अन्तर्गत आ जायेंगे ।

एक और बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सरकार ने इस बारे में कहा है कि कानून में प्राविजन किया गया है कि यदि कोई उद्योगपति उस मात्रा में प्रशिक्षण नहीं देता है जिस मात्रा में उसे देना चाहिये तो इस कानून के अन्तर्गत उसे अनिवार्य रूप से उतना प्रशिक्षण देना होगा । इसके अलावा अगर किसी उद्योगपति के यहां अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है और वह ५०० व्यक्तियों से कम कायकर्त्ता रखता है तो उसके खर्च का एक हिस्सा सरकार वहन करेगी और एक हिस्सा उद्योग को वहन करना होगा । इस के सम्बन्ध में सरकार कम्पलसरी तौर पर नियम बनायेगी कि किसी उद्योग में अगर सरकार समझती है कि काफी व्यवस्था प्रशिक्षण की नहीं है और व्यवस्था की जाय तो सरकार को खर्च और सुविधा प्रदान करना होगा । यह बात स्पष्ट नहीं है है कि सुविधा देने में जो खर्च पड़ेगा उस का कौनसा भाग सरकार को देना पड़ेगा और कौनसा पोर्शन उद्योगपतियों को देना पड़ेगा । इसका खुलासा हो जाना जरूरी है ।

इसके अलावा मैं सेण्ट्रल अपरेन्टिसशिप कौंसिल और स्टेट अपरेन्टिसशिप कौंसिल के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं । इन में तीन तरह का रिप्रेजेन्टेशन है, एक एस्टैब्शिलमेंट का है, चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, दूसरा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का और तीसरा ट्रेड और इण्डस्ट्री का । मैं समझता हूं कि जो कौंसिल बनेगी, उसमें लेबरर्स का रिप्रेजेन्टेशन होना भी जरूरी है ताकि लेबरर्स का जो व्यू प्वाइंट है उस को भी उसमें रखा जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें इस बिल के बारे में पहले ही कह दी गयी हैं । मैं उनको फिर से नहीं दुहराना चाहता । केवल कुछ थोड़ी सी बातों पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस में जो विषय विचारार्थ प्रस्तुत होता है उसके विपरीत भी बहुत सी ऐसी बात आ जाती हैं जिनका उस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता, जैसे कि अभी एक माननीय सदस्य ने यहां पर आई० एन० टी० यू० सी० का मामला छेड़ दिया । उनके विचार मे कहीं भी आई० एन० टी० यू० सी० का फोलोइंग नहीं है । लेकिन जिस संस्था का माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं उससे उसकी सदस्य संख्या दस गुनी अधिक है । इस बात की जानकारी उनको आज तक नहीं है जबकि यह बात इस हाउस में बार बार बता दी गयी है । मुझे ऐसी बातें सुन कर आश्चर्य होता है ।

दूसरी बात मैं भोपाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । भोपाल की फैक्टरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है । और मैं जानता हूं कि भोपाल में स्ट्राइक क्यों हुआ । इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो एप्रेंटिस हों वे ट्रेड यूनियन में शामिल न हों । मतलब यह है कि वे ट्रेनिंग लेने जाते हैं न कि राजनीति के अखाड़े में उतरने के लिये । भोपाल में स्ट्राइक इसीलिये हुआ कि ट्रेनीज़ ने राजनीति में हिस्सा लिया ; भोपाल में बहुत बढ़िया आदमी चुन कर लिये जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग पर करीब २५-२६ लाख रुपया खर्च किया जाता है । और उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाने पर उनका टैस्ट होता है । जो फेल हो गए वह चाहते थे कि ट्रेड यूनियन के जरिये फोर्स से उनको भी पास कर दिया जाए ।

भोपाल की ऐसी फैक्टरी है कि जिसमें ट्रांसमिटर और दूसरे बहुत ऊंचे दरजे के बिजली के सामान बनने वाले हैं। इसलिये हम को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि उसमें किस तरह के आदमी रखे जाएं क्योंकि उस फैक्टरी में बने माल की खपत न केवल हिन्दुस्तान में होगी बल्कि उसको विदेशों को भी भेजा जाएगा। अगर हमारा बनाया हुआ माल ऐसा हुआ कि जो दूसरे देशों के माल के मुकाबले में न ठहर सका तो उसका इस इण्डस्ट्री पर प्रतिकूल असर पड़ेगा जो कि पब्लिक सैक्टर में है और जिस पर ५०-६० करोड़ रुपया लगा हुआ है। इसलिए यह बात उन लोगों के हक में है कि जब तक वह ट्रेंड न हो जाएं तब तक वह ट्रेड यूनियन में शरीक न हों।

ऐसा ही यूनिवरसिटियों में भी होता है। लड़के चाहे पढ़ें या न पढ़ें लेकिन वह चाहते हैं कि फोर्स के जरिये हमको पास कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है लेकिन इसका उनके बाद के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब वह कंपिटीशन में बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं और उनको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती और कहीं क्लर्की करनी पड़ती है। इसीलिये इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि पढ़ने के समय केवल पढ़ाई ही होनी चाहिये।

मुझे इस बिल के सम्बन्ध में एक और बात कहनी है। मैं सरकार को यह बिल लाने के लिये बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके द्वारा लाखों आदमियों को प्रशिक्षण मिलेगा। यह किसी खास उद्योग के लिये नहीं है, जहां भी स्कोप होगा वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां भी कोई वर्कशाप होगा वहां अगर स्कोप हुआ तो लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। और खुद इण्डस्ट्री को भी ऐसे प्रशिक्षित आदमियों की आवश्यकता होती है क्योंकि जो उनके यहां पहले से आदमी काम करते होत हैं उनमें से कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो उद्योग के लिये योग्य आदमी इस स्कीम में तैयार हो सकेंगे। यह बिल इस प्रकार के लोगों को प्रशिक्षित करने का अवसर देता है। इसलिये इस बिल को लाने के लिये सरकार की जितनी प्रशंसा की जाय कम होगी। लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे केवल एक बात कहनी है। और वह केवल इस बिल से ही सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि इसका सम्बन्ध उन लोगों से भी है जो लेबर मिनिस्ट्री की अन्य स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इन प्रशिक्षित लोगों को काम दिलाने की कोई मैशिनरी नहीं है केवल वे एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में नाम रजिस्टर करवा सकते हैं और अगर भगवान की कृपा से उनको नौकरी मिल गयी तो मिल गयी नहीं तो बेकार रहना पड़ता है। हमारे मन्त्री महोदय को काफी अनुभव है और मेरा उद्देश्य कोई उनको सिखाने का नहीं है, लेकि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं अगर उनको बाद में काम नहीं मिलता तो उनकी उस प्रशिक्षण से आस्था कम होने लगती है। मैं जानता हूं कि आई० टी० आई० में बहुत से लोगों को प्रशिक्षण दिया गया लेकिन उनमें बहुत से ऐस हैं कि जिनको काम नहीं मिला।

आज के युग में लोग अनुभव करते हैं कि अगर उनको टैकनिकल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो काम नहीं मिल सकेगा क्योंकि क्लर्की आदि के लिये बहुत कम स्थान खाली होते हैं। इसके सिवा क्लर्की आदि में तनखाह भी कम मिलती है। इसलिये लोग चाहते हैं कि उनको टैकनिकल ट्रेनिंग मिले। लेकिन टैकनिकल ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध करने के साथ साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि सरकार की कोई ऐसी मैशिनरी कायम की जाए जो कि यह देखे कि उनको काम मिला या नहीं।

मेरा सम्बन्ध नेशनल प्रशिक्षण सम्बन्धी कउंसिल से भी है। मैंने इस बात को काउंसिल के सामने भी उठाया था। आज तीसरी प्लान हमारे सामने है और हमारा अनुमान है कि इस प्लान के दौरान में टैकनिकल ट्रेंड आदमियों के लिये बहुत बड़ा स्कोप होगा और हमको ऐसे आदमियों की बड़ी आवश्यकता होगी ; लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को ट्रेन करने के प्लानिंग के साथ साथ हम को उन्हें काम देने का भी प्लान बनाना चाहिये और एक ऐसी मैशिनरी स्थापित करनी चाहिये कि जो देखे

[श्री काशी नाथ पांडे]

कि उनको कहां काम मिलने का स्कोप है। अगर उनको अपने भाग्य के भरोसे पर छोड़ दिया जाएगा तो उससे उनको काम नहीं मिलेगा तो फिर यह प्रश्न इस हाउस के सामने आएगा। कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि लोगों को ट्रेन करने के साथ-साथ सरकार की ओर से ऐसी भी मैशिनरी बनायी जाए जो कि यह देखे कि जो लोग ट्रेन होते हैं उनको उपयुक्त काम मिल जाता है या नहीं।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाने का प्रोसीज्योर बहुत सन्तोषजनक नहीं है। लोग समझते हैं कि उनको चुना जाएगा लेकिन नहीं चुना जाता। एम्पलायर एम्पलायमेंट एक्सचेंज को कह तो देते हैं कि हमको ऐसे आदमी चाहिएं, लेकिन अपने आदमियों को भर लेते हैं। मेरा विचार है कि जब तक इन लोगों को काम दिलाने की कोई मैशिनरी नहीं होगी तब तक यही अवस्था रहेगी।

अभी इस बारे में एक सप्ताह भी मनाया गया और इसका बड़ा प्रचार किया गया कि लोगों को ट्रेनिंग हासिल करने का अवसर होगा। यह ठीक है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां प्लानिंग मिनिस्टर साहब लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान बनाते हैं वहाँ इसका भी प्रबन्ध करें कि वे आदमी बेकार न रहें।

मैं केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस विषय पर कोई ऐसी गम्भीर आपत्तियां नहीं की गयी हैं जिन के लिये मुझे विस्तृत उत्तर देना पड़े।

सर्वप्रथम मैं प्रवर समिति की नियुक्ति के सम्बंध में कुछ कहना चाहता हूं। श्री भरूचा ने यह कहा है कि इस में कुछ देर भी हो जाये तो भी हमें इस की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यद्यपि उन्होंने यह बात पूर्ण सदाशयता से कही है तथापि ऐसा जान पड़ता है कि वह वर्तमान स्थिति के सम्पर्क में नहीं है अन्यथा वह इस सम्बंध में जरा भी विलम्ब सहन नहीं कर सकते थे। यह कहा जा सकता है कि यदि इतनी ही आवश्यकता थी तो इस विधान को प्रस्तुत करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया तथापि मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में पहिले से ही जागरूक थी तथा यथासंभव प्रयत्न कर रही थी।

इस सम्बंध में मैं शिव राव समिति का उल्लेख करना चाहता हूं। हम से यह कहा गया था कि हमें पहिले स्वेच्छा के आधार पर यह काम करना चाहिये। हमने इस सुझाव के आधार पर योजना बनाई तथापि यह योजना बहुत धीमे से काम कर रही है। अतः इस सम्बंध में हमें अपने लक्ष्य को ७००० से हटा कर ३००० कर देना पड़ा। इस योजना के अधीन काम कर हम इस आधार पर पहुंचे कि यह योजना असफल रही है। अतः हमें दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। तथापि अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में हमें कुछ समय लगा।

यह योजना औद्योगिक संस्थापनों में क्रियान्वित की जायेगी अतः इस का नियोजकों से घनिष्ठ सम्बंध है। अतः यदि उन पर कोई बात बलात् लादी जायेगी तो सम्भव है कि वह शिशिक्षुओं के हित पर आघात करे। अतः हम उन का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमें उनका सहयोग इस दिशा में प्राप्त हुआ है।

जहां तक प्रवर समिति नियुक्त करने का प्रश्न है, मैं इसकी नियुक्ति का विरोध नहीं करता तथापि यह विधेयक सभा के समक्ष अगस्त में प्रस्तुत हुआ था और इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करने को काफी समय था तथापि हमारे पास कोई भी ऐसा संशोधन नहीं आया जिससे यह ज्ञात हो सके कि इस विषय के लिये प्रवर समिति को नियुक्त करना आवश्यक है। यद्यपि मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये भाषण तथा सुझावों की ओर पर्याप्त ध्यान दूंगा तथापि मेरे विचार से इस दिशा में अधिक विलम्ब करना आवश्यक नहीं है।

जहां तक आलोचना का सम्बंध है कि यह कहा गया है कि नियमों पर बहुत अधिक बातें छोड़ दी गयी हैं वस्तुतः उनका उपबंध विधेयक में ही किया जाना चाहिये था। इस का उत्तर यह है कि हम ने एक नई वस्तु का आरम्भ किया है अतः इसे बहुत अधिक कड़ाई करना उचित नहीं होगा। तथापि शिशिक्षुओं के संरक्षण और प्रशिक्षण के सम्बंध में जो भी आधारभूत बातें हैं उन का इस में सन्निवेश कर दिया गया है।

इस बात को भी बहुत बढ़ा कर कहा गया है कि छात्रवृत्ति की दर इस में विहित नहीं की गयी है। इस सम्बंध में यह भ्रांति हो गयी है कि यह बात केवल नियोजक और शिशिक्षु के ऊपर छोड़ दी गयी है और इस प्रकार शिशिक्षु की स्थिति विषम हो गयी है। तथापि खंड १३ में यह कहा गया है कि नियोजक शिशिक्षु को जिस दर पर छात्रवृत्ति देगा वह कभी भी विहित न्यूनतम दर से कम नहीं हो सकती है। यद्यपि हम ने विहित राशि का उल्लेख नहीं किया है तथापि इसे विनियमित करने की शक्ति अपने हाथों में रखी है।

दूसरी बात नमूने के सम्बंध में थी। नमूना समय पर स्वयं ही उभर आयेगा तथापि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह सभी इस में विहित कर दी गयी हैं। खंड ३ में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक शिशिक्षु नहीं माना जा सकता जब तक कि वह चौदह वर्ष से बड़ा नहीं हो और उस में विहित शारीरिक और शिक्षा सम्बंधी योग्यता नहीं हो।

एक अन्य बात शिशिक्षु को भुगतान करने के सम्बंध में है। इस बात पर सभी एक मत हैं कि शिशिक्षु के कर्त्तव्य के सम्बंध में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। वह एक शिशिक्षु है न कि कर्मचारी। इस प्रकार की भ्रांति को दूर करने के लिये यह कहा गया है कि इस में अन्य प्रकार के भुगतान तथा बोनस, आंशिक कार्य की मजूरी आदि को शामिल नहीं किया जायेगा।

उपरिकार्य करने के भत्ते का सम्बंध शिशिक्षु की शर्तों के साथ होगा। यदि शिशिक्षु पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये उपरिसमय कार्य किया गया है तो इस सम्बंध में कुछ किया जा सकता है।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि भुगतान न किये जाने पर क्या कार्यवाही की जायेगी। अधिकारियों को शक्तियां दी गयी हैं कि समझौते की शर्तों का पूरी तरह निर्वाह हो सके। उनका उल्लंघन किये जाने पर इस विधेयक में काफी कड़ी व्यवस्था की गयी है। खंड ३ में यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर ६ महीने की कैद या अर्थदंड या दोनों दिये जा सकते हैं।

नियोजक अपनी इच्छा से समझौता समाप्त नहीं कर सकता है। इस सम्बंध में शिशिक्षु सलाहकार को आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

यह भी कहा गया है कि शिशिक्षु को एक प्रमाणपत्र दिया जाये। इस सम्बंध में खंड २१ में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिशिक्षु को एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा के उत्तीर्ण करने के उपरांत उसे उस व्यवसाय में कुशलता का प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जायेगा।

[श्री नन्दा]

यह भी संदेह प्रगट किया गया है कि नियोजक को अतिरिक्त संख्या में शिशिक्षुओं को रखने की अनुमति देने से उस का दुरुपयोग भी हो सकता है। यह विशेषत: सरकारी क्षत्र के उपक्रमों के लिये किया गया है। वस्तुत: हम संस्थापनों की आवश्यकता से अधिक शिशिक्षुओं को तैयार करना चाहते हैं अत: इस सम्बंध में संदेह की कोई गुंजायश नहीं होनी चाहिये कि गैरसरकारी क्षेत्र में कोई नियोजक इसका दुरुपयोग करेगा। शिशिक्षु को पाठ्यक्रम के अधीन कार्य करना होगा अत: उसका उपयोग उत्पादन के लिये नहीं किया जा सकता है। हम ने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूरी व्यवस्था की है। इस सम्बंध में एक क्षेत्रीय संगठन कायम किया जायेगा तथा इस सम्बंध में प्रश्नों का निपटारा कर ने के लिये अन्य कई निकाय रहेंगे।

यह उल्लिखित किया गया है कि शिशिक्षुओं को नौकर नहीं रखा जा सकता है। किसी भी शिशिक्ष् को उसे प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् वहीं काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है न शिशिक्षु ही नियोजक को उसे वहां रखने को विवश कर सकता है। यह बात पारस्परिक इच्छा पर निर्भर करती है। हम चाहते हैं कि कारीगर बिल्कुल स्वाधीन रहे। जहां तक हमारा अनुभव है वह यह है कि प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रकार रोजगार का अभाव नहीं रहा।

जहां तक छट्टियों का सम्बंध है वह उन्हें अन्य श्रमिकों के समान ही मिला करेंगी। एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय परिषद् के निर्माण का भी प्रश्न उठाया है। मेरे विचार से उसका संगठन बिल्कुल उपयुक्त हुआ है और वह इस प्रयोजन के लिये भी ठीक है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संस्था का प्रशासन से कोई सम्बंध नहीं है। केवल नीति सम्बंधी व्यापक मामले ही समिति के पास जाते हैं। राष्ट्रीय शिशिक्षु परिषद् अन्य मामले यथा प्रशासन इत्यादि से सम्बंध रखती है। यह कहा गया है कि इस परिषद् में श्रमिकों के सदस्यों को स्थान क्यों नहीं दिया गया। यह बात भूल से नहीं रह गयी है। मैं यद्यपि इस बात से सहमत हूं कि इस में श्रमिकों के प्रतिनिधि रहने से अधिक अच्छा होता। अत: म इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि इस में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाये।

जहां तक इस बात का सम्बंध है कि किस दल को वहां प्रतिनिधित्व दिया जाये, इस विषय पर हमें दलों के दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये। वस्तुत: इस सम्बंध में हम ने जो आधार अपनाया है उस से सभी संगठनों के प्रति न्याय होता है। इस सम्बंध में पिछले कई वर्षों से शिकायत का कोई मौका नहीं मिला है। इस मामले में वही नीति अपनायी जायेगी।

कई ऐसे भी मामले उठाये गये हैं जो कि इस विधेयक से सम्बंध नहीं रखते हुए भी महत्वपूर्ण हैं। पहले खंड में यह कहा गया है कि यह विधेयक स्नातकों और डिप्लोमा शिशिक्षुओं पर नहीं लागू होगा। इन का वर्ग बिल्कुल भिन्न है उन के लिये कुछ और करना होगा। अत: इन बातों पर पृथक विचार किया जा सकता है।

यह विधेयक उन सभी उद्योगों पर लागू हो जायेगा जहां प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस सम्बंध में २३ बुनियादी कलायें हैं। तथापि आवश्यकता के अनुसार इस विधेयक पर अमल किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि व्यवसायों में शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित तथा नियंत्रित करने और तत्सम्बंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे । पहिले खंड २ को लेते हैं ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून बन जाने पर किस क्षेत्र में और किस उद्योग में कैसे लागू किया जाय यह अधिकार केन्द्र के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी होना चाहिए . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात आप कह चुके हैं और उन्होंने जवाब भी दे दिया है । अब यदि आप चाहते हैं तो उस पर हाउस का वोट ले लिया जायगा । अपनी बात को दुबारा दुहराने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : तब माननीय मंत्री जो बतला दें कि मेरी एमेंडमेंट्स में से वे किन किन को स्वीकार करते हैं ।

†**श्री नन्दा** : मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि मैं श्रमिकों के प्रतिनिधित्व सम्बंधी संशोधनों पर विचार करने के लिये तैयार हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ले० अवधी सिंह यहां नहीं हैं । अतः प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ११ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १२ से २३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २४ (परिषदों का गठन)

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं अपनी एमेंडमेंट्स १२ और १३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नन्दा** : मैं संशोधन संख्या १४ और १५ को इस रूपभेद के अनुसार प्रस्तुत करता हूं :

(१) पृष्ठ १२, पंक्ति ६ में "trade and industry" ("वाणिज्य तथा उद्योग") शब्दों के स्थान पर "industry and labour" ("उद्योग तथा श्रम") शब्द रख दिये जायें (१४)

(२) पृष्ठ १२, पंक्ति २६ में 'trade and industry" ("वाणिज्य तथा उद्योग") शब्दों के स्थान पर "industry and labour" ("उद्योग तथा श्रम") शब्द रख दिये जायें (१५)

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय श्रम मंत्री का कथन है कि केन्द्रीय श्रम संगठनों के सम्बन्ध में सत्यापन कर लिया गया है । तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा और रेलवे के श्रमिक संगठनों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : हम इस पर विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ १२, पंक्ति ९ में "trade and industry" ("वाणिज्य तथा उद्योग") शब्दों के स्थान पर "industry and labour" ("उद्योग तथा श्रम") शब्द रख दिये जायें (१४)

(२) पृष्ठ १२, पंक्ति २६ में "trade and industry" ("वाणिज्य तथा उद्योग") शब्दों के स्थान पर "industry and labour" ("उद्योग तथा श्रम") शब्द रख दिये जायें (१५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २५ से ३८ और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री नन्दा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये "

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ;

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : तीसरी परियोजना के दौरान हम जिन महत्वपूर्ण बातों को करने जा रहे हैं उनमें से एक तो सारे देश में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को लागू करना है और दूसरा उद्योगों में शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना । इससे हमारे देश में औद्योगिक समृद्धि की बुनियादें गहरी होंगी ।

तथापि मैं इसके संबंध में कुछ बातें अवश्य कहना चाहता हूं वह यह हैं यकि खंड ३ की शब्दावलि पर उचित ध्यान नहीं दिया है । इस विधेयक में लक्ष्य पर तो अधिक ध्यान दिया गया है तथापि इसे अमल में लाने वाली एजेंसी पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । मेरे विचार से एक राष्ट्रीय परिषद या राज्य परिषदें इस सारे कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर सकेंगी ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री एक प्रश्न पर पुन: विचार करें । वह यह कि राज्य शिक्षार्थी परामर्शदाता सभी औद्योगिक उपक्रमों के शिक्षार्थियों के हितों की देखभाल नहीं कर सकेंगे । सारे देश की शिक्षार्थियों के हितों की देखभाल करना राष्ट्रीय परिषद् और केन्द्रीय शिक्षार्थी परिषद् इन दो परिषदों के बस की बात नहीं है । इसलिये प्रादेशिक और स्थानीय परिषदें भी होनी चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों की विभिन्नता को देखते हुए, स्थानीय परामर्शदात्री परिषदें भी होनी चाहिये। तभी यह योजना कारगार हो सकती है।

मैं इसे एक अध्यापक की दृष्टि से देखता हूं। मैंने जापान में देखा है कि वहां स्कूलों से सम्बद्ध कुछ संस्थायें रहती हैं, जो शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण करती हैं।

मैं इस योजना को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, यह योजना देश के औद्योगिक मानचित्र को बदल देगी। परन्तु मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ शंकायें भी हैं।

मैं नहीं चाहता कि शिशिक्षुओं को मज़दूर समझा जाय, और मज़दूरों की तरह उनको अधिक समय काम करने का भत्ता दिया जाये। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षार्थियों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा की गई है।

यह विधेयक मुख्य रूप में प्रशिक्षण का विधेयक ही रहना चाहिये, लेकिन कार्मिक संघों के नेताओं के प्रशिक्षण का नहीं। शिशिक्षुओं को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिये।

मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। विभिन्न समितियों ने शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिये एक विधान की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है। इसलिये मैं इस विधेयक के लिये माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

इस विधेयक को यहां लाने में जो विलम्ब हुआ है, उसका फल हमें यह भोगना पड़ा है कि कुशल मज़दूरों के अभाव में हम अपने संसाधनों की सुलभता के अनुपात में अपना औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ा पाये हैं। जिन निजी उद्योगों ने अपनी ओर से शिशिक्षुओं का प्रशिक्षण किया था, वे आज समृद्ध हैं। लेकिन दूसरे उद्योगों को कुशल मजदूरों का अभाव खल रहा है। उनका औद्योगिक प्रसार रुका पड़ा है।

इस विधेयक का प्रारूप बड़ी कुशलता से तैयार किया गया है। यह दूसरी बात है कि यहां-वहां कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां रह गई हों।

आशा है कि विधेयक के प्रभावी होते ही विभिन्न परिषदों का गठन शुरू हो जायेगा। इसलिये कि कुशल मजदूरों की हमारी आवश्यकता अविलम्बनीय है।

योजना को कार्यान्वित करने के लिये हमें अधिकाधिक बड़े पैमाने पर कुशल मजदूरों की आवश्यकता है।

आज बहुत से मालिक देश की बेरोज़गारी की समस्या का लाभ उठा कर ३०–४० रुपये महीने की छात्रवृत्तियों पर शिशिक्षुओं को रख लेते हैं। यह अनुचित है। यह विधेयक उनके हितों की रक्षा में सहायता करेगा।

मैं इस विधान का स्वागत करता हूं।

†**श्री नन्दा:** माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की सराहना की है और अपने कुछ उपयोगी सुझाव रखे हैं। मैं उनका आभारी हूं।

श्री दी० चं० शर्मा ने वर्षों तक अध्यापन-कार्य किया है। उन्होंने इस विधेयक की कार्यान्विति के बारे में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है और अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने बड़े धैर्य और बड़ी बारीकी के साथ विधेयक की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। परन्तु उन्होंने इस विधेयक द्वारा व्यवस्थित प्राधिकारों के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी बातें कहीं हैं। एक ओर तो उनका कहना है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

कि प्राधिकारों की संख्या अधिक है और दूसरी ओर यह कि ये प्राधिकार अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय परिषद् का सम्बन्ध तो केवल नीति विषयक मामलों से रहेगा। केन्द्र और राज्यों दोनों ही स्तरों पर शिशिक्षु परिषदें मौजूद रहेंगी। उसके अतिरिक्त सहायक परामर्शदाता और उपसहायक परामर्शदाता भी रहेंगे। हम अभिकरणों की संख्या इस प्रकार बढ़ाते जा सकते हैं, पर अभिकरणों की संख्या बढ़ाने से ही तो कार्यान्वित अधिक कुशलता से नहीं हो जायेगी।

माननीय सदस्य ने बुनियादी प्रशिक्षण के बारे में कुछ शंका प्रकट की है। बुनियादी प्रशिक्षण अधिकांशतया औद्योगिक संस्थानों में ही होगा।

मैं इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। यदि सम्भव होता, तो हम इस विधेयक को काफी पहले सभा में पेश कर देते। परन्तु इसके लिये उद्योग का समर्थन प्राप्त करना जरूरी था। उसके लिये वार्ता, इत्यादि में कुछ समय लग ही गया है। यह विधेयक उसी का परिणाम है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ऐसे किसी व्यक्ति को देय वेतन अथवा भत्ते के किसी अंश पर, जिसने सार्वजनिक हित में स्वेच्छा से उसमें कटौती कर दी हो, आय-कर की छूट देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बड़ा सीधा-सादा सा विधेयक है। समय की कमी के कारण ही इसे गत सत्र में पारित नहीं किया जा सका था।

सभा को विदित है कि वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत वेतन में स्वेच्छा से कटौती कराने वाले व्यक्तियों के उतने वेतन को कर से विमुक्त किया गया था। परन्तु उस अधिनियम का क्षेत्राधिकार संविधान की द्वितीय सूची में उल्लिखित अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियमों द्वारा व्यवस्थित व्यक्तियों के वेतनों तक ही सीमित था। उसका परिणाम यह निकला कि अन्य प्रकार के व्यक्ति यदि स्वेच्छा से अपने वेतनों में कटौती करायें, तो भी उनके पूरे वेतन पर करारोपण होता था। यह विधेयक उस त्रुटि को दूर करने के लिये रखा गया है। यह विधयक सभी वेतन-भोगी निजी और सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। ३१ मार्च, १९६१ के बाद उन्होंने स्वेच्छा से अपने वेतनों और भत्तों के जितने भाग की कटौती की होगी, उसे कर से विमुक्त कर दिया जायेगा।

यदि सरकारी कर्मचारी लिखित रूप में कटौती के लिये सहमति प्रकट कर देंगे, तो उनके वेतन के उतने भाग को कर से विमुक्ति दे दी जायेगी। इस विधान का उद्देश्य यह है कि यह कटौती लोक हित में की जानी चाहिये। इसलिये निजी कर्मचारियों को यह विमुक्ति तभी मिलेगी जब उनकी कटौती की राशि सरकार को दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक की व्यवस्थायें १९५० के अधिनियम की व्यवस्थाओं को निरसित कर देंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री सरजू पांडेय** (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी । जहां तक मेरी जानकारी है, पहले भी ऐसा कानून था कि जो लोग अपनी आमदनी का या एलाउंस का कोई भाग किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को दान देते थे जो गवर्नमेंट द्वारा रिकागनाइज किया गया होता था तो उनको अपनी आमदनी के उस हिस्से पर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाता था । इस बिल में केवल यह व्यवस्था की गयी है कि अगर वह इस प्रकार का दान पब्लिक इंस्टीट्यशन्स को या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन्स को देगा तभी उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि अगर वह किसी चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन को दान देगा तो उसको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दिया जाएगा या नहीं ।

मैं समझता हूं कि इस बिल में इसका भी विधान होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपनी पे या एलाउंस का कोई हिस्सा किसी अस्पताल या स्कूल या कालिज को दान करता है तो उस पर भी यह कानून लागू होगा । मैं समझता हूं कि जब तक इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक यह बिल पूरा नहीं होगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग किसी चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन को दान देना चाहते हैं उनकी भी आमदनी के उस हिस्से पर इनकम टैक्स को छूट दी जाएगी ।

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य ने दो अलग-अलग चीज़ों को गड़बड़ा दिया है ।

आय-कर अधिनियम की व्यवस्था इससे अलग है । इस विधेयक की व्यवस्था के अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति किसी मान्यताप्राप्त पूर्त न्यास को कुछ अंशदान करता है, तो कुछ राशि को विमुक्ति दी जाती है । इसके लिये अलग से व्यवस्था है । इस विधेयक की व्यवस्थायें और उनका प्रयोजन सर्वथा भिन्न है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ऐसे किसी व्यक्ति को देय वेतन अथवा भत्ते के किसी अंश पर, जिसने सार्वजनिक हित में स्वेच्छा से उसमें कटौती कर दी हो, आय-कर की छूट देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ५ तक, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ५ तक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मेरी समझ में यह नहीं आया कि सरकार क्यों सोचती है कि निजी कर्मचारी भी अपने वेतनों तथा भत्तों का एक भाग सरकार को अंशदान के रूप में दे ? सरकार ऐसी शक्ति क्यों ग्रहण करना चाहती है ?

दूसरी चीज़ यह कि ऐसे अंशदान राज्य सरकारों को क्यों नहीं दिये जा सकते, केन्द्रीय सरकार को ही क्यों ?

माननीय मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए ।

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिये कि अंशदान सर्वथा ऐच्छिक आधार पर होगा । इसमें किसी को विवश करने की कोई बात नहीं । ऐसा कोई खतरा नहीं ।

निजी कर्मचारियों पर भी इसे लागू करने का कारण यह है कि इसके बिना सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच भेदभाव पैदा हो गया था । निजी कर्मचारियों के अंशदानों को भी विमुक्त करना, इसीलिये आवश्यक समझा गया । पहले के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी । यह तो सभी कर्मचारियों को समान स्तर पर, उनको समान अधिकार देने का प्रयास है । इसीलिये माननीय सदस्य की शंका निर्मूल है ।

उन्होंने यह भी पूछा है कि राज्य सरकारों को किये गये अंशदानों को भी विमुक्ति देने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई । विभिन्न राज्यों के अपने अधिनियम हैं, और उनके अन्तर्गत राज्यों को किये जाने वाले अंशदानों को विमुक्ति दी जायेगी । इस विधेयक का सम्बन्ध तो केवल केन्द्रीय अधिनियम से है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उद्याग विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ में अग्रेत र ोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का प्रयोजन सीमित ही है--१९५१ के अधिनियम का प्रवर्तन जम्मू तथा काश्मीर तक विस्तृत करना ।

अभी कुछ ही महीने पहले जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने केन्द्रीय सरकार से इसके लिये अनुरोध किया था । वह औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है । इसलिये यह उचित भी है कि उसे इस अधिनियम के अधीन मिलने वाली सभी सुविधायें प्रदान की जा सकें । मुझे इसके सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा की बैठक पन्द्रह मिनट के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात्, लोक-सभा स्थगित हुई और साढ़े तीन बजे पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९५४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संविधान में कुछ अस्थायी प्रकार की व्यवस्थायें की गई थीं और उस समय कह गया था कि वे तभी तक प्रभावी रहेंगी जब तक कि संसद् उनके विषय में कोई विधि न बनाये । संसद् ने यह विधि १९५४ में बनाई थी, लेकिन उसमें, विशेषकर वर्तमान न्यायाधीशों से सम्बन्धित 'पेन्शन' शब्द की परिभाषा को लेकर कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं । सामान्यतया 'पेन्शन' के अर्थ में समय-समय की जाने वाली अदायगियां सम्मिलित रहती हैं । लेकिन संविधान में दी गई 'पेन्शन' की परिभाषा में इनके अतिरिक्त उपदान, इत्यादि भी सम्मिलित हैं ।

कठिनाई यह पैदा हो गई थी कि विधि जीवियों में से बनने वाले न्यायाधीशों पर तो १९५४ के अधिनियम की अनुसूची का भाग १ लागू होता था, लेकिन भारतीय असैनिक सेवा से आये न्यायाधीशों

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दातार]

और राज्यों की न्यायिक सेवाओं के न्यायाधीशों को पेन्शन का अधिकार था। उसमें उनकी पहले की सेवा भी सम्मिलित की जाती थी। १९५४ के अधिनियम ने उनको भाग २ और ३ में उल्लिखित अतिरिक्त पेन्शन देने की व्यवस्था की थी। भाग १ द्वारा उल्लिखित पेन्शन कुछ अधिक बैठती थी और न्यायाधीश स्वेच्छा से उसे ले सकते थे।

परन्तु १९५१ में सभी राज्य सरकारों ने पेन्शन सम्बन्धी नियम अधिक उदार बना दिये थे और न्यायाधीशों को पेन्शन के अतिरिक्त कुछ निवृत्ति-लाभ भी दिये गये थे। वह अधिक लाभदायक लगता था। केन्द्रीय सरकार ने भी निवृत्ति-लाभों की व्यवस्था कर दी थी।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं।]

और चूंकि १९५४ के अधिनियम में न्यायाधीशों के सम्बन्ध में अलग से कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिये यह महसूस किया जा रहा था कि निवृत्ति-लाभ का अधिकार उनको अधिनियम के अन्तर्गत नहीं मिला है, हालांकि साधारण नियमों के अनुसार उनको वे मिल सकते थे। इस मामले को सर्वोच्च वैधानिक सलाहकार को सौंपा गया था। उसकी राय में इसके लिये 'पेन्शन' शब्द का संशोधन आवश्यक था।

अब नयी परिभाषा में 'पेन्शन' में निवृत्ति-लाभों, इत्यादि को सम्मिलित कर दिया गया है।

फिर कठिनाई यह पड़ी कि निवृत हुए या निवृत्त होने वाले न्यायाधीशों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंचता। इसलिये संशोधन में कहा गया है इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जायेगा। निवृत्ति-लाभों की व्यवस्था १९५१ के आस पास की गई थी। नियमों को इस प्रकार अधिक उदार बनाने का कारण यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में निवृत्ति लाभ के रूप में कभी-कभी पेन्शन का कुछ अंश भी दिया जा सके। हिसाब लगा कर देख लिया गया है कि पेन्शन का यह अंश एक चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिये।

इसीलिये इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। 'पेन्शन' शब्द को परिभाषित करना जरूरी हो गया था। यह इस संशोधन विधेयक का प्रथम भाग है।

दूसरा भाग यह कि एक व्यवस्था यह भी थी कि सेवा-काल में या निवृत्त होने के हाल ही बाद न्यायाधीश की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पेन्शन दी जाये। परिवार को पेन्शन देना उचित समझा गया। सामान्यतया पारिवारिक पेन्शन की मंजूरी देते समय उसकी अवधि नियत कर दी जाती है। ऐसे मामलों में सामान्यतया १५० रुपये प्रति माह पेन्शन दी जाती है। इसीलिये कि उसके परिवार को अधिक तंगी महसूस न होने पाये। उस व्यवस्था को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसके लिये खण्ड ३ में धारा १७क जोड़ी गई है। धारा १७ दुर्घटनाओं में न्यायाधीशों की अकस्मात मृत्यु से सम्बन्धित है कि उस दशा में उसके परिवार को असाधारण पेन्शन दी जा सकती है। यदि भारतीय असैनिक सेवा या राज्य न्यायिक सेवा का वह अधिकारी दुर्घटना से पूर्व न्यायाधीश न बना होता, तो भी उसे इस प्रकार की पारिवारिक पेन्शन मिलती ही। यदि संशोधन न किया जाता तो न्यायाधीश बनने के बाद दुर्घटना होने पर उसे असाधारण पेन्शन नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि 'पेन्शन' शब्द की परिभाषा में उसे सम्मिलित नहीं किया गया था। इसी से प्रविधिक कठिनाई पैदा हो गई थी। इसीलिये 'पेन्शन' शब्द की परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया है भाग १ और २ में उल्लिखित न्यायाधीशों को भी पारिवारिक पेन्शन मिल सकेगी। १९५४ के अधिनियम में राज्य के उदार नियम सम्मिलित नहीं किये गये थे, इसलिये उसके अ तर्गत यह नहीं हो सकता था। इसी वैधानिक कठिनाई को दूर करने के लिये यह संशोधन किया गया है। इसीलिये नयी धारा १७क जोड़ी जा रही है।

खंड ४, का संबंध प्रक्रिया से है। लोक-सभा ने उसके बारे में एक प्रक्रिया निश्चित कर दी है कि ऐसे नियमों को एक अवधि तक सभा पटल पर रखा जाना चाहिये, जिससे कि माननीय सदस्य उस पर विचार कर सकें। इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

इस संशोधन विधेयक के यही तीन उद्देश्य हैं। आशा है कि सभा इसका अनुमोदन करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक की दो बातें महत्वपूर्ण हैं एक तो यह है कि इससे कुछ कठिनाइयां कम हो जायेंगी, दूसरी बात यह है कि न्यायाधीशों की स्थिति अच्छी हो जाने के कारण वकीलों में योग्य व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिये मिल सकेंगे।

विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण ही निलम्बित विवादों की संख्या अधिक है और उनका निपटारा हो नहीं रहा है। न्यायाधीशों की अधिक संख्या न होने के कारणों पर हम दृष्टिपात करते हैं तो यही पता चलता है कि चूंकि इनकी सेवा की शर्तें अच्छी नहीं हैं इसीलिये लोग इधर नहीं आते हैं। श्री चन्द्रशेखर अय्यर ने कहा है कि हमारे यहां न्यायाधीश कभी कभी ऐसे होते हैं कि वे विवाद को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाते और यही कारण है कि वे निर्णय नहीं दे पाते। विधि आयोग ने भी इस बात पर अपने प्रतिवेदन में प्रकाश डाला है कि हमें न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें आकर्षक बनानी चाहियें। इसके अलावा एक चीज और है और वह है न्यायाधीशों का उच्चस्तर निर्धारित करना। साथ ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी बनाये रखनी चाहिये। उनके निर्णय की आलोचना अथवा अपना प्रभुत्व कार्यपालिका को न्यायपालिका पर नहीं थोपना चाहिये। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि कार्यपालिका को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो न्यायपालिका और उसके कार्य में दखल दे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीतिक या अन्य बाहरी विचारों से प्रभावित न होने दिया जाये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): पूर्ववक्ता ने जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। किन्तु यह खेद की बात है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में यदाकदा योग्यता को छोड़कर किन्हीं अन्य बातों को महत्व दिया जाता है। इस विधेयक में निवृत्तिवेतन की व्याप्ति बढ़ा दी गई है जिससे 'देर आयद दुरुस्त आयद' वाली कहावत चरितार्थ हुई है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो न्यायाधीश दुर्भाग्य से १९५४ और १९६१ के दौरान में स्वर्गवासी हो गये हैं उनके संबंधियों को विधेयक के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन के लाभ उपलब्ध हों। मेरा विचार है कि इसे भूतलक्षी बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार को स्वयं न्यायाधीशों से उनकी कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त कर न्यायपीठ की प्रतिष्ठा के दायित्व को सुनिश्चित करना चाहिये। १९५४ के अधिनियम में जो कमी थी वह इस विधेयक के द्वारा पूरी की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सुझावों पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता कम करने के उद्देश्य से कुछ किया जा रहा है। अतीत का अनुभव सिद्ध करता है कि हमारी न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता से कार्य करती है। न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु के संबंध में भी सिफारिशें की गई हैं। न्यायाधीशों ने अपनी बैठक में एकमत से यह निश्चित किया है कि अवकाश प्राप्त करने के बारे में उनकी आयु की उपरिसीमा बढ़ा देनी चाहिये। विधि आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि अन्य संगठनों ने भी इनकी आयु बढ़ाने की सिफारिशें की हैं। यह मामला अभी तक गृह मंत्रालय के पास विचारार्थ है आशा है कि यह निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा। न्यायाधीशों को पूर्ण स्वतंत्रता रहनी चाहिये हम चाहते हैं कि वे प्रतिष्ठा के साथ काम करें।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–पूर्व) इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश यह समझे कि उनका पद एवं प्रतिष्ठा बहुत ऊंचा है। इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की अवधि में वृद्धि करना भी है। लेकिन हमें इस ढंग से काम करना है कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़े। सरकार को न्यायपालिका के संबंध में कोई भी कदम उठाने में अत्यन्त सावधानी से काम लेना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार चाहती है कि उच्च न्यायालय साल में २१० या २१५ दिन काम करें। मेरा निवेदन है कि न्यायाधीशों का मल्यांकन उनके काम के दिनों से नहीं करना चाहिये क्योंकि उन्हें मस्तिष्क से काम करना पड़ता है। मेरा एक निवेदन है कि जो लोग आम चुनावों में हार जाते हैं उन्हें न्यायाधीश न बनाया जाये अन्यथा इस नियुक्ति को पुरस्कार समझा जायेगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि निवृत्ति वेतन का भुगतान भूतलक्षी होगा। यह अच्छी बात है कि मूल अधिनियम की धारा २४ में भी संशोधन कर दिया गया है।

मेरे विचार से यह बात अच्छी नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। विधि आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिये कि ये लोग वकालत न कर सकें। हालांकि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि वे वकालत करने की अपेक्षा कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगे।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य प्रश्न उठाये हैं। विधि आयोग के प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा हो चुकी है। श्री माथुर ने एक प्रश्न उठाया है कि न्यायाधीशों के बहुत से मामले गृह मंत्रालय के पास पड़े हैं। यह बात ठीक नहीं है। कुछ मामले आये अवश्य हैं लेकिन उन पर राज्य सरकारों से परामर्श हो रहा है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि गृह मंत्रालय के पास बहुत से मामले पड़े हैं। यह बात दूसरी है कि विचार विमर्श में कुछ समय लग जाता है। क्योंकि राज्य सरकारों को भी न्यायालयों से परामर्श करना पड़ता है। हम तो उन मामलों को यथाशीघ्र निबटाने का प्रयत्न करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि अन्य खंडों के बारे में कोई संशोधन नहीं है अतः मैं उन सभी खंडों को मतदान के लिये एक साथ रखता हूं । :—

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ४, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ४, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कांफी (संशोधन) विधेयक

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कॉफी अधिनियम, १९४२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मूल अधिनियम में जिस मुख्य संशोधन का प्रस्ताव किया गया वह धारा चार से संबंधित है। इसके अन्तर्गत कहवा बोर्ड के गठन तथा बोर्ड में कतिपय हितों के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है। धारा ४(२) के अन्तर्गत बोर्ड में ३२ सदस्य होंगे और उसका एक सभापति होगा । यह ३२ सदस्य कहवा पैदा करने वाले राज्यों, संसद् तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। धारा ४ (२क) के अन्तर्गत व्यवस्था है कि कहवा पैदा करने वाले राज्यों के प्रतिनिधि चुने भी जा सकते हैं और मनोनीत भी किये जा सकते हैं। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि कहवा पैदा करने वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के स्थानों का पुनः वितरण किया जायेगा। ताकि वितरण अधिक सन्तुलित हो, परन्तु विधेयक बोर्ड में सामान्य प्रतिनिधित्व का ढांचा बदलने की व्यवस्था नहीं करता । केवल इतनी ही तबदीली की गयी है कि बोर्ड में प्रत्येक हित को कितने स्थान दिये जाय तथा सभी प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि शंकायें स्पष्ट हो जायें जो कि कई दिशाओं से प्रस्तुत हुई हैं। जो संशोधन इस विधेयक द्वारा किया जा रहा है उससे कोई महत्वपूर्ण तबदीली नहीं की जा रही । बोर्ड में अब भी उसी प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जायेगा जैसे कि पहिले भी दिया जाता रहा है। बड़े उत्पादकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में जो सिद्धांत निहित है उसका पालन किया जायेगा । क्योंकि प्रतिनिधियों को मनोनीत करने से पहले सम्बद्ध उद्योग की प्रतिनिधि संस्थाओं से परामर्श किया जायेगा। उनसे कहा जायेगा कि नामों का एक एक सूची सरकार को प्रस्तुत करें। उस सूची में से ही सरकार बोर्ड के सदस्य मनोनीत करेगा। इन संस्थाओं की सिफारिशों का पूरा आदर किया जायेगा । सरकार की राय में कहवा पैदा करने वाले क्षेत्रों को कहवा बोर्ड पर समुचित प्रतिनिधित्व देने का ठीक ढंग भी यही है।

इसके अतिरिक्त जो भी संशोधन इस विधेयक में हैं वह बहुत छोटे छोटे हैं। इन्हें कुछ उन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण किया गया है जो दिन प्रति दिन के कार्य में हमारे सामन आती रही हैं। इसमें कोई नीति अथवा आधारभूत बात कोई नहीं। और इन पर विस्तार से विचार कर समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं।

इन शब्दों से मैं यह सिफारिश करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्भम) : इस विधेयक का मुख्य संशोधन बोर्ड का निर्माण है, परन्तु खेद की बात है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बोर्ड के कुल प्रतिनिधियों की संख्या के अनुपात में नहीं है। मेरा कहना है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाय। उपभोक्ताओं को भी बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जिन लोगों को केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है, वे उपभोक्ताओं के हितों से नितान्त अनभिज्ञ हैं। और एक यह भी बात है कि इस हैसियत में केवल कांग्रेस के लोगों को ही मनोनीत किया जाता है, क्योंकि वे पदासीन दल के सदस्य होते हैं।

यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि कहवे की कोटि में सुधार करने वाले संस्थानों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व क्यों दिया जा रहा है। मेरी यह मांग है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बोर्ड में उपभोक्ताओं के जो प्रतिनिधि रहें वे इसके कार्य में दिलचस्पी ले और केवल कांग्रेस जनों को भी इसके लिये मनोनीत न किया जाये ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा संबंध उस राज्य से है जहां काफी का उत्पादन होता है। काफी बोर्ड इस दिशा में बहुत ही महत्व-पूर्ण सेवा कर रहा है। यह सही नहीं है कि विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व के लिये बोर्ड में अधि-कांशतः कांग्रेस जन मनोनीत किये जाते हैं। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न समितियों के सदस्यों की संख्या कम की जा सकती है

†**श्री कानूनगो** : यह विधेयक बड़ा सरल है और इसके विभिन्न अंगों को मैंने बड़े व्यापक रूप से स्पष्ट कर दिया है। मेरा निवेदन है कि कहवे की कोटि को बढ़िया बनाने का व्यवसाय इस उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग है और बोर्ड में उसका प्रतिनिधित्व होना उचित ही है। उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में केवल कांग्रेसी ही मनोनीत होते हैं, इसके बारे में मेरा

†मूल अंग्रेजी में

कथन यह है कि उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के चयन का मापदंड प्रभावी प्रकार का वितरण है न कि सत्तारूढ़ दल से उसका सम्बन्धित होना। बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं और वह बहुत ठीक प्रकार से काम कर रहा है।

समितियों के बड़े आकार के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि देश व्यापकता की दृष्टि से यह कोई बहुत बड़ा आकार नहीं। आखिर हमें देश के व्यापक हितों, विशाल जनसंख्या और विभिन्न लोगों को पूरा अवसर देना है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई भी समिति ऐसी हो जिसका आकार बहुत बड़ा हो, ठीक ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कॉफी अधिनियम, १९४२, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, ३, ४, और ५ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, ३, ४, और ५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ६--(धारा १४ का संशोधन)

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ५ में, "thereof" ("उसका") के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :--

"In respect of each state owned by him and any restriction made befor the commencement of the Coffee (Amendment) Act 1961, shall be deemed to have been made under this sub section."

"उसकी प्रत्येक सम्पदा के लिये तथा कॉफी (संशोधन) अधिनियम १९६१ के आरम्भ होने से पूर्व कोई पंजीकृत हुई हो तो उसे इस उपधारा के ही अन्तर्गत समझा जायेगा रखा जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ३, पंक्ति ५ में "there of" ("उसका") के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :--

"In respect of each state owned by him and any restriction made before the commencement of the coffy (Amendment) Act, 1961, shall be deemed to have been made under this sub section."

"कि उसकी प्रत्येक सम्पदा के लिये तथा कॉफी (संशोधन) अधिनियम १९६१ के आरम्भ होने से पूर्व कोई पंजीकृत हुई हो तो उसे इस उपधारा के अन्तर्गत रखा जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७ से १४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम भी विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चातत् लोक सभा वीरवार २३ नवम्बर, १९६१/अग्रहायण २, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गयी :

---

†मल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१

३० कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१३९–६५
तारांकित प्रश्न संख्या		
५९	परादीप बन्दरगाह का विकास . . .	१३९–४०
९३	परादीप बन्दरगाह . .	१४०–४२
६०	पंजाब के नालों के कारण दिल्ली में बाढ़ .	१४३–४४
६२	देश में भेषजिकों की कमी .	१४४–४५
६४	राजस्थान को गेहूं का संभरण . .	१४५–४८
६६	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के मजदूरों की मांगें .	१४८–४९
६७	स्टेनोग्राफरों के वेतन-क्रम . .	१४९–५०
६८	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . .	१५०–५१
६९	पोस्ट मास्टर जनरलों का सम्मेलन . .	१५१–५३
७१	तलचेर-तालडीह लाइन . .	१५३–५४
७२	डीज़ल लोको फैक्टरी . . .	१५४–५५
७६	झिलमिला आउट एजेंसी . .	१५६
७८	इम्फाल में जाली डाक टिकटों की बिक्री . . .	१५६–५७
८०	तपेदिक के रोगी	१५८–५९
८१	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के जहाज़ भाड़े की दरें .	१५९–६०
८२	श्वेत कुष्ठ . . .	१६०–६१
८५	बम्बई पत्तन .	१६१–६२
८७	हावड़ा–रांची गाड़ी दुर्घटना	१६२–६३
९१	रांची–हावड़ा रेल दुर्घटना .	१६३–६४
८९	बम्बई-कोंकण स्टीमर सेवा	१६४–६५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . .	१६५–२३९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५८	भाखड़ा बांध परियोजना के लिये दिये गये ऋणों पर ब्याज की रकम	१६५
६१	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना . .	१६६
६३	सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग . . .	१६६–६७
६५	अगरताला और आसाम को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की मालवाही विमान सेवा .	१६७
*६८	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . .	१६७
७०	अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा	१६७–६८
७३	नमदा के लिये नदी बोर्ड . .	१६८
७४	चीनी का भारतीय पोतों में निर्यात किया जाना	१६८
७५	गाजियाबाद के निकट हवाई अड्डा . .	१६९
७७	कोयले की ढुलाई के लिये माल डिब्बे . . .	१६९–७०
७९	दिल्ली स्टेशन पर कसेंशन आर्डरों का धोके से जारी किया जाना	१७०
८३	पुराने वाइकाउन्ट . . .	१७०–७१
८४	सीमेंट कंकरीट के स्लीपर .	१७१
८६	"इंडियन नैवीगेटर"	१७१
८८	बिहार और बंगाल में बिजली की कमी के बारे में सचदेव समिति की सिफारिशें	१७२
९०	मद्रास में क्षय रोग रसायन चिकित्सा केन्द्र	१७२
९२	वाईकाउन्ट विमान . .	१७३
९४	"फार्वर्डिंग नोट्स" का न मिलना .	१७३
९५	चीनी का निर्यात . . .	१७३–७४
९६	डाक तार के विभागातिरिक्त कर्मचारी . .	१७४–७५
९७	हल्दिया में बन्दरगाह .	१७५
९८	दिल्ली में रक्त बैंक संगठन . .	१७६–७७
९९	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन समिति	१७७
१००	भारत–भूटान सड़क . .	१७७
१०१	डाक तथा तार फार्म समिति .	१७८
१०२	मिनिकाय प्रकाशस्तम्भ	१७८
१०३	वाइकिंग विमान	१७८–७९
१०४	गहमर और चौसा स्टेशनों के बीच गाड़ियों की टक्कर .	१७९
१०५	परिवार नियोजन . . .	१७९–८०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०६ चावल १८०
१०७ उर्वरकों के मूल्य १८०–८१
१०८ नौवहन उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा . . १८१
१०९ टूंडला–फरुखाबाद रेल दुर्घटना . . . १८१
११० सितम्बर, १९६१ में ट्रेन सेवाओं में अव्यवस्था . . १८२
१११ हीराकुद जलाशय १८२
११२ दिल्ली–अम्बाला रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना . १८३
११३ पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन पर बकाया राशि का दावा १८३
११४ पत्तन न्यास १८३–८४
११५ आसाम त्रिपुरा मीटर गेज लाइन . . १८४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७८ अम्बाला का ऊपरी पुल १८४
७९ नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अधीन सड़कों के भारतीय नाम १८४–८५
८० एशिया राजपथ परियोजना . १८५
८१ दिल्ली के गावों में बिजली लगाना १८५–८६
८२ ग्राम सेवक प्रशिक्षण १८६–८७
८३ किसानों को भूमि प्रतिकर . . १८७
८४ बीना–भोपाल लाइन का दुहरा किया जाना १८७
८५ रेलवे के सामान की चोरी . १८७
८६ औरंगाबाद स्टेशन के लिये मास्टर प्लान . १८८
८७ उड़ीसा के लिये उर्वरक . १८८
८८ परिवार नियोजन . . १८८–८९
८९ योग अभ्यास . . . १८९
९० डाकखानों में चैक प्रणाली . . १८९
९१ एकीकृत लोक स्वास्थ्य और बेसिक नर्सिंग कोर्स १८९–९०
९२ केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो १९०
९३ तृतीय योजना में मछलियों का उत्पादन १९०—९२
९४ कोचीन पत्तन १९२
९५ परिवार नियोजन १९२–९३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९६	सड़क परिवहन निगम .	१९३–९४
९७	पाक जंलडमरूमध्य .	१९४
९८	हिमाचल प्रदेश में वन . .	१९४
९९	मचकुण्ड परियोजना . . .	१९५
१००	उड़ीसा में कृषि विश्वविद्यालय . . .	१९५
१०१	सुकिन्दा दैतारी खान क्षेत्रों के लिये रेल सम्पर्क .	१९५–९६
१०२	सुकिन्द परादीप परियोजना . .	१९६
१०३	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् . . .	१९६–९७
१०४	जमुना ब्रिज पर पैदल चलने वालों के लिये रास्ता	१९७–९८
१०५	बीमाशुदा लिफाफे का लापता हो जाना . . .	१९८
१०६	डाक में प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं का गुम होना	१९८
१०७	हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की अपीलें .	१९९
१०८	एकाउन्ट विभाग के क्लर्क	१९९
१०९	उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिक . . .	१९९
११०	आम हड़ताल में नौकरी से निकाले गये कर्मचारी .	२००
१११	यात्रा अभिकरण	२००
११२	दुर्गम क्षेत्र समिति	२००–०१
११३	बर्मा के लिये भारतीय डाक्टर . . .	२०१
११४	गढ़मुक्तेश्वर पर पुल . . .	२०१
११५	अम्बलीयासन और आबूरोड स्टेशनों पर ठके	२०२
११६	सिद्धपुर में प्रतीक्षालय . .	२०२
११७	छोटी सिंचाई योजनायें .	२०२
११८	सेंदरा स्टेशन पर प्रकाश की व्यवस्था .	२०३
११९	दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारी	२०३
१२०	हल्दिया–खड़गपुर रेल सम्पर्क .	२०३
१२१	आयुर्वेदिक और यूनानी औषध . .	२०३–०४
१२२	ब्यास परियोजना प्रतिवेदन .	२०४–०५
१२३	प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर . .	२०५
१२४	ब्यास परियोजना से राजस्थान को बिजली का संभरण	२०५
१२५	सारायन स्टेशन पर गाड़ियों में टक्कर	२०६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२६	गंगुवाल बिजली घर .	२०६
१२७	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२०६
१२८	मैतूर सुरंग योजना . .	२०७
१२९	भोपाल तक सीधी ट्रंक टेलीफोन सेवा	२०७–०८
१३०	चीनी के निर्यात की भाड़ा दरों पर छूट	२०८
१३१	दिल्ली में बिजली का बन्द होना	२०८
१३२	रेलवे सेवाओं का बन्द किया जाना . .	२०८–०९
१३३	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी और सेंट जान एम्बुलेंस सोसाइटी (इंडिया) . .	२०९
१३४	स्वास्थ्य मंत्री को कल्याण निधि	२०९
१३५	टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई .	२०९–१०
१३६	पंचायतों को पुरस्कार .	२१०
१३७	देश में वर्षा	२१०
१३८	अमीन गांव तथा बड़ी लाइन का विस्तार . .	२११
१३९	ब्रिटिश कम्पनी को दिये गये ब्याज की राशि	२११
१४०	इम्फाल नगरपालिका . . .	२११
१४१	सहकारिता आंदोलन .	२१२–१३
१४२	सीवान रेलवे स्टेशन .	२१३
१४३	अन्तर्देशीय जल परिवहन . .	२१३
१४४	डीजल इंजनों का निर्माण .	२१४
१४५	तुंगभद्रा परियोजना .	२१४
१४६	तुंगभद्रा बोर्ड .	२१४–१५
१४७	भुज के लिये विमान सेवायें	२१५–१६
१४८	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये एयर इंडिया इन्टरनेशनल में नौकरियां .	२१६
१४९	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी .	२१६
१५०	टीकारपद पर बांध .	२१६–१७
१५१	खेती योग्य परती भूमि . . .	२१७
१५२	केरल में बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र कटाव निरोधक कार्य	२१७–१८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५३	दक्षिण रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था	२१८
१५४	दक्षिण रेलवे में डीजल रेल कार सेवा चालू करना	२१८
१५५	मैसूर राज्य में टेलीफोन के कनैक्शन	२१९
१५६	फरक्का बांध	२१९–२०
१५७	चिकित्सा लाभ	२२०
१५८	हीराकुद जलाशय	२२०
१५९	उड़ीसा बाढ़ जांच समिति का प्रतिवेदन	२२१
१६०	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण	२२१
१६१	बिहार में सड़कों का निर्माण	२२१–२२
१६२	चीनी पर से नियंत्रण हटाना	२२२
१६३	वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी	२२२
१६४	दिल्ली दुग्ध योजना	२२३
१६५	दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भारिक	२२३
१६६	एस्पीरिन	२२४
१६७	परिवार नियोजन	२२४–२५
१६८	आसाम में कपिली नदी परियोजना	२२५
१६९	पूर्व रेलवे में कर्मचारियों का नौकरी से निकाला जाना	२२५
१७०	दुर्घटना निवारण निरीक्षक	२२६
१७१	पूर्व रेलवे में चोरियां आदि	२२६-२७
१७२	टिड्डियों का आक्रमण	२२७
१७३	क्षय रोग से पीड़ित डाक तथा तार कर्मचारी	२२७–२८
१७४	किंग्सवे मेटरनिटी अस्पताल, दिल्ली	२२८
१७५	तार तथा टेलीफोन सुविधायें	२२८–२९
१७६	भारत–रूस जेट सेवा	२२९
१७७	दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे	२२९
१७८	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	२२९–३०
१७९	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अस्थायी कर्मचारी	२३०–३१
१८०	केरल में विद्युत् परियोजनायें	२३१

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८१	गारो पहाड़ी तक रेलवे लाइन	२३१
१८२	पालघाट स्टेशन के निर्माण का ठेका .	२३१–३२
१८३	केरल में उबला हुआ चावल	२३२
१८४	केरल के डाक तथा तार कर्मचारियों को बाढ़ संबंधी पेशगियां .	२३२
१८५	अनुपस्थिति ज्ञान और अध्ययन पाठ्यक्रम . . .	२३३
१८६	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये पीने के पानी का संभरण .	२३३
१८७	दिल्ली में औद्योगिक बिजली के लिये प्रार्थनापत्र . .	२३३–३४
१८८	उड़ीसा के डाकखानों में मनीआर्डर सेवा . .	२३४
१८९	हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेज . .	२३४–३५
१९०	भ्रष्टाचार निरोधक संगठन . . .	२३५–३६
१९१	भूमि को समतल बनाना	२३६
१९२	पंजाब को कृषि प्रयोजनों के लिये आवण्टित लोहा तथा इस्पात	२३६–३७
१९३	भारत में कैंसर . .	२३७
१९४	स्कूल के बच्चों को भोजन .	२३७
१९५	उत्तर रेलवे में १९६१ में हुई डकैतियां .	२३७–३८
१९६	फजलिका स्टेशन	२३८
१९७	दिल्ली और नई दिल्ली के बीच ऊपरी पुल .	२३८
१९८	ताज दर्शक	२३८
१९९	भोपाल-उज्जैन रेलवे लाइन पर स्टेशन . .	२३९
२००	अगरताला के लिये जल संभरण योजना . .	२३९
२०१	पूर्व रेलवे पर यातायात में गड़बड़ी .	२३९
	सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें एरणाकुलम् के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से दिनांक २० नवम्बर, १९६१ का एक तार प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि श्री नारायणन् कुट्टि मेनन को २० नवम्बर, १९६१ को केरल पुलिस एक्ट की धारा ३३ के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कलक्टर के दफ्तर से हटाया गया था और कुछ देर बाद छोड़ दिया गया ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २४०—४४

(१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२२१ में प्रकाशित भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, १९६१

(दो) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६७ में प्रकाशित भारतीय तार (नवां संशोधन) नियम, १९६१

(तीन) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२१ में प्रकाशित भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(२) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३३८ में प्रकाशित दिल्ली विकास (जायदाद का प्रबन्ध) विनियम, १९६१ की एक प्रति ।

(३) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३४ में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १७ जून, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८०२

(ख) दिनांक १७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३९ ।

(५) वर्ष १९५९–६० के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(६) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६० ।

विषय पृष्ठ

(ख) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६० ।

(ग) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचा संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चिकित्सा प्राधिकारियों को ले जाना) नियम, १९६१ ।

(७) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (समुद्र सेवा में शिशिक्षुता) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (कार्यरत जहाजों का पंजीकरण) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४८ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीकरण) संशोधन नियम, १९६१ ।

(८) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/८८/६०—परिवहन ।

(ख) दिनांक २२ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २२(३)/६०—परिवहन ।

(ग) दिनांक ३ अगस्त, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/२१/६१—परिवहन ।

(घ) दिनांक ३ अगस्त, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/८०/५८—परिवहन ।

(९) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० जुलाई, १९६० के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी० २६-९०/५७—२ ।

विषय पृष्ठ

(ख) दिनांक १७ जुलाई, १९६१ के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी० २६-९०/५७--२ ।

(१०) वर्ष १९५७-५८ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर वित्तीय समीक्षा की एक प्रति ।

(११) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक ६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तृतीय संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ख) दिनांक ६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११८ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ग) दिनांक ६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११९ में प्रकाशित चावल (पंजाब) द्वितीय मूल्य नियंत्रण (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(घ) दिनांक १९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४५ में प्रकाशित चावल (पंजाब से आयात) आदेश, १९६१ ।

(ङ) दिनांक २९ जून, १९५९ और ६ नवम्बर, १९५९ की क्रमशः अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४७ और जी० एस० आर० १२३७ को रद्द करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०८ ।

(च) दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१० में प्रकाशित चीनी के व्यापारी (लाइसेंस संबंधी प्रतिबन्धों को हटाना) आदेश, १९६१ ।

(छ) दिनांक १५ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११२ और दिनांक २ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० १ को रद्द करने वाली और उसके परिणामस्वरूप विषयों का उपबन्ध करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२११ ।

(ज) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या १२१३ में प्रकाशित गेहूं का आटा पीसने की चक्कियां (लाइसेंस देना और नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन, आदेश १९६१ ।

विषय **पृष्ठ**

(झ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३७ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) द्वितीय संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ञ) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६४ में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न यातायात नियंत्रण (संख्या २) द्वितीय संशोधन, १९६१ ।

(ट) दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८८ को रद्द करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७२ ।

(ठ) दिनांक १७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२९० ।

(ड) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (यातायात पर प्रतिबन्ध) द्वितीय संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ढ) दिनांक ३० अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१३ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ण) दिनांक ३० अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१४ में प्रकाशित चावल (पंजाब) द्वितीय मूल्य नियंत्रण (बारहवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(त) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३८ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (चतुर्थ संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(थ) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३९ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, १९६१ ।

(१२) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४२ की उपधारा (९) के अन्तर्गत वर्ष, १९६०–६१ के लिये केन्द्रीय भांडागार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखा सहित ।

विषय पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २४४

नव्वेवां प्रतिवेदन उपस्थापित ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २४४–४५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने दिल्ली में गैर सरकारी बस सेवा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ पर श्री आसर द्वारा ६ सितम्बर, १९६१ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

समिति के लिये निर्वाचन २४५

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) ने यह प्रस्ताव किया कि पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये लोक सभा से चार सदस्य चुने जायें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरस्थापित २४५–४६

प्रौद्योगिकीय संस्था विधेयक, १९६१ ।

विधेयक पारित . . . . . २४६—७६

(१) शिशिक्षु विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(३) उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(४) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(५) वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि कॉफी संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/ ३० कार्तिक, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित किया जाना :—

(१) असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक;

(२) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ;

(३) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक, १९६१, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में; तथा

(४) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1467(Ai)LSD—18-12-61—125.